

श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2016

Pocket Book of Labour Statistics 2016

भारत सरकार
Government of India
श्रम और रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
श्रम ब्यूरो
Labour Bureau
शिमला
Shimla

प्रस्तावना

श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2016 संस्करण संक्षिप्त रूप में श्रम के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में क्रमिक सांख्यिकी प्रस्तुत करता है, इनमें नियोजन, मजदूरी एवं उपार्जन, मूल्य, औद्योगिक विवाद, दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति और सामाजिक सुरक्षा इत्यादि सम्मिलित हैं। कुछ देशों के संकेतसूचक, भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय सहित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण श्रम कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। सारणियों के अन्त में विभिन्न सारणियों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां भी दी गई हैं। आशा की जाती है कि श्रम मामलों मे रूचि रखने वाले पणधारियों के लिए यह प्रकाशन लाभदायक सिद्ध होगा। जहां तक संभव हो सका है, नवीनतम सुलभ सूचना प्रस्तुत करने हेतु प्रत्येक प्रयास किया गया है।

श्रम ब्यूरो, इस प्रकाशन को प्रकाशित करने हेतु श्रम और रोजगार मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न अभिकरणें और विभागों तथा भारत सरकार के अन्य संगठनों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए कृतज्ञ है। इस प्रकाशन की साफ्ट कापी श्रम ब्यूरों की वैबसाईट <u>www.labourbureaunew.gov.in</u> पर भी उपलब्ध है।

इस प्रकाशन के सारांश और गुणवत्ता में और अधिक सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित हैं।

श्रम ब्यूरो, शिमला दिनांक: मार्च, 2018 डॉ० बी एन नन्दा महानिदेशक

PREFACE

Pocket Book of Labour Statistics 2016 presents in concise form, the serial statistics in respect of a number of important aspects of labour, covering information on employment, wages and earnings, prices, industrial disputes, accidents, safety and absenteeism and social security etc. Key Indicators of some countries, ILO Conventions ratified by India alongwith brief account of the important labour activities, both at National and International levels, have also been added. Explanatory notes on various tables have been given at the end of the tables. It is hoped that this publication would be useful for stakeholders in labour matters. All out efforts have been made to present the latest available information.

Labour Bureau is grateful to the various agencies and departments of the Ministry of Labour & Employment and other organizations of the Government of India for extending their cooperation in bringing out this publication. Soft copy of this publication has also placed on the website of Labour Bureau i.e. www.labourbureaunew.gov.in

Suggestions for further improvements in contents and quality of this publication are welcome.

Labour Bureau, Shimla
Dated: March, 2018

Dr. B. N. Nanda
Director General

सारणी	Table	पृष्ठ Page
	भाग I PART I	1
	1 नियोजन Employment	
1.1	(क) कारखानों में उद्योग समुह अनुसार नियोजन	2
	(a) Employment in Factories by Industry Groups	
	(ख) राज्यवार पंजीकृत कारखानों, चालू कारखानों, विवरणियां भेजने वाले	7
	कारखानों और नियोजित कर्मकारों की संख्या (अनुमानित)	
	(b) State-wise Number of Registered Factories, Working Factories, Factories submitting returns and Workers	
	Employed (Estimated)	
	(ग) विवरणियां भेजने वाले कारखानों में औसत दैनिक नियोजन	10
	(आयु एवं लिंग अनुसार)	
	(c) Average Daily Employment in Factories submitting	
1.2	Returns (By Age and Sex) मुख्य बागानों मे नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या	13
1.2	Average Number of Workers Employed in Major	13
	Plantations	
1.3	विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियोजन	15
	Employment covered under various Acts.	
1.4	यू पी एस विधी पर आधारित 15 वर्ष एव उससे अधिक उम्र के लिये श्रम शक्ति भागीदारी दर, कर्मकार जनसंख्या अनुपात एवं बेरोजगारी दर	17
	Labour Force Participation Rate, Worker Population Ratio	
	and Unemployment Rate based on UPS approach for	
1.5	persons aged 15 years and above क्षेत्रवार स्व नियोजित एव कर्मचारीयों के वितरण की प्रतिशतता	20
	Sector wise percentage distribution of Self Employed & Employees	
	2 मजदूरी एवं उपार्जन Wages and Earnings	
2.1	विर्निमाणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन	21
	Average Annual Earnings of Workers Employed in	
2.2	Manufacturing Industries विनिमाणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन (उद्योगानुसार)	22

i

सारणी	Table	पृष्ठ Page
2.3	Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries (By Industry) अकुशल श्रमिकों हेतु प्रति दिवस न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी	
	Minimum and Maximum Wages per day for Unskilled Workers	24
	3 मुल्य Prices	
3.1	(क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत एवं माहवार अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100	28
	(a) Annual Average and Month wise All-India CPI Nos. for	
	Industrial Workers on Base 2001=100	
	(ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य)आधार 2001=100 (केन्द्रवार वार्षिक औसत)	30
	(b) Consumer Price Index Numbers (General) for Industrial	
2.2	Workers on Base 2001=100 (Centre-wise Annual Average)	2.4
3.2	कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार	34
	वर्ष 1986-87=100 (जुलाई से जून) Average CPI Numbers for Agricultural and Rural Labourers	
	on base 1986-87=100 (July to June)	
	4 व्यवसाय संघ Trade Unions	
4.1	व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता में वृद्धि	36
	Growth of Trade Unions and their Membership	
4.2	विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता (उद्योगानुसार)	37
	Number and Membership of Trade Unions submitting returns (By Industry)	
	5 औद्योगिक विवाद Industrial Disputes	
5.1	औद्योगिक विवादों के कारण कार्य स्थगन	
	Industrial Disputes resulting in Work Stoppages	39
5.2	(क) विवादों के परिणामस्वरुप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि (उद्योगानुसार)	40
	(a) Mandays Lost in Disputes resulting in Work Stoppages	
	(By Industry)	
	(ख) विवादों के परिणामस्वरुप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि (राज्यानुसार)	43
	ii	

(b) Mandays Lost in Disputes resulting in Work Stoppages (By States) 5.3 विवादों का कारणानुसार प्रतिश्रत वितरण Percentage Distribution of Disputes by Causes 5.4 विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिश्रत विवरण Percentage Distribution of Disputes by Duration 5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sphere 5.6 क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sectors 5.7 हडताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos	
Percentage Distribution of Disputes by Causes 5.4 विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिशत विवरण Percentage Distribution of Disputes by Duration 5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sphere 5.6 क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sectors 5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos	46
5.4 विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिशत विवरण Percentage Distribution of Disputes by Duration 5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sphere 5.6 क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sectors 5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos	10
 5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sphere 5.6 क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sectors 5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos 	48
Disputes by Sphere 5.6 क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sectors 5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos	
5.6 क्षेत्र अनुसार विवाद Disputes by Sectors 5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos	49
Disputes by Sectors 5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos	
5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos	50
Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos	
	51
5.8 कुल स्थाई बन्दीआं तथा उनसे प्रभावित कर्मकारों की संख्या (राज्यानुसार)	52
Number of Permanent Closures and Workers Affected (by States)	
5.9 छंटनीओं की संख्या तथा उनसे प्रभावित कर्मकार (राज्यानुसार)	54
Number of Retrenchments and Workers Retrenched thereby (by States)	
5.10 ईकाईयों में प्रभावित कामबन्दी, प्रभावित कर्मकार तथा नष्ट हुए मानव दिनों की हानि (राज्यवार)	56
No. of Units affecting Lay-off, Workers Laid-off and Mandays Lost (by States)	
6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति Accidents, Safety and	
Absenteeism	
 (क) कारखानों में औद्योगिक क्षतियां, उनकी आपात एवं आवृत्ति दर (राज्यानुसार) 	58
(a)Industrial Injuries in Factories, their Incidence and	
Frequency Rates (By States)	
(ख) महत्वपूर्ण उद्योगों के अनुसार औद्योगिक क्षतियां उनकी आपात एवं आवृति दर (समृहनुसार)	61
(b) Industrial Injuries, their Incidence and Frequency Rates	
by Important Industries (by group)	

सारणी	Table	पृष्ठ Page
6.2	राज्यवार प्रत्यक्ष रूप में नियोजित नियमित श्रमिकों कीं अनुपस्थिती की दरें	65
	State-wise Absenteeism Rates amongst Directly Employed Regular Workers 7 सामाजिक सुरक्षा Social Security	
7.1	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों की	73
,	संख्या एवं क्षतिपूर्ति के लिए दी गई धन राशि	,,,
	Number of Compensated Injuries and Amount of	
	Compensation Paid under the Employees' Compensation	
7.2	Act, 1923 मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिए गए मातृत्व लाभ	74
	Maternity Benefits paid under the Maternity Benefit Act,	
	1961	
	8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना International Comparison	
8.1	भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियोजन	76
	Employment in Selected Major Groups of Industries in	
8.2	Different Countries चुने हुए देशों में विनिर्माण में कर्मचारियों का औसत माहवार अभिहित उर्पाजन	79
0.2	Mean Nominal monthly Earning of Employees in	19
	Manufacturing in Selected Countries	
8.3	चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद	80
	Industrial Disputes in Selected Countries	
8.4	चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति प्रति 1,00,000 नियोजित कर्मकार	82
	Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per	
0.5	1,00,000 workers employed	0.4
8.5	राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- पूर्व वर्ष से प्रतिशत बदलाव	84
	National Consumer Prices Index – Percentage change from previous year	
	 भारत द्वारा अनुसमर्थित अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 	86
	9 ILO Conventions Ratified by India	
	10 वर्तमान श्रम गतिविधियां	93
	10 Current Labour Activities	

सारणी	Table	पृष्ठ Page
	भाग II PART II	136
	1 जनसंख्या एवं श्रम शक्ति Population and Labour Force	
1.1	जनसंख्या का वितरण	137
	Distribution of Population	
1.2	कर्मी एवं गैर-कर्मी जनसंख्या का वितरण	140
	Distribution of Working and non-Working Population	
1.3	जनसंख्या का श्रम शक्ति की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वितरण	143
	Percentage of persons in Labour Force	
	2 नियोजन Employment	
2.1	(क) सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित नियोजन (शाखानुसार)	147
	(a) Estimated Employment in Public Sector (by Branches)	
	(स) संगठित क्षेत्र में नियोजन <i>(</i> मुख्य उद्योगानुसार <i>)</i>	148
	(b) Employment in Organised Sector (by Major	
	Industries)	150
2.2	(क) खानों में खनिजानुसार नियोजन <i>वि</i> नयोजित कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या <i>)</i>	150
	(a) Employment in Mines By Minerals (Average Daily No. of Workers Employed)	
	(ख) खानों में राज्यानुसार कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या	151
	(वर्गानुसार)	
	(b) State-wise Average Daily No. of Workers Employed in Mines (By Category)	
2.3	रेलवे, डाक, दूर संचार, बीमा तथा बैंकों में नियोजन	155
	Employment in Railways, Posts, Telecommunications, Insurance and Banks	
2.4	माडपातार वार्ष Banks अनुमानित नियोजन सूचकांक	157
	Index Numbers of Estimated Employment	

v

सारण	गी Table	पृष्ठ Page
	3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण Employment Services and	
	Training	
3.1	रोजगार कार्यालय एवं उनके कार्यकलाप	158
	Employment Exchanges and their Activities	
3.2	रोजगाार कार्यालयों की चालू पंजी में व्यावसायिक मुख्य समूहानुसार आवेदक	160
	Job Seekers on Live Register of Employment Exchanges	
	classified by Broad Occupational Groups	
3.3	रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में शिक्षित आवेदकों की संख्या	162
	Number of Educated Applicants on Live Register of Employmen	t
2.4	Exchanges रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के अधीन प्रशिक्षण कार्यकलाप	162
3.4	•	163
	Training Activities under the DGE&T	
3.5	कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण	165
	कार्यक्रम	
	Training Programmes Conducted by the DGFASLI	
3.6	दत्तोपन्त ठॅगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यवसाय संघो तथा अन्य संस्थानों हेतु सहायता अनुदान	167
		1
	Training Programmes conducted by Dattopant Thengadi Nationa Board for Workers Education and Development (erstwhile	1
	CBWE) and Grants in aid to Trade Unions and other Institutions	
	4 मजदूरी एवं उपार्जन Wages and Earnings	
4.1	खानों में कर्मकारों का उर्पाजन	175
	Earnings of Workers in Mines	
4.2	धन उपार्जन सूचकांक	177
	Index of Money Earnings	
	5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति Accidents, Safety and	
	Absenteeism	
5.1	रेलवे की औद्योगिक क्षतियों की संख्या एवं आपात दर	178
	Number of Industrial Injuries and Incidence Rates in Railways	

सारणी	Table	पृष्ठ Page
5.2	खनिज वर्गानुसार खानों में औद्योगिक क्षतियां (खनिज श्रेणी अनुसार) Industrial Injuries in Mines (by Class of Minerals)	179
5.3	पत्तनों में रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं	183
5.5	Reportable Accidents in Ports	103
5.4	जलयानों पर रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं तथा आवृत्ति दर	184
5.4	g g	184
	Reportable Accidents on Board Ships and Frequency Rate	
	6 सामाजिक सुरक्षा Social Security	
6.1	(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्य - सिम्मिलित कारखानों एवं कर्मचारियों की संख्या	185
	a) Working of the Employees State Insurance Act- Number of	f
	Factories and Employees covered	
	(ख) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं उपस्थिति	186
	b) ESI Dispensaries and Attendance	
	(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/उपगृहों/अन्य अस्पतालों में उपलब्ध ग्रैय्याओं की संख्या	187
	c) Number of Beds available in ESI Hospitals/ Annexes/ othe Hospitals	er
	(घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी एवं प्रसूति लाभ	188
	d) Sickness and Maternity benefits under the ESI Scheme	
	(ङ)कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत अंगहानि एवं आश्रितों को लाभ	189
	e) Disablement and dependants benefits under the ESI schem	e
	(च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आय एवं व्यय	190
	f) Income and Expenditure of the ESI	
6.2	(क) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के कार्य	191
	(a) Working of the Employees Provident Fund Scheme	
	(स) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अंशदाता एवं क्षेत्रवार परिधि	192
	(b) Region-wise coverage and subscribers of the Employees Provident Fund Scheme	

सारणी 🏾	Table	पृष्ठ Page
	(ग) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अर्न्तगत प्राप्त अंशदान	194
	(c) Contributions received under Employees' Provident Fund Scheme (घ) निधि निवेश और कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को अनुमत ब्याज	195
	(d) Investment of Funds and Interest allowed to the Employees' Provident Fund Members (इ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गयें ऋण एवं अग्रिम	196
	राशियों सहित धन-वापसी (e) Refunds including Loans and Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme a) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गर्ये ऋण ए अग्रिम राशियों सहित धन वापसी	ਰ ਂ 197
	(f) State-wise Refunds including Loans and Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme छ) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निर्णित दावे और भुगतान की गई धनराशि	199
	(g) State-wise Claims settled and amount paid under the Employees' Provident Fund Scheme (ज) कर्मचारी-भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत प्रदान किया गया वापस न किये जाने वाला अग्रिम धन	201
	(h) Non-Refundable Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme (झ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत आय और व्यय	203
6.3	(i) Income and Expenditure under the Employees' Provident Fund Organisation अभ्रक सान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य	204
6.4	Working of the Mica Mines Labour Welfare Fund स्तिज लोहा, मैंगनीज एवं कोम स्तान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य	205
	Working of Iron, Manganese and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund	

सारणी	Table	पृष्ठ Page
6.5	चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य	206
	Working of Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare	
	Fund	
6.6	बीड़ी कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य	207
	Working of Beedi Workers' Labour Welfare Fund	
6.7	सिनेमा कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य	208
	Working of the Cine Workers Labour Welfare Fund	
6.8	(क) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य	209
	(a) Working of Coal Mines Provident Fund	
	(ख) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य (राज्यानुसार वितरण)	210
	(b) Working of Coal Mines Provident Fund (State wise	
	distribution)	
	(ग) कोयला खान भविष्य-निधि के अन्तर्गत प्रदान किये गए ऋण और अग्रिम	211
	धन	
	(c) Loans and Advances granted under Coal Mines Provident Fund Scheme	
	(घ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत धन वापसी के दावे	212
	(d) Claims for Refunds under the Coal Mines Provident Fund	1
	Scheme	
	(ड) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत आय एवं व्यय	213
	(e) Income and Expenditure under the Coal Mines Provident	
	Fund Scheme	
	(च) पारिवारिक पेंशन निधि लाभ	214
	(f) Family Pension Fund benefits	
	व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग-I) Explanatory Notes (Part I)	215
	व्याख्यात्मक टिप्पणियां (भाग -II) Explanatory Notes Part II	224
	अनुबन्ध Annexure	237

संक्षेपण

अ० एवं नि० द्वीप समूह अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह अ० प्र० आन्ध्र प्रदेश भ० सं० नि० लि० भारत संचार निगम लिमिटिड केन्द्रीय श्रम शिक्षा बोर्ड मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के० श्र० शि० बो०

मु० श्र० आ० (के०) को० खा० भ० नि० आ० कोयला खान भविष्य-निधि आयुक्त के० सां० का० द० एवं न० हवेली केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय दादर एवं नगर हवेली म० नि० रो० महानिदेशक रोजगार म० नि० प्र० महानिदेशक प्रशिक्षण

म० नि० का० स० से० एवं श्र० सं० महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान

महानिदेशक, श्रम कल्याण महानिदेशक, खान सुरक्षा म० नि० श्र० क० म० नि० खा० सु० क० भ० नि० सं० क० रा० बी० नि० कर्मचारी भविष्य-निधि संगठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम

भारतीय सामान्य बीमा (सार्वजनिक क्षेत्र) संघ भा० स० बी० (सा० क्षे०) सं०

हि० प्र० हिमाचल प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अ० श्र० स० अ० श्र० सं० जम्मू एवं कश्मीर ज० एवं क० जीवन बीमा निगम जी० बी० नि० म० प्र० मध्य प्रदेश

नव्य प्रपश्च महानगर टेलीफोन निगम लिमिटिड राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कहीं और वर्गीकृत नहीं राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण म० टे० नि० लि० रा० प्र० स० का० क० औ० व० न० रा० औ० व० भा० रि० बैं० भारतीय रिजर्व बैंक उ० प्र० उत्तर प्रदेश

ABBREVIATIONS

A & N Islands Andaman and Nicobar Islands

AP Andhra Pradesh

BSNL Bharat Sanchar Nigam Limited **CBWE** Central Board for Workers Education CLC(C) Chief Labour Commissioner (Central) CMPFC Coal Mines Provident Fund Commissioner

CSO Central Statistical Office D & N Haveli Dadar & Nagar Haveli Director General Employment
Director General Training
Director General Factory Advice Service and Labour
Institute
Director General Labour Welfare DGE DGT

DGFASLI

DGLW DGMS EPFO Director General Mines Safety Employees Provident Fund Organisation ESIC

Employees' State Insurance Corporation **GIPSAI** General Insurance (Public Sector) Association of India

Himachal Pradesh

HP ILC International Labour Conference ILO International Labour Organisation LIC Life Insurance Corporation

MP Madhya Pradesh

MTNL Mahanagar Telephone Nigam Limited National Sample Survey Office Not elsewhere classified NSSO NEC NIC National Industrial Classification

RBI Reserve Bank of India

U P Uttar Pradesh

लुघ पुस्तिका की सारणियों में प्रयुक्त संकेत SYMBOLS USED IN THE TABLES OF THE POCKET **BOOK**

शून्य या नगण्य Nil or negligible

अनुपलब्ध Not available

अनन्तिम Provisional

500 से कम @ Less than 500

£ संशोधित Revised

पूर्णांक करने की प्रक्रिया के कारण सम्भवतः सारणियों के आंकडों के योगफल न मिलते हों।

The totals of the figures in the tables may not necessarily tally due to rounding off राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण संकेतांक 2008 का विवरण अनुबन्ध में दिया

The description of the NIC Code 2008 is given in Annexure

xii

भाग - I PART - I

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

1.1 (क) कारखानों में उद्योग समुह अनुसार नियोजन 1.1(a) Employment in Factories by Industry Groups

अनुमानित औसत दैनिक नियोजित कर्मकार Estimated Average Daily Number of Workers Employed (राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2008/National Industrial Classification 2008)

कोड Code	2013	2014	कोड Code	2013	2014
1	2	3	1	2	3
01	68807	94845	102	8015	13647
011	803	2024	103	22401	34911
012	547	453	104	66179	85563
014	679	840	105	40209	65151
015		26	106	209737	272520
016	66778	91502	107	157470	290690
02	311	371	108	9421	14826
021	14	34	11	50372	77649
023	277	337	110	50372	77649
024	20		12	23106	29560
05	3771	4730	120	23106	29560
051	3771	4718	13	261104	542386
052		12	131	203798	382308
06	100	218	139	57306	160078
061	100	218	14	94648	137351
07	1290	1588	141	89602	127876
071	1120	1220	142	1085	3217
072	170	368	143	3961	6258
08	11440	13432	15	41623	60357
081	10488	11738	151	13487	21430
089	952	1694	152	28035	38927
09	30	1195	16	72893	110781
091	30	75	161	39764	65716
099		1120	162	33129	45066
10	515737	786556	17	58891	119852
101	2305	9248	170	58782	119852

	0	_		
1	ान	य	2	न

सारणी 1.1 (क) Table 1.1(a)

Table 1.1(a)					
1	2	3	1	2	3
18	43266	86094	265	11132	24711
181	43252	85978	266	20197	17885
182	14	116	267	3338	5753
19	71119	95345	268	868	2441
191	38058	35141	27	104316	222307
192	33001	60204	271	33422	70588
20	143380	301733	272	5840	18166
201	72426	131377	273	33239	52970
202	69117	164800	274	6305	17826
203	1827	5546	275	11848	32875
21	112532	275514	279	13662	29882
210	112532	275514	28	165953	317259
22	126102	301139	281	106269	197191
221	42287	83314	282	59619	120068
222	83815	217825	29	85737	228620
23	499276	587171	291	34397	54838
231	20120	38433	292	8895	14581
239	479066	548738	293	42445	159201
24	443022	595582	30	74089	136331
241	294287	383090	301	18498	36554
242	53270	67703	302	25153	26646
243	95440	144789	303	2460	2514
25	226055	488624	304	14901	25966
251	63672	124068	309	13077	44651
252	6815	9202	31	16050	24249
259	155546	355354	310	15963	24249
26	61254	113572	32	29439	107505
261	12642	35883	321	12238	57768
262	3991	8972	322	-	86
263	7065	10140	323	99	435
264	1291	7787	324	6809	7316

	0	_		
1	ान	य	2	न

सारणी 1.1 (क) Table 1.1(a)

1	2	Table 1	1	2	3
1		3	1		3
325	2344	11023	451	1850	10252
329	7949	30877	452	74349	148070
33	15209	51699	453	2526	3891
331	15157	51329	454	5809	7458
332	52	370	46	2161	9498
35	102435	167601	461	100	1494
351	94598	156084	462		129
352	2676	5933	463	371	592
353	5161	5584	464	276	1053
36	5857	10655	465		518
360	5808	10655	466	1262	5560
37	886	2261	469	152	152
370	886	2261	47	256	16796
38	5431	6458	471		128
381	91	202	472		140
382	799	988	473	256	15733
383	4541	5268	474		250
39		1090	475		270
390		1090	476		60
41	33	1833	477		215
410	33	1833	49	725	837
42	516	581	491	62	63
421	382	358	492	96	44
422	100	155	493	567	730
429	34	68	50	246	850
43	450	1506	502	232	850
431	56	91	51	15	1354
432	103	343	511		398
433	46	241	512	15	956
439	245	831	52	21240	34284
45	84534	169671	521	21189	28737

_		
- 1	ानयाजन	
_		

सारणी 1.1 (क) Table 1.1(a)

Table 1.1(a)						
1	2	3	1	2	3	
522	51	5547	712	88	978	
55	1299	1275	72	4078	7663	
551	1299	1275	721	3973	6707	
56	76	144	722	105	956	
561	36	36	73	52	52	
562	40	108	731	52	52	
58	1197	3460	74	113	443	
581	1099	3447	741	8	8	
582	98	13	742	58	435	
59	884	836	749	47		
591	636	795	75	10	10	
592	248	41	750	10	10	
60		50	77		11	
601		50	773		11	
61		251	80		20	
611		16	801		20	
612		185	81		185	
619		50	813		185	
62	307	832	82	1098	2603	
620	307	832	829	1098	2603	
63	200	160	84		317	
631	100	160	841		259	
66		27	842		58	
661		27	85		71	
69	70	67	852		71	
692	70	67	853		-	
70		173	86	81	349	
701		123	861	24	24	
702		50	862	12	50	
71	88	1212	869	45	275	
711		234	87	9	61	

_	0	`	
1	ानः	याउ	ान

सारणी 1.1 (क) Table 1.1(a)

Table 1.1(a)					
1	2	3			
872	9	11			
879		50			
90	20	58			
900	20	58			
92	3				
920	3				
93	688	1031			
931		1031			
932	688				
95	2253	5339			
951	113	1413			
952	2140	3926			
96	824	1361			
960	750	1287			
98		54			
982		54			
99	80	22			
990	80	22			
योग Total	3659137	6367027			

Total 3659137 - 6367027 स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संगिध क्षेत्रों से ग्राप्त विवरणियां)

Source: Labour Bureau(Returns received from different States / UTs under Factories Act, 1948)

टिप्पणः 1. योग उद्योग संकेतांक के दो अंक स्तर पर आधारित हैं।

Note:1. The totals are based on 2 digit level of industry codes

- 2. उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध में देखें।
- 2. For details of Industry Codes please see Annexure
- 3. आंकडे राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।
- 3. Data based on the returns received from States/U.Ts

1 EMPLOYMENT 1 नियोजन

1.1(ख) राज्यवार पंजीकृत कारखानों, चालू कारखानों, विवरणियां भेजने वाले कारखानों और नियोजित कर्मकारों की संख्या 1.1(b) State-wise Number of Registered Factories, Working Factories, Factories submitting returns and Workers Employed (अनुमानित) (Estimated)

कारखानों की संख्या Number of Factories						
राज्य/ संघ	पंजीकृत कारखाने	चालू कारखाने	विवरणियां भेजने	नियोजित कर्मकार	State/Union Territory	
राज्य	Regis-	Working	वाले	Workers		
क्षेत्र	tered	Factories	Sub-	employ-		
	Facto- ries		mitting	yed (000's)		
	ries		returns	(000 S)		
1	2	3	4	5	1	
2013						
आंध्र प्रदेश	26494	21129	7393	345	Andhra	
					Pradesh	
असम	5233	4093	358	39	Assam	
बिहार	9548	9318	123	16	Bihar	
चण्डीगढ	425	425	158	8	Chandigarh	
छत्तीसगढ़	3437	3437	360	115	Chhattisgarh	
गोवा	705	704	583	65	Goa	
हरियाणा	11271	11271	1034	204	Haryana	
झारखण्ड	6651	5674	73	39	Jharkhand	
मेघालय	152	152	24	3	Meghalaya	

4			_		_
	1	1	य	7	न

सारणी 1.1 (ख) Table 1.1(b)

1	2	3	4	5	1
पुडुचेरी	2902	2035	254	27	Puducherry
राजस्थान	12932	12932	1892	167	Rajasthan
तेलंगाना	19649	14790	5008	267	Telangana
त्रिपुरा	1533	1533	404	16	Tripura
योग	100932	87493	17664	1312	Total
<u>2014</u>					
आंध्र प्रदेश	26936	21145	7775	353	Andhra Pradesh
असम	5537	4412	435	45	Assam
बिहार	10055	9825	60	5	Bihar
छत्तीसगढ़	3699	3699	340	129	Chhattisgarh
गोवा	734	733	553	65	Goa
हरियाणा	11332	11332	958	186	Haryana
हिमाचल प्रदेश	4850	4846	1574	147	Himachal Pradesh
झारखण्ड	6857	5680	53	51	Jharkhand
महाराष्ट	38984	36878	19644	1401	Maharashtra

Q

सारणी 1.1 (ख) Table 1.1(b)

1	2	3	4	5	1
मेघालय नागालैंड	160 698	160 698	20	3	Meghalaya Nagaland
पुडुचेरी	2950	1982	193	25	Puducherry
राजस्थान तेलंगाना	13268 18915	12906 14901	1891 5197	167 299	Rajasthan Telangana
त्रिपुरा अ० नि० द्वीप	1581 52	1581 52	315 36	11 5	Tripura A & N
समूह चण्डीगढ	425	425	101	5	Islands Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली	6059	4716	378	127	D & Nagar Haveli and
व दमन एवं दीव					Daman & Diu
योग	153092	135971	39527	3026	Total

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (कारसाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संपीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियां)
Source: Labour Bureau(Returns received from different States / UTs under

हिप्पण: 1.चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप ,मिजोरम एव सिकिकम में कारखाना अधिनियम 1948 लाग नहीं है।

Note: 1. आर राज्या/ सप राज्य क्षत्रा थया अरुणाचल प्रदश्च, लक्षदीप ,मजोरम एव सिहि में कारखाना अधिनयम, 1948 लागू नहीं है। Note: 1. The Factory Act 1948, is not implemented in four States/Union Territories namely Arunachal Pradesh , Lakshadweep, Mizoram & Sikkim.

शेष रह गए राज्यों/संघीय क्षेत्रों से आंकडें प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. Data not received from rest of the States /Union Territories

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

1.1(ग) विवरणियां भेजने वाले कारखानों में औसत दैनिक नियोजन आयु एवं लिंग अनुसार 1.1(c) Average Daily Employment in Factories Submitting Returns By Age and Sex

राज्य/ संघ		औसत दैनिक नियोजन						es / Union
राज्य क्षेत्र				Emplo			Territorry	
		स्क	किशं			गालक		
		ult	Adoles			ildren		
	पुरुष	्स्त्री	पुरुष	्स्त्री		लडिकयां		
1	Male 2	Female 3	Male 4	Female 5	Boys 6	Girls 7	Total 8	1
1		3	4	3	0	/	0	1
2013								
आंध्र प्रदेश	286951	58280	-	=	-	-	345231	Andhra Pradesh
असम	34665	4636	66	79	-	-	39446	Assam
बिहार	15470	306	-	-	-	-	15776	Bihar
चण्डीगढ	7064	450	-	-	-	-	7514	Chandigarh
छत्तीसगढ़	112457	2938	-	-	-	-	115395	Chhattisgar
गोवा	53928	11135	-	-	-	-	65063	Goa
हरियाणा	191125	12771	-	-	-	-	203896	Haryana
झारखण्ड	37208	1576	-	-	-	-	38784	Jharkhand
मेघालय	3032	419	-	-	-	-	3451	Meghalaya
पुडुचेरी	21605	5487	-	-	-	-	27092	Puducherry
राजस्थान	160404	6949	-	-	-	-	167353	Rajasthan
तेलंगाना	234147	32896	_	_	-	_	267043	Telangana

_	~~
1	नियाजन
_	

सारणी 1.1 (ग) Table 1.1(c)

1	2	3	4	5	6	7	8	1
त्रिपुरा	12714	3668	_	_	_		- 16382	Tripura
योग	1170770	141511	66	79	-		- 1312426	Total
-								
2014								
आंध्र प्रदेश	292300	60973	-	-	-		- 353273	Andhra Pradesh
असम	40425	4448	76	89	-		- 45038	Assam
बिहार	5386	37	-	-	-		- 5423	Bihar
छत्तीसगढ़	126134	3075	-	-	-		- 129209	Chhattisgarh
गोवा	53812	11518	-	-	-		- 65330	Goa
हरियाणा	173625	12057	-	-	-		- 185682	Haryana
हिमाचल प्रदेश	136381	10466	-	-	-		- 146847	Himachal Pradesh
झारखण्ड	49298	1904	-	-	-		- 51202	Jharkhand
महाराष्ट्र	1301775	97719	1684	75	-		- 1401253	Maharashtra
मेघालय	2951	537	-	-	-		- 3488	Meghalaya
नागालैंड	620	150	-	-	-		- 770	Nagaland
पुडुचेरी	20020	4824	-	-	-		- 24844	Puducherry
राजस्थान	160382	6968	-	-	-		- 167350	Rajasthan

सारणी 1.1 (ग) Table 1.1(c)

1	2	3	4	5	6	7	8	1
तेलंगाना	261506	37228	-	-	-		- 298734	Telangana
त्रिपुरा	8444	2871	-	-	-		- 11315	Tripura
अ० नि०	4314	260	-	-	-		- 4574	A & N Islands
द्वीप समूह								Islanus
चण्डीगढ़	4539	317	-	-	-		- 4856	Chandigarh
दादर एवं	84862	41798	-	-	-		- 126600	D & Nagar
नगर हवेली								Haveli and
व दमन								Daman &
एवं दीव								Diu
गोग	2726774	297150	1760	164	_		- 3025848	Total

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received from different States / U.Ts under

टिप्पण:

Factories Act, 1948)
1 चार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों यथा अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप, मिजोरम एवं सिक्किम
में कारखाना अधिनियम, 1948 लागू नहीं है।
1 The Factory Act 1948, is not implemented in four States/Union
Territories namely Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram and Sikkim. 2 शेष रह गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकडें प्राप्त नहीं हुए हैं। 2 Data not received from rest of the States /Union Territories.

1.2 मुख्य बागानों मे नियोजित कर्मकारों की औसत संख्या Table 1.2 Average Number of Workers Employed in Major Plantations ('000 में) (in 000's)

	चाय	कॉफी	रबड़	
वर्ष / राज्य	Tea	Coffee	Rubber	Year/State
1	2	3	4	1
2006	422	18	26	2006
2007	610	19	18	2007
2008	714	22	17	2008
2009	720	20	20	2009
2010	630	13	15	2010
2011	697	17	18	2011
2012	634	16	16	2012
2013	846	17	15	2013
2014	719	13	16	2014
013				
असम	650.6	-	-	Assam
हेमाचल प्रदेश	@	-	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	1.1	10.3	1.1	Karnataka
केरल	23.5	1.1	10.2	Kerala
तमिल नाडु	41.3	5.2	2.9	Tamil Nadu
त्रिपुरा	5.6	-	0.6	Tripura
उत्तराखण्ड	1.2	-	-	Uttarakhand
पश्चिम बंगाल	122.7	-	-	West Bengal
अ० एवं नि०	_	_	@	A & N Islands

सारणी 1.2 Table 1.2

1	2	Table 1.2	4	1
1				
<u>2014</u>				
असम	532.8	-	-	Assam
हिमाचल प्रदेश	0.1	-	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	0.9	7.1	1.4	Karnataka
केरल	24.4	0.6	9.1	Kerala
तमिल नाडु	39.8	5.5	2.9	Tamil Nadu
त्रिपुरा	7.6	-	2.2	Tripura
उत्तराखण्ड	1.8	-	-	Uttarakhand
पश्चिम बंगाल	111.2	-	-	West Bengal
अ० एवं नि० द्वीप	-	-	0.4	A & N Islands
समूह				

सभूह स्त्रोत: श्रम ब्यूरो (बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अर्न्तगत विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों से प्राप्त विविरणियां)

Source: Labour Bureau (Returns received from different States/ UTs under Plantations Labour Act, 1951)

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

1.3 विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियोजन Table 1.3 Employment covered under various Acts

अधिनियम का नाम	इकाइयों	विवरणियां	औसत	Name of the Act
	की	भेजने वाली	नियोज	न
	संख्या	इकाइयां	Averag	
	No. of	Units	employ	•
	units	submitting	ment	
		returns		
1	2	3	4	1
<u>2013</u>				
बागान श्रम अधिनियम 1951	3796	1879	883088	Plantations Labour Act, 1951
मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961	86247	20836	611087	Maternity Benefit Act, 1961
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961	118760	25785	555999	Motor Transport Workers Act, 1961
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923	68336	6770	3980568	Employee's Compensation Act, 1923
औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946	75044	19977	3801341	Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम		8336637	15480668	Shops & Commercial Establishments Act

सारणी 1.3 Table 1.3

		Table 1	1.3	
1	2	3	4	1
2014				
बागान श्रम अधिनियम 1951	3811	1816	755839	Plantations Labour Act, 1951
मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961	149231	27560	799142	Maternity Benefit Act, 1961
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961	132407	25250	782862	Motor Transport Workers Act, 1961
कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923	75491	11237	4156885	Employee's Compensation Act, 1923
औद्योगिाक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946	75743	26766	4554179	Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम		7896718	17084166	Shops & Commercial Establishments Act

स्त्रोत: श्रम ब्यूरो (विभिन्न अधिनियमों के अन्तंगत राज्यों/संघ क्षेत्रों से प्राप्त विविरणियां) Source : Labour Bureau (Returns received under different Acts from States/ UTs)

टिप्पणी :आंकडे केवल उन राज्यों/संघ क्षेत्रों से संबन्धित हैं जिन्होने विवरिणयां भेजी हैं। Note: Data relate to only those States/UTs which have submitted the returns.

1 नियोजन

1.4-यू पी एस विधी पर आधारित 15 वर्ष एव उससे अधिक उम्र के लिये श्रम शक्ति भागीदारी दर, कर्मकार जनसंख्या दर एवं बेरोजगारी दर (प्रतिशत्त प्रति 1000 व्यक्ति) 1.4- Labour Force Participation Rate, Worker Population Rate and Unemployment Rate based on UPS approach for persons aged 15 years and above (percent per 1000 persons)

रो	जगार बेरोजगार सर्वे			nt Survey			
	दूसरा दौर	तीसरा दौर	चौथा दौर	पांचवां दौर			
	Second Round	Third Round	Fourth Round	Fifth Round			
	(2011-12)	(2012-13)	(2013-14)	(2015-16)			
1	2	3	4	5			
	श्रम शक्ति भ		our Force Partici	pation Rate			
		(ग्रामीण)	(Rural)				
पु M	78.8	78.0	74.7	77.3			
म F	28.0	24.8	29.1	26.7			
कि T	-	-	-	51.1			
च P	54.8	52.8	54.7	53.0			
		(शहरी) (Urt	oan)				
gМ	73.3	73.0	73.8	69.1			
म F	17.9	16.9	18.5	16.2			
कि T	-	-	-	41.2			
च P	47.2	46.1	47.2	43.5			
	(ग्रामीण + शहरी) <i>(</i> Rural + Urban)						
y М	77.4	76.6	74.4	75.0			
म F	25.4	22.6	25.8	23.7			
कि Т	-	-	-	48.0			
च P	52.9	50.9	52.5	50.3			

1 नियोजन		1 EMPLOYMENT
	सारणी 1.4	

	TABLE 1.4							
1	2	3	4	5				
	कर्मकार जनसंख्या दर Worker Population Rate (ग्रामीण) (Rural)							
g М	76.6	74.9	71.6	74.1				
म F	26.5	23.4	27.2	24.6				
कि T	-	-	-	50.0				
व P	52.9	50.5	52.1	50.4				
		(शहरी Ur	ban)					
yМ	70.9	69.9	70.9	66.8				
म F	15.7	14.7	16.2	14.3				
कि T	-	-	-	36.9				
व P	44.9	43.5	44.6	41.4				
	(ग्र	ामीण + शहरी R	ural + Urban)					
y М	75.1	73.5	71.4	72.1				
म F	23.6	20.9	23.8	21.7				
कि T	-	-	-	45.9				
च P	50.8	48.5	49.9	47.8				

10			
ी नियोज	न		

1 ानयाजन			11	WII LOTWIENT
		सारणी 1.4		
1	2	TABLE 1.4	4	5
1		बेरोजगारी दर nemployment Rate (ग्रामीण) (Rural)	4	
y М	2.7	4.0	4.2	4.2
म F	5.6	5.8	6.4	7.8
कि T	-	-	-	2.1
च P	3.4	4.4	4.7	5.1
		शहरी Urban		
y М	3.4	4.2	3.9	3.3
म F	12.5	12.8	12.4	12.1
कि T	-	-	-	10.3
च P	5.0	5.7	5.5	4.9
	(ग्रामीण +	- शहरी Rural + U	rban)	
y М	2.9	4.0	4.1	4.0
म F	6.9	7.2	7.7	8.7
कि T	-	-	-	4.3
च P	3.8	4.7	4.9	5.0
पु = पुरुष M = Male	म = महिला F = Female	कि = किन्नर T = Transgender	So	स्त्रोत : श्रम ब्यूरे ource : Labour Burea व= व्यक्ति P = Person

1 नियोजन

1 EMPLOYMENT

सारणी 1.5 - क्षेत्रवार स्व नियोजित एवं कर्मचारीयों के वितरण की प्रतिशतता
TABLE 1.5- Sector wise percentage distribution of Self Employed &
Employees (1 अप्रैल, 2016) (1st April, 2016)

क्षेत्र Sector	Employ	जन (लाखों में /ment (in lak	नियोजन में अनुभाग का कुल जोड़ में प्रतिशतता percentage share of section in total in Employment		
	स्व नियोजित	कर्मचारी	जोड	स्य नियोजित	कर्मचारी
	Self Employed	Employees	Total	Self Employed	Employees
विनिर्माण Manufacturing	2.79	98.38	101.17	2.76	97.24
निर्माण Construction	0.10	3.57	3.67	2.72	97.28
व्यापार Trade	0.77	13.68	14.45	5.33	94.67
परिवहन Transport आवास एव रेस्तरां	0.09	5.71	5.80	1.55	98.45
Accomodation & Restaurant	0.50	7.24	7.74	6.46	93.54
आई टी/बी पी ओ IT/BPO	0.05	10.31	10.36	0.48	99.52
शिक्षा Education	0.95	49.03	49.98	1.90	98.10
स्वास्थय Health	0.31	11.74	12.05	2.57	97.43
जोड Total	5.56	199.66	205.22	2.71	97.29

स्त्रोत :श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

2.1 विर्निमाणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन

2.1 Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries

	2013	2014	
कर्मचारियों की संख्या	482	624	Number of employees
(000 में)			(in 000's)
कुल मजदूरी बिल	469313	667167	Total Wage Bill
(रुपये लाख में)			(Rs in lakh)
प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक	97281	106853	Per Capita Average Annual
उपार्जन (रुपये)			Earnings (Rs.)

स्त्रोत : श्रम. ब्यूरो

Source Labour Bureau

- 1 केन्द्रीय श्रमआयुक्त कार्यालय,अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मु एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्कम, तिमलनाडू, उत्तर प्रदेश, पिष्टचम बंगाल, चण्डीगढ़, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, लक्षदीव व पुडुचेरी से वर्ष 2013 के लिए प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।
- 1 The returns were not received from Central Labour Commissioner, Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Gujarat, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu. Uttar Pradesh, West Bengal, Chandigarh, D&N Haveli, Delhi, Lakshadweep and Pudducherry for the year 2013
- ने केन्द्रीय श्रम आयुक्त, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मु एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिज़ेरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्कम, उत्तराखण्ड,, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नगर हवेली, दिल्ली, लक्षदीव व पुडुचेरी से वर्ष 2014 के लिए प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।
- 2 The returns were not received from Central Labour Commissioner, Arunachal Pradesh, Gujarat, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Punjab, Sikkim, Uttarakhand. Uttar Pradesh, West Bengal, , D&N Haveli, Delhi, Lakshadweep and Puducherry for the year 2014

2.2 विर्निमाणकारी उद्योगों में नियोजित कर्मकारों का औसत वार्षिक उपार्जन (उद्योगानुसार) 2.2 Average Annual Earnings of Workers Employed in Manufacturing Industries (By Industry)

(रुपयों में) (in rupees)

कोड सं० Code No.	2013	2014
1	2	3
10	90320	115460
11	85031	104228
12	64755	105904
13	71109	86736
14	90433	110899
15	81875	104740
16	86353	110554
17	183249	108501
18	101906	94436
19	71773	107040
20	88757	105414
21	102429	92149
22	107719	101082

सारणी 2.2

	Table 2.2	
1	2	3
23	117841	107489
24	96455	101746
25	100352	118191
26	91931	96557
27	104157	104548
28	106119	135773
29	109897	117954
30	148563	138925
31	100643	102703
32	80274	82829
समस्त उद्योग All Industries	97281	106853

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

स्त्रात : अम ब्यूरो Source : Labour Bureau टिप्पण: मजदूरी की अधिकतम सीमा रु 10000 से रु 18000 प्रति माह 11 सितम्बर, 2012 से बढ़ा दि गई थी। Note : Wage ceiling was enhanced from Rs 10000/- to Rs 18000 p.m. from 11th September, 2012. उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध में देखें। For details of Industry Codes please see Annexure.

2.3 अकुशल श्रमिकों हेतु प्रति दिवस न्यूनतम एवं अधिकतम मजदूरी (31 दिसम्बर को) 2.3 Minimum and Maximum Wages per day for unskilled workers (as on 31st December)

केन्द्रीय	अनुसुचित	रोजगारों		तम एवं अधि	
सरकार/	संख्या जिन	्हेतु न्यून		जदूरी प्रति	
राज्य/संघ	•	निधीरित /	,	(रुपयों में)	State/ Union Territory
राज्य क्षेत्र	संशोधि	,		Iinimum a	na
		Schedule		iximum Wa	C
		yments ii		er day (in R	· ·
		minimun		<u>N</u> <u>N</u>	<u>IAX</u>
	wages fix				
1	-	2	3	4	1
<u>2013</u>					
मु०श्र०आ० (के	न्द्रिय)	45	165.26	377.00	CLC (Central)
आन्ध्र प्रदेश		73	69.27	335.31	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	Т	30	80.00	80.00	Arunachal Pradesh
असम		105	72.00	160.00	Assam
बिहार		88	163.00	176.00	Bihar
छत्तीसगढ़		46	198.57	200.07	Chhattisgarh
गोवा		21	150.00	150.00	Goa
गुजरात		54	100.00	248.00	Gujarat
हरियाणा		50	205.44	205.44	Haryana
हिमाचल प्रदेश		12	150.00	150.00	Himachal Pradesh
जम्मु एवं कर्श्म	ोर	28	150.00	150.00	Jammu & Kashmir
झारखण्ड		88	167.17	167.17	Jharkhand
कर्नाटक		79	196.65	314.93	Karnataka

सारणी 2.3

		Table 2.3		
1	2	3	4	1
केरल	73	150.00	532.50	Kerala
मध्य प्रदेश	38	148.00	212.00	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	67	100.00	368.00	Maharashtra
मेघालय	28	100.00	100.00	Meghalaya
मणिपुर	15	122.10	122.10	Manipur
मिजोरम	1	220.00	220.00	Mizoram
नागालैंड	54	115.00	115.00	Nagaland
ओड़िशा	84	126.00	150.00	Odisha
पंजाब	71	240.64	250.64	Punjab
राजस्थान	62	120.54	222.39	Rajasthan
सिक्किम	26	200.00	200.00	Sikkim
तमिलनाडू	73	85.00	389.85	Tamil Nadu
त्रिपुरा +	22	61.39	218.65	Tripura+
उत्तराखण्ड	58	144.05	231.35	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	64	142.00	241.36	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	56	131.46	220.73	West Bengal
अ एवं नि द्वीव समूह	7	241.00	271.00	A & N Islands
चण्डीगढ	44	282.76	282.76	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली	56	196.20	196.20	D & N Haveli
दमन एवं दीव	72	196.20	196.20	Daman & Diu
दिल्ली	29	311.00	311.00	Delhi
लक्षदीप	9	254.80	254.80	Lakshadweep
पुडुचेरी	26	55.00	205.00	Puducherry

सारणी 2.3

		Table 2.3		
1	2	3	4	1
2014				
मु०श्र०आ० (केन्द्रिय)	45	176.73	377.00	CLC (Central)
आन्ध्र प्रदेश	73	69.27	354.81	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	30	150.00	150.00	Arunachal Pradesh
असम	102	75.00	163.47	Assam
बिहार	88	170.00	186.00	Bihar
छत्तीसगढ़	46	213.69	222.69	Chhattisgarh
गोवा	21	215.00	215.00	Goa
गुजरात	56	100.00	276.00	Gujarat
हरियाणा	50	216.90	216.90	Haryana
हिमाचल प्रदेश	12	170.00	170.00	Himachal Pradesh
जम्मु एवं कश्मीर	28	150.00	150.00	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	88	178.67	178.67	Jharkhand
कर्नाटक	80	213.00	336.44	Karnataka
केरल	73	150.00	547.80	Kerala
मध्य प्रदेश	64	187.00	253.00	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	67	120.00	439.35	Maharashtra
मेघालय	28	160.00	160.00	Meghalaya
मणिपुर	15	122.10	122.10	Manipur
मिजोरम	1	220.00	220.00	Mizoram
नागालैंड	54	115.00	135.00	Nagaland
ओड़िशा	88	126.00	150.00	Odisha
पंजाब	71	256.52	266.52	Punjab
राजस्थान	62	189.00	232.84	Rajasthan

सारणी 2.3

		Table 2.3		
1	2	3	4	1
सिक्किम	26	220.00	220.00	Sikkim
तमिलनाडू	73	85.00	389.85	Tamil Nadu
त्रिपुरा +	24	71.98	271.86	Tripura+
तेलंगाना	73	69.27	380.49	Telangana
उत्तराखण्ड	58	151.80	268.00	Uttarakhand
उत्तर प्रदेश	64	142.00	246.75	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	61	162.88	257.00	West Bengal
अ एवं नि द्वीव समूह	7	261.00	291.00	A & N Islands
चण्डीगढ	44	209.80	305.38	Chandigarh
दादर एवं नगर	56	209.80	209.80	D & N Haveli
हवेली				
दमन एवं दीव	72	209.80	209.80	Daman & Diu
दिल्ली	29	332.00	332.00	Delhi
लक्षदीप	9	255.20	255.20	Lakshadweep
पुडुचेरी	29	55.00	205.00	Puducherry

स्त्रोत :न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियां Source : Annual Return under the Minimum wages Act, 1948 + = खाद्य पदार्थ सहायकी दरों पर

⁺ = Plus food items at subsidized rates

3 मूल्य 3 PRICES

3.1 (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए वार्षिक औसत एवं माहवार अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001=100 3.1 (a) Annual Average and month-wise All-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on Base 2001=100

वर्ष/माह	सामान्य	सूचकांक	खाद्य स्	रूचकांक	Year/Month
	Genera	1 Index	Food	Index	
	2015	2016	2015	2016	
1	2	3	4	5	1
जनवरी	254	269	276	297	January
फरवरी	253	267	275	292	February
मार्च	254	268	276	293	March
अप्रैल	256	271	278	299	April
मई	258	275	283	307	May
जून	261	277	288	312	June
जुलाई	263	280	289	316	July
अगस्त	264	278	292	310	August
सितम्बर	266	277	296	308	September

3 मूल्य 3 PRICES

	सारणे 3.1 (क) Table 3.1 (a)						
1	2	3	4	5	1		
अक्तूबर	269	278	301	310	October		
नवम्बर	270	277	302	307	November		
दिसम्बर	269	275	299	301	December		
(वार्षिक औसत्त)	261	274	288	304	(Annual Average)		

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau

टिप्पण :

- Note :
 i) औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2001=100 की नई श्रृंखला जनवरी, 2006 से अवमुक्त की गई है।
 - i) New series of Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base 2001=100 has been released w.e.f. January, 2006.
 - ii) 2001 एवं 1982 श्रंखला के मध्य सामान्य सूचकांक और खाद्य सूचकांक के योजक घटक क्रमश: 4.63 और 4.58 है
 - ii) The linking factors between 2001 and 1982 series are 4.63 and 4.58 for General Index and Food Index respectively.

3 PRICES 3 मूल्य

3.1 (ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 2001=100 (केन्द्रवार वार्षिक औसत)
3.1 (b) Consumer Price Index Numbers(General) for Industrial Workers on Base 2001=100 (Centre-wise Annual Average)

केन्द्र	1982=100 श्रृंखलां के	2015	2016	Centre
	साथ योजक			
	घटक			
	Linking			
	Factor with			
	1982=100			
	series			
1	2	3	4	1
गोदावरीखानी	+	274	287	Godavarikhani
गुन्टूर	4.57	259	270	Guntur
हैदराबाद	4.79	228	240	Hyderabad
विजयवाडा	+	251	267	Vijaywada
विशाखापत्तनम	4.64	263	275	Vishakhapathnam
वारंगल	4.75	272	287	Warangal
डुमडुमा तिनसुकिया	4.04	235	246	Doom Dooma Tinsukia
गुवाहाटी	4.80	226	242	Guwahati
लंबाक सिल्चर	3.65	247	257	Labac Silcher
मरियानी जोरहाट	4.01	230	241	Mariani Jorhat
रंगापारा तेजपुर	4.17	228	238	Rangapara Tejpur
मुंगेर जमालपुर	4.30	274	297	Mungher Jamalpur
चण्डीगढ	5.26	254	269	Chandigarh
4*01*16				

3 मूल्य 3 PRICES

सारणी 3.1 (ख)

Table 3.1(b)						
1	2	3	4	1		
दिल्ली	5.60	234	246	Delhi		
गोवा	5.59	276	289	Goa		
अहमदाबाद	4.62	249	261	Ahmedabad		
भावनगर	4.76	239	257	Bhavnagar		
राजकोट	4.38	248	269	Rajkot		
सूरत	4.54	238	248	Surat		
बड़ोदरा	4.39	244	261	Vadodara		
फरीदाबाद	4.79	240	253	Faridabad		
यमुनानगर	4.34	248	265	Yamunanagar		
हिमाचल प्रदेश	4.53	232	242	Himachal Pradesh		
श्रीनगर	5.62	235	247	Srinagar		
बोकारो	+	268	276	Bokaro		
गिरिडीह	+	289	295	Giridih		
जमशेदपुर	4.23	288	314	Jamshedpur		
झरिया	3.72	290	304	Jharia		
कोडरमा	3.89	297	319	Kodarma		
रांची हाटिया	4.20	297	305	Ranchi Hatia		
बेंगलुरु	4.51	268	278	Bengaluru		
बेलगाम	5.02	266	279	Belgaum		
हुबली धारवाड़	4.71	281	293	Hubli Dharwar		
मरकारा	4.47	269	282	Mercara		
मैसूर	+	267	280	Mysore		
एरनाकुलम	4.52	260	268	Ernakulam		
मुण्डाक्याम	4.37	274	280	Mundakkayam		

3 मूल्य 3 PRICES

सारणी 3.1 (ख)

		Table 3.1(b)	
1	2	3	4	1
क्विलोन	4.61	277	297	Quilon
भोपाल	4.83	260	271	Bhopal
छिंदवाडा	4.03	262	281	Chhindwara
इन्दौर	4.73	243	252	Indore
जबलपुर	4.53	256	274	Jabalpur
मुम्बई	5.18	276	287	Mumbai
नागपुर	4.68	294	306	Nagpur
नासिक	4.94	271	285	Nasik
पुणे	4.96	266	277	Pune
शोलापुर	4.73	281	293	Sholapur
अंगुल तलछर	+	265	284	Angul Talcher
राउरकेला	4.03	270	289	Rourkela
पुडुचेरी	4.88	271	286	Puducherry
अमृतसर	4.09	263	271	Amritsar
जालंधर	+	250	270	Jalandhar
लुधियाना	4.12	251	273	Ludhiana
अजमेर	4.78	248	256	Ajmer
भीलवाडा़	4.62	259	269	Bhilwara
जयपुर	4.25	245	257	Jaipur
चेन्नई	4.95	248	255	Chennai
कोयम्बटूर	4.49	243	250	Coimbatore
कुनूर	4.58	261	272	Coonoor
मदुराई	4.51	259	265	Madurai
सेलम	4.45	254	268	Salem

3 PRICES 3 मूल्य

सारणी 3.1 (ख)

Table 3.1(b)						
1	2	3	4	1		
तिरूचिरापल्ली	5.01	261	266	Tiruchirapally		
त्रिपुरा	4.17	227	244	Tripura		
आगरा	4.36	269	291	Agra		
गाजियाबाद	4.78	256	270	Ghaziabad		
कानपुर	4.50	268	285	Kanpur		
लखनऊ	+	261	274	Lucknow		
वाराणसी	4.96	265	278	Varanasi		
आसनसोल	4.37	290	303	Asansol		
दार्जिलिंग	3.80	239	253	Darjeeling		
दुर्गापुर	5.13	287	298	Durgapur		
हल्दिया	5.64	275	302	Haldia		
हावड़ा	5.42	240	258	Howrah		
जलपाईगुड़ी	3.96	252	266	Jalpaiguri		
कोलकात्ता	5.12	251	261	Kolkata		
रानीगंज	4.02	236	253	Raniganj		
सिलीगुड़ी	+	241	252	Siliguri		

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो

Source : Labour Bureau + = आधार 2001 = 100 पर नई श्रंबला में नए केन्द्र शामिल किए गए हैं। + = New centres included in the new series on base 2001=100

3 मूल्य 3 PRICES

3.2 कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1986-87=100 (जुलाई से जून)

3.2 Average Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers on Base 1986-87=100 (July to June)

राज्य	कृषि श्रमिक Agricultural		ग्रामीण	श्रमिक	State
			Ru	ral	
		urers		urers	_
	2014-	2015-	2014-	2015-	
	2015	2016	2015	2016	
1	2	3	4	5	1
आन्ध्र प्रदेश	873	930	870	927	Andhra
					Pradesh
असम	789	803	796	813	Assam
बिहार	718	726	724	732	Bihar
गुजरात	822	876	821	877	Gujarat
हरियाणा	898	931	893	930	Haryana
हिमाचल प्रदेश	660	690	696	728	Himachal Pradesh
जम्मू एवं कश्मीर	765	791	760	788	Jammu & Kashmir
कर्नाटक	877	949	871	946	Karnataka
केरल	840	877	848	896	Kerala
मध्य प्रदेश	737	771	759	794	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	861	912	857	906	Maharashtra
मणिपुर	787	811	790	814	Manipur

3 मूल्य	3 PRICES
---------	----------

सारणी 3.2									
Table 3.2									
1	2	3	4	5	1				
मेघालय	794	831	792	832	Meghalaya				
ओडिशा	764	741	764	742	Odisha				
पंजाब	865	894	860	894	Punjab				
राजस्थान	870	915	854	898	Rajasthan				
तमिलनाडु	829	901	824	893	Tamil Nadu				
त्रिपुरा	730	764	723	760	Tripura				
उत्तर प्रदेश	766	817	764	812	Uttar Pradesh				
पश्चिम बंगाल	755	760	765	774	West Bengal				
अखिल भारत	808	847	811	852	All India				

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो Source : Labour Bureau

4 TRADE UNIONS

4.1 व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता में वृद्धि 4.1 Growth of Trade Unions and their Membership

	2013	2014	
पंजीकृत श्रमिक संघों की संख्य	П	Number o	of registered Trade Unions
(क) नियोजन कर्ता संघ	+	+	a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	11556	12486	b)Workers' Trade Unions
योग	11556	12486	Total
विवरणियां भेजने वाले संघों की संख्या			Number of unions submitting returns
(क) नियोजन कर्ता संघ	+	+	(a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	2534	4359	(b)Workers' Unions
योग	2534	4359	Total
विवरणियां भेजने वाले संघों की सदस्यता (०००')			Tembership of Unions abmitting returns ('000)
(क) नियोजन कर्ता संघ	+	+	(a)Employers' Unions
(ख) कर्मकार व्यवसाय संघ	3231	7885	(b)Workers' Unions
योग	3231	7885	Total
प्रति संघ औसत सदस्यता	1275	1809	Average Membership per Union

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (श्रमिक व्यवसाय संघ 1926 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक विवरणियां) Source : Labour Bureau (Annual Returns received under the Trade Unions Act,

+प्रतिवेदन नहीं किया + Not Reported आंकडें केवल उत्तर देने वाले राज्यो/संघ शासित प्रदेशों पर आधारित है।। Figures based on responding States/UTs only.

4 TRADE UNIONS

4.2 विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों एवं उनकी सदस्यता

4.2 विवर्गणया भजन वाल व्यवसाय संघा एवं उनका सदस्यता (उद्योगानुसार) 4.2 Number and Membership of Trade Unions Submitting Returns (By Industry)

रा० व० 2			कार संघ ers' Unio			समस्त All Un			NIC 2008
संख्या Number						या ber	सदस्यत ('000 में Member (in 000	Ť) ship	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
क	92	205	220	2074	92	205	220	2074	A
ख	72	74	53	83	72	74	53	83	В
η	1025	1646	735	1296	1025	1646	735	1296	C
घ	69	74	192	86	69	74	192	86	D
ङ	68	86	10	30	68	86	10	30	E
च	111	269	329	1167	111	269	329	1167	F
छ	56	186	98	218	56	186	98	218	G
ज	218	568	387	955	218	568	387	955	Н

सारणी 4.2

				Tabl	e 4.2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
झ	60	82	56	56	60	82	56	56	I
ञ	46	94	67	81	46	94	67	81	J
ट	161	217	123	169	161	217	123	169	K
ਠ	3	-	2	-	3	-	2	-	L
ਵ	12	39	2	106	12	39	2	106	M
ढ	39	47	16	50	39	47	16	50	N
σ	118	161	44	102	118	161	44	102	О
त	42	61	31	23	42	61	31	23	P
थ	49	87	99	144	49	87	99	144	Q
द	16	38	2	34	16	38	2	34	R
ध	72	192	136	397	72	192	136	397	S
न	159	186	57	25	159	186	57	25	T
प	46	47	572	789	46	47	572	789	U
योग	2534	4359	3231	7885	2534	4359	3231	7885	Total

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (श्रमिक व्यवसाय संघ 1926 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक विवरणियां) Source : Labour Bureau (Annual Returns received under the Trade Unions Act, 1926)

उद्योग संकेतों का विवरण कृप्या अनुबन्ध में देखें। For details of Industry Codes please see Annexure.

5.1 औद्योगिक विवादों के कारण कार्य स्थगन 5.1 Industrial Disputes Resulting in Work Stoppages

	2014	2015*	
विवादों की संख्या	287	128	No. of Disputes
अन्तर्गस्त कर्मकारों की संख्या('000 में)	1159	744	No. of Workers Involved (000's)
श्रम-दिनों की हानि ('000 में)	11095	3063	Mandays Lost ('000's)
मजदूरी की हानि	224.44	124.93	Wages Lost
(रुपये करोड़ में)	(85)	(72)	(Rs. in crore)
उत्पादन हानि (रुपये करोड़ में)	219.92 (53)	388.82 (46)	Value of Production Loss (Rs. In crore)

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दशाते है।

Note: Figures in brackets indicate the number of cases to which the information relates.

	2014	2015*	2014	2015*	
उद्योग	औद्योगिक '	विवादों के	औद्योगिक विव	ादों के	Industry
संकेतांक	कार	्ण	अतिरिक्त अन्य	कारण	Code
रा औ सं	Due to in	dustrial	Due to rea	sons	NIC
2008	dispu	ıtes	other than inc		2008
			dispute		
1	2	3	4	5	1
क	396	111	139	139	A
01	396	111	139	112	01
02	-	-	-	27	02
ख	56	346	-	-	В
05	12	313	-	-	05
06	28	13	-	-	06
07	-	19	-	-	07
08	15	1	-	-	08
09	-	-	-	-	09
ग	7858	2019	5498	1120	C
10	244	28	252	50	10
11	7	-	56	22	11
12	8	-	-	1	12
13	3687	929	2357	1039	13
14	147	105	84	-	14
15	9	-	-	-	15
16	144	71	33	_	16

1 17 18	2	Table 5.2			
17		3			
	187		4	5	1
18	107	72	126	5	17
	-	16	92	-	18
19	3	-	-	-	19
20	79	57	437	-	20
21	519	7	52	-	21
22	43	13	274	-	22
23	310	307	384	-	23
24	613	119	828	4	24
25	195	34	84	-	25
26	159	165	23	-	26
27	22	54	217	-	27
28	117	20	97	-	28
29	494	8	4	-	29
30	49	3	_	-	30
31	-	-	13	-	31
32	823	11	84	_	32
33	-	-	_	_	33
घ	17	108	21	-	D
35	17	108	21	_	35
ड	-	-	_	_	E
च	6	3	_	_	F
छ	578	9	37	12	G

सारणी 5.2 (क)

			(.)		
		Table 5	5.2 (a)		
1	2	3	4	5	1
ज	489	77	24	-	Н
झ	71	-	8	-	I
ञ	68	53	95	-	J
ट	1186	295	-	-	K
ਣ	-	-	-	-	L
ड	20	1	18	-	M
ढ़	68	-	-	-	N
ण	-	42	-	-	O
त	1	-	-	-	P
থ	-	-	-	-	Q
द	35	-	-	-	R
ঘ	247	-	6	-	S
योग	11095	3063	5847	1271	Total

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

टिप्पणी : राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के संकेतों के वर्णन अनुबंध में देखें Note : Description of NIC Codes may be seen at Annexure

5.2 (ख) विवादों के परिणामस्वरुप कार्य स्थगन के कारण मानव दिनों की हानि $5.2 (b) Mandays \ lost \ in \ Disputes \ resulting \ in \ work-stoppages \\ (राज्यानुसार) \ (By \ States) \qquad (000 में) \ (in \ 000)$

क्षेत्र के कारण Due to industrial disputes other than disputes of the reasons other than industrial disputes of the reasons o	राज्य/संघ राज्य	औद्योगिव	ह्म विवादों		विवादों के	State/Union
industrial disputes 1 2 3 4 5 1 2014 2015* 2014 2015* 2014 2015* अन्ध्र प्रदेश 1044 968 1674 1001 Andhra Pradesh असम 90 92 - - Arunachal Pradesh असम 90 92 - - Assam बिहार 160 71 72 72 Bihar छल्तीसगढ़ 55 66 - - Chhattisgarh विल्ली - - - Delhi गोवा - - - Goa गुजरात 156 46 - - Gujarat हरियाणा 197 94 - - Haryana हिमाचल प्रदेश 18 152 - - Himachal Pradesh जम्मू व - - - - Jammu &	क्षेत्र	के क	गरण	अतिरिक्त	अन्य कारण	Territory
disputes industrial disputes 1 2 3 4 5 1 2014 2015* 2014 2015* 2015* आन्ध्र प्रदेश 1044 968 1674 1001 Andhra Pradesh अरुणाचल प्रदेश - - - Arunachal Pradesh असम 90 92 - - Assam बिहार 160 71 72 72 Bihar छल्तीसगढ़ 55 66 - - Chhattisgarh दिल्ली - - - Delhi गोवा - - - Goa गुजरात 156 46 - - Gujarat हरियाणा 197 94 - - Haryana हिमाचल प्रदेश 18 152 - - Himachal Pradesh जम्मू व - - - - - Jammu &						
1 2 3 4 5 1 2014 2015* 2014 2015* आन्ध्र प्रदेश 1044 968 1674 1001 Andhra Pradesh अरुणाचल प्रदेश - - - Arunachal Pradesh असम 90 92 - - Assam बिहार 160 71 72 72 Bihar छत्तीसगढ़ 55 66 - - Chhattisgarh दिल्ली - - - Delhi गोवा - - - Goa गुजरात 156 46 - - Gujarat हरियाणा 197 94 - - Haryana हिमाचल प्रदेश 18 152 - - Himachal Pradesh जम्मू व - - - - Jammu &						
प्रवेश 2014 2015* 2014 2015* आन्ध्र प्रदेश 1044 968 1674 1001 Andhra Pradesh अरुणाचल प्रदेश - - - - Arunachal Pradesh असम 90 92 - - Assam बिहार 160 71 72 72 Bihar छत्तीसगढ़ 55 66 - - Chhattisgarh बिल्ली - - - Delhi गोवा - - - Goa गुजरात 156 46 - - Gujarat हिमाचल प्रदेश 18 152 - - Himachal Pradesh जम्मू व - - - Jammu &						
आन्ध्र प्रदेश 1044 968 1674 1001 Andhra Pradesh अरुणाचल प्रदेश Arunachal Pradesh असम 90 92 Assam बिहार 160 71 72 72 Bihar छत्तीसगढ़ 55 66 Chhattisgarh दिल्ली Delhi गोवा Goa गुजरात 156 46 Gujarat हिमाचल प्रदेश 18 152 Himachal Pradesh जम्मू व Jammu &	1	2	3	4	5	1
अरुणाचल प्रदेश		2014	2015*	2014	2015*	
असम 90 92 - Assam बिहार 160 71 72 72 Bihar छत्तीसगढ़ 55 66 Chhattisgarh दिल्ली Delhi गोवा Goa गुजरात 156 46 - Gujarat हरियाणा 197 94 - Haryana हिमाचल प्रदेश 18 152 - Himachal Pradesh जम्मू व Jammu &	आन्ध्र प्रदेश	1044	968	1674	1001	Andhra Pradesh
बिहार 160 71 72 72 Bihar छत्तीसगढ़ 55 66 Chhattisgarh दिल्ली Delhi गोवा Goa गुजरात 156 46 Gujarat हिरयाणा 197 94 Haryana हिमाचल प्रदेश 18 152 Himachal Pradesh जम्मू व Jammu &	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	
छत्तीसगढ़ 55 66 Chhattisgarh दिल्ली Delhi गोवा Goa गुजरात 156 46 Gujarat हिमाचल प्रदेश 18 152 Himachal Pradesh जम्मू व Jammu &	असम	90	92	-	-	Assam
विल्ली - Delhi गोवा - Goa गुजरात 156 46 - Gujarat हरियाणा 197 94 - Haryana हिमाचल प्रदेश 18 152 - Himachal Pradesh जम्मू व - Jammu &	बिहार	160	71	72	72	Bihar
गोवा Goa गुजरात 156 46 Gujarat हरियाणा 197 94 Haryana हिमाचल प्रदेश 18 152 Himachal Pradesh जम्मू व Jammu &	छत्तीसगढ़	55	66	-	-	Chhattisgarh
गुजरात 156 46 Gujarat हरियाणा 197 94 Haryana हिमाचल प्रदेश 18 152 Himachal Pradesh जम्मू व Jammu &	दिल्ली	-	-	-	-	Delhi
हरियाणा 197 94 Haryana हिमाचल प्रदेश 18 152 Himachal Pradesh जम्मू व Jammu &	गोवा	-	-	-	-	Goa
हिमाचल प्रदेश 18 152 Himachal Pradesh जम्मू व Jammu &	गुजरात	156	46	-	-	Gujarat
Pradesh जम्मू व Jammu &	हरियाणा	197	94	-	-	Haryana
	हिमाचल प्रदेश	18	152	-	-	
	, ĕ .	-	-	-	-	

5 INDUSTRIAL DISPUTES

सारणी 5.2 (ख) Table 5.2(b)

Table 5.2(b)								
1	2	3	4	5	1			
झारखण्ड	-	_	_	_	Jharkhand			
कर्नाटक	180	19	-	-	Karnataka			
केरल	382	616	69	186	Kerala			
मध्य प्रदेश	134	172	-	-	Madhya Pradesh			
महाराष्ट्र	52	206	-	-	Maharashtra			
मणिपुर	-	-	-	-	Manipur			
मेघालय	-	-	-	-	Meghalaya			
मिजोरम	#	#	#	#	Mizoram			
नागालैंड		_	_	_	Nagaland			
ओडिशा	164	12	-	3	Odisha			
पंजाब	-	-	-	-	Punjab			
राजस्थान	272	78	-	-	Rajasthan			
सिक्किम	#	#	_	#	Sikkim			
तमिलनाडु	699	103	-	10	Tamil Nadu			
तेलंगाना	33	106	-		Telangana			
त्रिपुरा	-	-	-	-	Tripura			
उत्तराखण्ड	67	21	-	-	Uttarakhand			
उत्तर प्रदेश	25	174	-		Uttar Pradesh			
पश्चिम बंगाल	7367	67	4033	-	West Bengal			

सारणी 5.2 **(**ख**)**

Table 5.2(b)									
1	2	3	4	5	1				
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	A & N Islands				
चण्डीगढ़	-	-	-	-	Chandigarh				
दादर एवं नगर हवेली	-	-	-	-	D & N Haveli				
दमन एवं दीव	-	-	-	-	Daman & Diu				
लक्षदीप	-	-	-	-	Lakshadweep				
पुडुचेरी	@	-	-	-	Puducherry				
योग	11095	3063	5847	1271	Total				

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

[#] औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अभी लागू होना है।

[#] Industrial Disputes Act, 1947 is yet to be implemented.

5 INDUSTRIAL DISPUTES

5.3 - विवादों का कारणानुसार प्रतिशत वितरण 5.3 Percentage Distribution of Disputes by Causes

कारण स मू ह	2014	2015*	Cause Group
1	2	3	1
मजदूरी एवं भत्ते	27.2	29.7	Wages & Allowances
कार्मिक	5.9	7.8	Personnel
छंटनी	0.3	0.8	Retrenchment
काम-बन्दी	-	0.8	Lay-Off
अनुशासनहीनता	40.1	7.8	Indiscipline
हिंसा	1.4	0.8	Violence
छुट्टी एवं कार्य के घंटे ∕पारी में कार्य	-	0.8	Leave and Hours of Work/Shift Working
बोनस	2.4	7.8	Bonus
घेराव	-	0.8	Gherao
अन्तर/अन्तरा संघ प्रतिद्वन्दिता	0.3	1.6	Inter/Intra Union Rivalry
श्रम पंचाटों और श्रम समझौतों इत्यादि का लागू न किया जाना	0.3	-	Non-implementation of agreements and awards etc.
मांगों का चार्टर	13.2	24.2	Charter of Demands
•			

सारणी 5.3

Table 5.3								
1	2	3	1					
कार्य-भार	0.3	-	Work Load					
अतिरेक श्रमिक	0.3	-	Surplus Labour					
सुविधाओं का उन्नतिकरण	-	1.6	Betterment of Amenities					
विनिर्माण प्रक्रिया का निलम्बन/ परिवर्तन	-	-	Suspension/change of manufacturing process					
स्थाई आदेशों/ नियमावलियों/ सेवा शर्ते/ सुरक्षा उपाय	1.0	-	Standing orders/ rules/service conditions/safety measures					
सरकारी आर्थिक नीति में बदलाव	0.7	3.1	Change of Govt. economic policy					
अन्य	6.3	12.5	Others					
ज्ञात नहीं	_	-	Not known					

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

5 INDUSTRIAL DISPUTES

5.4 - विवादों का अवधि के अनुसार प्रतिशत विवरण 5.4 Percentage Distribution of Disputes by Duration

अवधि	2014	2015*	Duration
1 दिन या कम	11.5	23.0	1 day or less
1 से अधिक 5 दिन तक	19.9	21.2	More than 1 upto 5 days
5 से अधिक 10 दिन तक	11.5	11.5	More than 5 upto 10 days
10 से अधिक 20 दिन तक	12.8	15.0	More than 10 upto 20 days
20 से अधिक 30 दिन तक	7.1	8.0	More than 20 upto 30 days
30 दिन से अधिक	37.2	21.2	More than 30 days
ज्ञात नहीं	-	-	Not Known

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

5 INDUSTRIAL DISPUTES

5.5 परिधि क्षेत्र अनुसार विवाद 5.5 Disputes by Sphere

केन्द्रीय अधिकार क्षेत्र	2014	2015*	Central Sphere
विवादों की संख्या	25	26	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार ('000 में)	881	689	Workers involved (in 000's)
(000 न) श्रम-दिनों की हानि ('000 में)	1258	832	Mandays lost (in 000's)
मजदूरी की हानि	193.31	85.18	Wages lost
(रुपये करोड़ में)	(24)	(23)	(Rs. in crore)
उत्पादन हानि	13.52	99.29	Production loss
(रुपये करोड में)	(4)	(5)	(Rs. in crore)
राज्य अधिकार क्षेत्र			State Sphere
विवादों की संख्या	262	102	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार	278	55	Workers involved
('000 羊)			(in 000's)
श्रम-दिनों की हानि	9837	2231	Mandays lost
('000 节)			(in 000's)
मजदूरी की हानि (रुपये	31.13	39.75	Wages lost
करोड में)	(61)	(49)	(Rs. in crore)
उत्पादन हानि	206.40	289.53	Production loss
(रुपये करोड में)	(49)	(41)	(Rs. in crore)

र स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

टिप्पणी :कोष्ठक में विये गए आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दशीते हैं। Note : Figures in brackets indicate number of cases to which the information relates.

5.6 - क्षेत्र अनुसार विवाद 5.6 Disputes by Sectors

	2014	2015*	
सार्वजनिक क्षेत्र			Public Sector
विवादों की संख्या	29	35	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार	1011	643	Workers involved
('000 में)			(in 000)
श्रम-दिनों की हानि	1796	905	Mandays lost
('000 में)			(in 000's)
मजदूरी की हानि	189.01	89.77	Wages lost
(रुपये करोड़ में)	(26)	(27)	(Rs. in crore)
उत्पादन हानि	13.52	99.42	Production loss
(रुपये करोड में)	(4)	(8)	(Rs. in crore)
निजी क्षेत्र			Private Sector
विवादों की संख्या	258	93	No. of disputes
अन्तर्ग्रस्त कर्मकार	148	101	Workers involved
('000 में)			(in 000's)
श्रम-दिनों की हानि	9299	2158	Mandays lost
('000 में)			(in 000's)
मजदूरी की हानि	35.42	35.16	Wages lost
(रुपये करोड़ में)	(59)	(45)	(Rs. in crore)
उत्पादन हानि	206.40	289.40	Production loss
(रुपये करोड में)	(49)	(38)	(Rs. in crore)

स्त्रीत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947) टिप्पणी :कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सूचना से संबंधित मामलों की संख्या दर्शाते हैं।

Note: Figures in brackets indicate number of cases to which the information relates.

5.7 हड़ताल, तालाबन्दी एवं घेराव अनुसार विवाद 5.7 Disputes by Strikes, Lockouts and Gheraos

	2014	2015*	
हड़तालें			<u>Strikes</u>
संख्या	119	106	Number
अन्तग्रस्त कर्मकार ('000 में)	1062	738	Workers involved (in 000's)
श्रम-दिनों की हानि	2998	2360	Mandays lost
('000 में)			(in 000)
तालाबन्दी			Lockouts
संख्या	168	22	Number
अन्तर्गस्त कर्मकार ('000 में)	96	6	Workers involved (in 000's)
श्रम-दिनों की हानि	8097	703	Mandays lost
('000 में)			(in 000)
<u>घेराव</u>			Gheraos
संख्या	-	-	Number
अन्तग्रस्त कर्मकार ('000 में)	-	-	Workers involved (in 000's)
(000 म) श्रम-दिनों की हानि ('000 में)	-	-	Mandays lost (in 000's)

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

5.8 कुल स्थाइी बन्दीयों तथा उनसे प्रभावित कर्मकारों की संख्या 5.8 No. of Permanent Closures and Workers Affected thereby (राज्यवार) (By States)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बन्दीयों की संख्या		प्रभावित व की सं		State/ Union
राज्य क्षत्र	No.		का स No. of W		Territory
	Closu		affec		
	ক A	ख в	क A	ख B	
1	2	3	4	5	1
			2014		
आन्ध्र प्रदेश	3	-	326	-	Andhra Pradesh
चण्डीगढ	1	-	8	-	Chandigarh
हरियाणा	2	-	59	-	Haryana
हिमाचल प्रदेश	2	-	70	-	Himachal Pradesh
कर्नाटक	5	-	552	-	Karnataka
ओडिशा	-	1	-	447	Odisha
तेलंगाना	2	-	2745	-	Telangana
त्रिपुरा	16	-	396	-	Tripura
उत्तराखण्ड	2	-	123	-	Uttarakhand
योग	33	1	4279	447	Total

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अ एवं नि दीव समूह और दादर एवं नगर हवेली के संबंध में वर्ष 2014 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शुन्य है।

Note: Information for the year 2014 in respect of Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh West Bengal, Delhi, A & N Islands and Dadar & Nagar Haveli is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'

सारणी 5.8 Table 5.8

	雨 A	ख B	क A	ख В					
1	2	3	4	5	1				
2015*									
आन्ध्र प्रदेश	1	-	260	-	Andhra Pradesh				
छततीसगढ	-	1	-	153	Chhattisgarh				
गोवा	2	-	44	-	Goa				
हिमाचल प्रदेश	1	-	90	-	Himachal Pradesh				
कर्नाटक	1	-	96	-	Karnataka				
महाराष्ट्र	-	1	-	12	Maharashtra				
त्रिपुरा	9	-	687	-	Tripura				
योग	14	2	1177	165	Total				

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947)

क् राज्य क्षेत्र A State Sphere ख केन्द्रीय क्षेत्र B Central Sphere

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, असम, झारलण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के संबंध में वर्ष 2015 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शून्य है।

तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शुन्य है।
Note: Information for the year 2015 in respect of Arunachal Pradesh,
Assam, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Uttar Pradesh,
Uttarakhand, West Bengal and Delhi is not available and remaining
States/Union Territories is 'Nii'.

5.9 छंटनीओं की संख्या तथा उनसे प्रभावित कर्मकार (राज्यानुसार) 5.9 Number of Retrenchments and Workers Retrenched there by (By States)

राज्य/संघ	छंट नी अ	ों की	प्रभा	वित	State/ Union
राज्य क्षेत्र	संख	संख्या		रों की	Territory
	No.	of	संस	व्या	
	Retrencl	nments	No. of Workers affected		
	雨 A	ख B	 A	ख в	
1	2	3	4	5	1
		2	014		
कर्नाटक	3	-	59	-	Karnataka
महाराष्ट्र	-	1	-	373	Maharashtra
ओडिशा	-	3	-	1222	Odisha
पुडुचेरी	5	-	35	-	Puducherry
राजस्थान	-	1	-	89	Rajasthan
उत्तराखण्ड	1	-	20	-	Uttarakhand
	9	5	114	1684	Total

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पिष्ठचम बंगाल, दिल्ली, अ० नि० दीव समुह व दादर व नगर हवेली के संबंध में वर्ष 2014 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शुन्य है।

Note: Information for the year 2014 in respect of Arunachal Pradesh,

Note: Information for the year 2014 in respect of Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi, A & N Islands and D & N Haveli is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'.

सारणी 5.9 Table 5.9

	क A	ख B	क A	ख B	
1	2	3	4	5	1
		20	<u> 015*</u>		
केरल	1	-	24	-	Kerala
ओडिशा	-	10	-	422	Odisha
राजस्थान	-	1	-	87	Rajasthan
योग	1	11	24	509	Total

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947) क राज्य क्षेत्र ख केन्द्रीय क्षेत्र

A State Sphere
B Central Sphere
टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली के संबंध में वर्ष 2015 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शुन्य है। Note: Information for the year 2015 in respect of Arunachal Pradesh, Assam, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Nagaland, Utar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and Delhi is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'.

5.10 ईकाईयों में प्रभावित कामबन्दी, प्रभावित कर्मकार तथा नष्ट हुए मानव दिनों की हानि (राज्यानुसार)

5.10 No. of Units affecting Lay-off, Workers Laid -off and Mandays Lost (By States)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कामब की सं No. Lay-C	ख्या of	प्रभावित व की सं No. of W affec	ख्या /orkers	मानव वि हानि की No. of M	संख्या Iandays	State/ Union Territory
	कA	खB	क A	ख B	क A	ख B	_
1	2	3	4	5	6	7	1
आन्ध्र प्रदेश	ग 2	-	343	<u>2014</u>	69681		Andhra Pradesh
कर्नाटक	7	-	104	-	734	-	Karnataka
केरल	10	-	686	-	66804	-	Kerala
पुडुचेरी	2	-	1382	-	273420	-	Puducherry
योग	21	-	2515	-	410639		Total

टिप्पणीः अरुणाचल प्रदेश, छतीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्विप और दादर एवं नगर हवेली के पाइयम बंगाल, बिस्ला, अंडिमान एवं निकाबार द्विप आर पावर एवं निगर हवेली के संबंध में वर्ष 2014 की सूचना अनुपलब्ध है तथा श्रेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शुन्य है।
Note: Information for the year 2014 in respect of Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, West

Bengal, Delhi, Andaman & Nicobar Islands and Dadra & Nagar Haveli is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'.

सारणी 5.10 Table 5.10

Table 5.10							
1	2	3	4	5	6	7	1
<u>2015*</u>							
कर्नाटक	23	-	345	-	901	-	Karnataka
केरल	20	-	1689	-	73684	-	Kerala
पुडुचेरी	2	-	910	-	254639	-	Puducherry
तमिलनाडू	1	-	140	-	11480	-	Tamilnadu
तेलंगाना	1	-	307	-	2456	-	Telangana
गोग	47	_	3301	_	343160	_	Total

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received under Industrial Disputes Act, 1947) क राज्य क्षेत्र ख केन्द्रीय क्षेत्र A State Sphere B Central Sphere

A State Sphere B Central Sphere टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मु एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल एवं दिल्ली के संबंध में वर्ष 2015 की सूचना अनुपलब्ध है तथा शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना शुन्य है। Note: Information for the year 2015 in respect of Arunachal Pradesh, Assam, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and Delhi is not available and remaining States/Union Territories is 'Nil'.

6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं 6 ACCIDENTS, SAFETY ANI अनुपस्थिति ABSENTEEISM 6.1 (क) कारखानों में औद्योगिक क्षतियां, उनकी आपात एवं आवृत्ति दर

(राज्यानुसार) 6.1 (a) Industrial Injuries in Factories, their Incidence and Frequency Rates (by States)

State/	क्षतियों		आपात दर			त्ति दर	राज्य/	
UT	संख्या		हजार नियोजित कर्मकार)			जाख कार्य 	संघ राज्य	
	Numbe			/		वस)	क्षेत्र	
	injuri	es	Incidence (Per thou			ency rate		
			worke			ne lakh s worked)		
			employ		manday	s worked)		
'-	घातक	अघातक	घातक	अघातक	घातक	अघातव	5	
	Fatal	Non-	Fatal	Non-	Fatal	Non-		
		Fatal		Fatal		Fatal		
1	2	3	4	5	6	7	1	
2013								
आंध्र प्रदेश	152	562	0.25	0.93	0.16	0.6	Andhra	
							Pradesh	
असम	4	101	0.02	0.51	0.04	0.95	Assam	
बिहार	4	156	0.02	0.83	0.08	3.3	Bihar	
चण्डीगढ़	-	2	-	0.16	-	0.09	Chandigarh	
छत्तीसगढ़	97	59	0.37	0.22	0.31	0.19	Chhattisgarh	
गोवा	10	45	0.14	0.63	0.05	0.22	Goa	
हरियाणा	41	37	0.05	0.04	0.01	0.01	Haryana	
झारखण्ड	37	93	0.14	0.36	0.3	0.75	Jharkhand	
मेघालय	-	15	-	1.44	-	1.68	Meghalaya	
पुडुचेरी	3	25	0.04	0.31	0.04	0.31	Puducherry	
3991					0.11	1.41	Rajasthan	

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति 6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

							,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			सारणी	6.1 (क)			
			Table	6.1 (a)			
1	2	3	4	5	6	7	1
तेलंगाना	89	145	0.15	0.25	0.12	0.19	Telangana
त्रिपुरा	2	5	0.04	0.09	0.07	0.17	Tripura
योग	494	1951	0.14	0.53	0.08	0.3	Total
2014							
आंध्र प्रदेश	78	243	0.12	0.39	0.06	0.2	Andhra Pradesh
असम	13	58	0.06	0.28	0.1	0.45	Assam
बिहार	2	7	0.01	0.03	0.12	0.44	Bihar
छत्तीसगढ़	113	75	0.39	0.26	0.35	0.23	Chhattisgarh
गोवा	5	82	0.07	1.1	0.03	0.41	Goa
हरियाणा	41	37	0.05	0.04	0.07	0.07	Haryana
हिमाचल प्रदेश	11	125	0.03	0.4	0.02	0.24	Himachal Pradesh
झारखण्ड	31	96	0.12	0.37	0.17	0.53	Jharkhand
महाराष्ट्र	65	2271	0.03	1.1	0.02	0.53	Maharashtra
मेघालय	2	7	0.18	0.64	0.23	0.81	Meghalaya
नागालैंड	-	-	_	_	_	_	Nagaland
पुडुचेरी	6	12	0.07	0.14	0.08	0.16	Puducherry
राजस्थान	55	707	0.11	1.41	0.11	1.37	Rajasthan
तेलंगाना	71	167	0.12	0.28	0.08	0.19	Telangana
त्रिपुरा	2	6	0.03	0.1	0.09	0.26	Tripura

सारणी 6.1 (क)

				6.1 (a)			
1	2	3	4	5	6	7	1
अ० एवं नि० द्वीप समूह	-	55	-	9.37	-	3.92	A & N Islands
चण्डीगढ़	_	_	-	-	-	-	Chandigarh
दादर एवं नगर हवेली व दमन एवं	20	36	0.1	0.18	0.08	0.14	D & N Haveli and Daman & Diu
<i>दीव</i> योग	515	3984	0.08	0.63	0.06	0.43	Total

श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त विवरणियां) Source: Labour Bureau(Returns received from different States /U.Ts under

िता under Factories Act, 1948 तथा नहीं है।

Note: 1. The Factories Act, 1948 कामू नहीं है।

Note: 1. The Factories Act 1948, is not implemented in four States /Union Territories viz. Arunachal Pradesh, Lakshadweep, Mizoram and Sikkim . 2. शेष रह गये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आंकडें प्राप्त नहीं हुए हैं।

- 2. Data not received from rest of States / Union Territories.

6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

6.1 (ख) महत्त्वपूर्ण उद्योगों के अनुसार औद्योगिक क्षतियां उनकी आपात एवं आवृति दर (समूहानुसार) 6.1 (b) Industrial Injuries, their Incidence and Frequency Rates by Important Industries (by groups)

उद्योग	क्षतियों की संख्या		आपा	त दर	क्षतियों की संख्या	
रा० औ०	Nuı	nber of	(प्रति हजा	र नियोजित	(प्रति लाख कर्मकार	
ব০ 2008	in	juries	कर्मव	कार)	दिव	स)
Industry				nce rate	Frequen	
NIC				ousand	(per on	
2008				mployed)	mandays	
	घातक	अघातक	घातक	अघातक	घातक	अघातक
	Fatal	Non-	Fatal	Non-	Fatal	Non-
		Fatal		Fatal		Fatal
1	2	3	4	5	6	7
			2013			
01	-	1	-	0.01	-	0.03
05	1	-	0.27	-	0.15	-
07	1	1	0.78	0.78	279.33	279.3
08	3	-	0.26	-	0.28	-
10	38	296	0.07	0.57	0.09	0.7
11	1	15	0.02	0.3	0.02	0.26
12	1	6	0.04	0.26	0.03	0.18
13	66	455	0.25	1.74	0.3	2.06
15	2	6	0.05	0.14	-	-
16	1	21	0.01	0.29	0.04	0.87
17	14	35	0.24	0.59	0.18	0.44
19	40	21	0.56	0.3	0.71	0.37

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति 6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM सारणी 6.1 (ख)

		₹	ारणा 6.1 (ख))						
	Table 6.1 (b)									
1	2	3	4	5	6	7				
20	36	161	0.25	1.12	0.17	0.78				
21	13	21	0.12	0.19	0.06	0.1				
22	13	41	0.1	0.33	0.08	0.27				
23	48	239	0.1	0.48	0.14	0.71				
24	101	173	0.23	0.39	0.19	0.33				
25	16	41	0.07	0.18	0.07	0.19				
26	1	1	0.02	0.02	0.02	0.02				
27	5	28	0.05	0.27	0.03	0.19				
28	4	9	0.02	0.05	0.02	0.05				
29	7	19	0.08	0.22	0.01	0.03				
30	4	80	0.05	1.08	0.04	0.85				
31	2	22	0.12	1.37	0.5	5.5				
32	10	87	0.34	2.96	0.41	3.56				
33	10	100	0.66	6.58	0.38	3.78				
35	47	65	0.46	0.63	0.27	0.37				
41	2	-	60.61	-	39.94	-				
45	6	4	0.07	0.05	0.07	0.05				
52	1	3	0.05	0.14	0.03	0.1				

62

0.14

0.53

0.08

0.3

योग Total

494 1951

6 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति 6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.1 (ख) Table 6.1 (b)

Table 6.1 (b)								
1	2	3	4	5	6	7		
			2014					
01	3	1	0.03	0.01	0.06	0.02		
05	1	-	0.21	-	0.15	-		
08	5	1	0.37	0.07	0.37	0.07		
10	43	331	0.05	0.42	0.04	0.34		
11	2	61	0.03	0.79	0.02	0.56		
12	3	8	0.1	0.27	0.08	0.23		
13	19	824	0.04	1.52	0.02	0.93		
14	-	1	-	0.01	-	-		
15	4	-	0.07	-	0.06	-		
16	-	18	-	0.16	-	0.27		
17	10	46	0.08	0.38	0.06	0.3		
18	8	15	0.09	0.17	0.07	0.14		
19	16	14	0.17	0.15	0.19	0.17		
20	31	306	0.1	1.01	0.06	0.57		
21	26	91	0.09	0.33	0.05	0.16		
22	19	119	0.06	0.4	0.04	0.27		
23	58	121	0.1	0.21	0.11	0.23		
24	134	469	0.22	0.79	0.14	0.5		
25	14	245	0.03	0.5	0.02	0.38		
26	4	3	0.04	0.03	0.03	0.02		
27	10	112	0.04	0.5	0.03	0.3		
28	9	284	0.03	0.9	0.02	0.53		
29	5	135	0.02	0.59	0.01	0.28		

6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.1 (ख)

72 योग Total	515	3984	0.08	0.13 0.63	0.06	0.06
52	-	9	-	0.26	-	0.23
47	-	2	-	0.12	-	0.06
45	7	127	0.04	0.75	0.03	0.55
41	1	-	0.55	-	0.22	-
39	2	1	1.83	0.92	0.37	0.19
36	8	-	0.75	-	0.56	-
35	40	91	0.24	0.54	0.13	0.29
33	-	202	-	3.91	-	2.11
32	23	99	0.21	0.92	0.13	0.57
31	1	23	0.04	0.95	0.07	1.5
30	9	224	0.07	1.64	0.03	0.87
1	2	3	4	5	6	7
		17	abie 6.1 (b)		

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो (कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से प्राप्त

Source: Labour Bureau(Returns received from different States /U.Ts under Factories Act, 1948)

िप्पणी :1. पातक और अपातक क्षतियों की दरों के योग से कुल क्षतियों की दर पाप्त होती है। क्षतियों की संख्या (पातक और अघातक) दुर्घटना की सूचना पर आधारित है, जबिक आपात दर कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तंगत प्राप्त वार्षिक विवरणियां में रिपोर्ट की गई क्षतियों के आधार पर निकाली गई है।

Note: 1. The number of injuries (fatal and non-fatal) have been worked out on

Note: 1. The number of injuries (fatal and non-fatal) have been worked out on the basis of notices of accidents whereas the incidence rate has been worked out on the basis of injuries reported in the annual returns received under the Factories Act. 1948.

उद्योग संकेतों का विवरण कृपया अनुबन्ध में देखें।

For details of Industry codes please see Annexure.

6.2 राज्यवार प्रत्यक्ष रूप में नियोजित नियमित श्रमिकों की अनुपस्थिती की दरें 6.2 State-wise Absenteeism rates amongst directly employed regular workers

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कर्मकारों को वाले कारख No. of fac ting direct regular	में नियमित नियुक्त करने ानों की संख्या tories repor- ly employed workers	अनुपस्थिति सूचित करने वाले कारखानों की प्रतिशतता Percentage of factories reporting absenteeism	कार्य हेतु उ मानव (000' Mand schedul work (in	देवस Union में) Territory ays ed to 000's)
	1	2	2011	4	11
जम्मू एवं व हिमाचल प्र		697 2071	97.27 97.2	6032 29595	J & K H. P.
पंजाब	***	6750	95.63	95226	Punjab
चण्डीगढ		204	97.06	2075	Chandigarh
उत्तरांचल		2166	98.85	39405	Uttaranchal
हरियाणा		3452	97.19	53605	Haryana
दिल्ली		2181	98.35	19478	Delhi
राजस्थान		4226	96.36	44432	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	Т	8896	98.47	101863	U. P.
बिहार		992	90.22	5153	Bihar
सिक्कम		25	100	210	Sikkim
नागालैंड		52	94.23	256	Nagaland
मणिपुर		19	100	129	Manipur
त्रिपुरा		33	93.94	211	Tripura
मेघालय		21	80.95	317	Meghalaya

सारणी 6.2 Table 6.2

1	2	3	4	1
असम	1582	94.56	13550	Assam
पश्चिम बंगाल	4843	97.34	85837	West Bengal
झारखण्ड	1024	97.75	27371	Jharkhand
ओडिशा	1654	96.86	26065	Odisha
छत्तीसगढ	1486	98.92	15525	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	1962	98.37	30572	M. P.
गुजरात	11555	98.51	142403	Gujarat
दमन एवं दीव	956	98.64	14737	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	703	99.72	9996	D & N Haveli
महाराष्ट्र	13236	98.28	170810	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	13403	97.46	102661	A. P.
कर्नाटक	6544	97.33	132068	Karnataka
गोवा	394	98.22	6607	Goa
केरल	3591	98.89	49264	Kerala
तमिल नाडु	17424	98.86	281242	Tamil Nadu
पुडुचेरी	530	94.53	8326	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप	12	91.67	93	A& N Islands
समूह				
अखिल भारत	112684	97.80	1515114	All India
सार्वजनिक	1357	97.27	75285	Public
निजी	111327	97.81	1439828	Private

6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.2 Table 6.2

राज्य/	अनुपस्थिति के कारण वर्ष के दौरा			State/Union
संघ राज्य	मानव दिवसों की हानि	अनुपरि	स्थिति की	Territory
क्षेत्र	(000' में)	प्रति	शतता	
	Mandays lost due to		ntage of	
	absence (in 000's)	Absentee		ng
		2011	year 201 0	<u> </u>
1	5	6	7	1
जम्मू एवं कश्मीर		5.71	6.44	J & K
हिमाचल प्रदेश	2875	9.72	10.18	H. P.
पंजाब	9507	9.98	9.03	Punjab
चण्डीगढ़	118	5.67	7.09	Chandigarh
उत्तरांचल	3306	8.39	8.36	Uttaranchal
हरियाणा	5870	10.95	10.15	Haryana
दिल्ली	2810	14.42	13.67	Delhi
राजस्थान	4060	9.14	8.57	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	9386	9.21	8.81	U. P.
बिहार	271	5.25	5.49	Bihar
सिक्कम	4	1.96	2.36	Sikkim
नागालैंड	1	0.55	0.73	Nagaland
मणिपुर	7	5.8	5.23	Manipur
त्रिपुरा	2	0.87	2.82	Tripura
मेघालय	8	2.67	3.85	Meghalaya
असम	718	5.3	4.44	Assam

6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.2 Table 6.2

	Ta	Table 6.2							
1	5	6	7	1					
पश्चिम बंगाल	7235	8.43	8.42	West Bengal					
झारखण्ड	1999	7.3	3.21	Jharkhand					
ओडिशा	2451	9.4	6.46	Odisha					
छत्तीसगढ	812	5.23	6.67	Chhattisgarh					
मध्य प्रदेश	2032	6.65	5.21	M. P.					
गुजरात	11460	8.05	7.27	Gujarat					
दमन एवं दीव	1520	10.32	7.54	Daman & Diu					
दादर एवं नगर हवेली	847	8.48	8.88	D & N Haveli					
महाराष्ट्र	18902	11.07	10.99	Maharashtra					
आंध्र प्रदेश	5789	5.64	5.31	A. P.					
कर्नाटक	12895	9.76	8.47	Karnataka					
गोवा	664	10.05	0.00	Goa					
केरल	5924	12.02	12.57	Kerala					
तमिल नाडु	19866	7.06	6.12	Tamil Nadu					
पुडुचेरी	3221	38.68	4.82	Puducherry					
अ० एवं नि० द्वीप समूह	9	9.88	14.52	A& N Islands					
अखिल भारत	134913	8.90	7.89	All India					
सार्वजनिक	6098	8.10	8.82	Public					
निजी	128815	8.95	7.85	Private					

सारणी 6.2 Table 6.2

	1	2	3	4		1
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कर्मकारों को वाले कारख No. of fact ting direct	में नियमित नियुक्त करने नों की संख्या cories repor- ly employed workers	अनुपस्थित सूचि करने वाले काररू की प्रतिशतता Percentage o factories report absenteeism	ानों मान (00 f M ing sche	तु अनुसुचित ाव दिवस 00' में) andays eduled to (in 000's)	State/ Union Territory
			2012			
जम्मू एवं व	क्ष्मीर	718	99.44	2930	J & K	
हिमाचल प्र	देश	2323	99.91	21876	H. P.	
पंजाब		8148	99.39	41826	Punjab	
चण्डीगढ़		261	100	1262	Chandig	arh
उत्तरांचल		1910	94	7389	Uttaranc	hal
हरियाणा		4291	98.99	29569	Haryana	
दिल्ली		2679	99.81	10456	Delhi	
राजस्थान		6013	93.31	468539	Rajastha	n
उत्तर प्रदेश		10037	98.09	48343	U. P.	
बिहार		1158	96.93	2839	Bihar	
सिक्कम		53	100	1010	Sikkim	
नागालैंड		67	47.76	433	Nagalan	1
मणिपुर		22	100	46	Manipur	
त्रिपुरा		73	91.78	556	Tripura	
मेघालय		83	100	78	Meghala	ya
असम		1666	81.05	12060	Assam	

6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.2 Table 6.2

		Table 6.2		
1	2	3	4	1
पश्चिम बंगाल	5794	98.24	61611	West Bengal
झारखण्ड	1237	94.51	10729	Jharkhand
ओडिशा	1620	95.62	10666	Odisha
छत्तीसगढ	1966	98.44	19262	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	3022	99.31	21068	M. P.
गुजरात	15507	99.61	150106	Gujarat
दमन एवं दीव	1255	100	10454	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	912	100	10619	D & N Haveli
महाराष्ट्र	18212	98.52	134208	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	7938	95.86	43111	A. P.
कर्नाटक	8445	98.93	107372	Karnataka
गोवा	454	99.56	2523	Goa
केरल	5703	98.92	51083	Kerala
तमिल नाडु	22226	99.33	193500	Tamil Nadu
पुडुचेरी	535	95.89	5230	Puducherry
अ० एवं नि० द्वीप समूह	12	100	7	A& N Islands
तेलंगाना	6872	91.62	47685	Telangana
अखिल भारत	141213	97.84	1528446	All India
सार्वजनिक	3129	97.8	106649	Public
निजी	138083	97.84	1421798	Private

6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.2 Table 6.2

राज्य/	अनुपस्थिति के कारण		ने दौरान	State/Union
संघ राज्य	मानव दिवसों की हानि	अनुपस्थिति की		Territory
क्षेत्र	(000' में)	प्रति	शितता	
	Mandays lost due to		ntage of	
	absence (in 000's)		eism durir	ng
		2012	year 201 1	
1	1 5	6	7	1
जम्मू एवं कर्श्म		5.92	5.71	J & K
हिमाचल प्रदेश	3786	14.75	9.72	H. P.
पंजाब	5289	11.23	9.98	Punjab
चण्डीगढ़	120	8.72	5.67	Chandigarh
उत्तरांचल	1689	18.61	8.39	Uttaranchal
हरियाणा	3282	9.99	10.95	Haryana
दिल्ली	1251	10.68	14.42	Delhi
राजस्थान	7045	1.48	9.14	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	5334	9.94	9.21	U. P.
बिहार	289	9.25	5.25	Bihar
सिक्कम	10	0.95	1.96	Sikkim
नागालैंड	0	0.04	0.55	Nagaland
मणिपुर	3	5.20	5.80	Manipur
त्रिपुरा -	24	4.10	0.87	Tripura
मेघालय	22	21.78	2.67	Meghalaya
असम	506	4.03	5.30	Assam

6 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 6.2 Table 6.2

Table 6.2						
1	5	6	7	1		
पश्चिम बंगाल	6457	9.49	8.43	West Bengal		
झारखण्ड	990	8.45	7.30	Jharkhand		
ओडिशा	727	6.38	9.40	Odisha		
छत्तीसगढ	1122	5.51	5.23	Chhattisgarh		
मध्य प्रदेश	2397	10.21	6.65	M. P.		
गुजरात	16470	9.89	8.05	Gujarat		
दमन एवं दीव	2019	16.18	10.32	Daman & Diu		
दादर एवं नगर हवेली	1360	11.36	8.48	D & N Haveli		
महाराष्ट्र	16740	11.09	11.07	Maharashtra		
आंध्र प्रदेश	2665	5.82	5.64	A. P.		
कर्नाटक	10406	8.84	9.76	Karnataka		
गोवा	642	20.28	10.05	Goa		
केरल	8914	14.86	12.02	Kerala		
तमिल नाडु	15118	7.25	7.06	Tamil Nadu		
पुडुचेरी	401	7.11	38.68	Puducherry		
अ० एवं नि० द्वीप समूह	13	63.79	9.88	A& N Islands		
तेलंगाना	2823	5.59		Telangana		
अखिल भारत	118097	7.17	8.90	All India		
सार्वजनिक	10386	8.87	8.10	Public		
निजी	107712	7.04	8.95	Private		

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो Source : Labour Bureau

7 सामाजिक सुरक्षा 7 SOCIAL SECURITY 7.1 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूरित क्षतियों की संख्या एवं क्षतिपूर्ति के लिए दी गई धन राशि

7.1 Number of Compensated Injuries and Amount of Compensation paid under the Employees' Compensation Act, 1923

1	2	3	1
	2013	2014	
क्षतिपूरित क्षतियों की संख्या			Number of compensated injuries
क) मृत्यु	2756	2542	a) Death
ख) स्थायी विकलांगता	3078	1801	b) Permanent disablement
ग) अस्थायी विकलांगता	1658	3244	c) Temporary disablement
कुल	7492	7587	Total
क्षतिपूर्ति के लिये दी राशी (रुपये लाख मे			Amount of compensation paid (Rs. In lakh)
क) मृत्यु	12392.95	10647.05	a) Death
ख) स्थायी विकलांगता	4034.87	3619.49	b) Permanent disablement
ग) अस्थायी विकलांगता	696.18	1132.38	c) Temporary disablement
कुल	17124.00	15398.92	Total

स्त्रोत : कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ

Source : Annual Returns under Employees' Compensation Act, 1923. आंकडे केवल उत्तर देने वाले राज्यों से संबिन्धत हैं। तालिका में व्यवसायिक बिमारी के आंकडें

The data relate to the responding States only. Data relating to occupational Disease not included in table.

7.2 मातृत्य हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिए गए मातृत्य लाभ 7.2 Maternity Benefits paid under the Maternity Benefit Act, 1961

2013	2014	
2	3	1
		Factories
293494	445002	a) No. of women employed
1440	4110	b) Claims (number)
		c) Paid:
1551	3905	i) Number
928.31	3040.28	ii) Amount (Rs. In akhs)
		Plantations
185115	115647	a) No. of women employed
26083	27806	b) Claims (number)
	2 293494 1440 1551 928.31	2 3 293494 445002 1440 4110 1551 3905 928.31 3040.28 185115 115647

सारणी 7.2 Table 7.2

	Table 7.2							
1	2	3	1					
(ग) प्रदत्त			c) Paid :					
i) संख्या	38814	26761	i) Number					
ii) धन राशी (रुपये लाख में)	616.23	802.97	ii) Amount (Rs.in lakhs)					
अन्य			Others					
(क) नियोजित महिलाओं की संख्या	132478	238493	a) No. of women employed					
(ख) दावे (संख्या)	1676	3119	b) Claims (number)					
(ग) प्रदत्त			c) Paid :					
i) संख्या	1434	2116	i) Number					
ii) धन राशी (रुपये लाख में)	80.49	2220.07	ii) Amount (Rs.in lakhs)					

स्त्रोत : मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वार्षिक विवरणियाँ Source : Annual Returns under the Maternity Benefit Act, 1961 आंकडें केवल विवरणियां सम्मिलित करने वाले राज्यों से संबंधित हैं। Data relates only to States submitting returns.

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना 8 INTERNATIONAL COMPARISO 8.1 भिन्न-भिन्न देशों में चयनित मुख्य उद्योग समूहों में नियाजन (आर्थिक किय्राशीलता के अनुसार) ('000 में) 8.1 Employment in Selected Major Groups of Industries in Different Countries (by Economic Activity) (in 000's)

	खनन और	खदान	
	Mining & Q	uarrying	
देश	2015	2016	Country
अफ्रीका			Africa
मोरिशियस् +	2	1	Mauritius+
अमेरिका			America
कैनेडा#		264	Canada#
संयुक्त राष्ट			United States
एशिया			Asia
भारत			India
जापान+	30	30	Japan+
पाकिस्तान+	91	94	Pakistan+
श्री लंका			Sri Lanka
यूरोप			Europe
फ्रांस+	27	28	France+
जर्मनी+	82	85	Germany+
इटली+	34	32	Italy+
स्लोवाकिया+	12	11	Slovakia+
ब्रिटेन+	154	115	United Kingdom+
ओशेनिआ			Oceania
आस्ट्रेलिया+	227	225	Australia+
-ਧੂਰੀ ਨੈਂ ਾਤ+	7		New Zealand+

8 INTERNATIONAL COMPARISON सारणी 8.1

Table 8.1 विर्निमाण

Manufacturing							
देश	2015	2016	Country				
अफ्रीका			Africa				
मोरिशियस+	77	76	Mauritius+				
अमेरिका			America				
कैनेडा#		1742	Canada#				
संयुक्त राष्ट			United States				
एशिया			Asia				
भारत			India				
जापान+	10620	10670	Japan+				
पाकिस्तान+	8579	9069	Pakistan+				
श्री लंका			Sri Lanka				
यूरोप			Europe				
फ्रांस+	3225	3231	France+				
जर्मनी+	7759	7904	Germany+				
इटली+	4122	4148	Italy+				
स्लोवाकिया+	598	610	Slovakia+				
ब्रिटेन+	2992	2991	United Kingdom+				
ओशेनिआ			Oceania				
आस्ट्रेलिया+	969	975	Australia+				
न्यूजीलैंण्ड+	264		New Zealand+				

सारणी 8.1 Table 8.1

परिवहन एवं भंडारण Transport and Storage						
देश	2015	2016	Country			
अफ्रीका			Africa			
मोरिशियस्+	33	35	Mauritius+			
अमेरिका			America			
कैनेडा#	**	1105^	Canada#			
संयुक्त राष्ट			United States			
एशिया			Asia			
भारत	••		India			
जापान+	3660	3710	Japan+			
पाकिस्तान+	2855	2956	Pakistan+			
श्री लंका			Sri Lanka			
यूरोप			Europe			
फ्रांस+	1475	1463	France+			
जर्मनी+	1958	2017	Germany+			
इटली+	1033	1085	Italy+			
स्लोवाकिया+	161	164	Slovakia+			
ब्रिटेन+	1557	1611	United Kingdom+			
ओशेनिआ			Oceania			
आस्ट्रेलिया+	610	623	Australia+			
न्यूजीलैंण्ड+	101		New Zealand+			

स्त्रीत : आई एल ओ वैबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी) Source : ILO website(www.ilo.org) क औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4 + ISIC Rev 4

ISIC Rev 3

⁺ अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4

 $^{^{}f \Lambda}$ परिवहन, भंडारण एव संचार पर आधारित आंकडें

[^] Transport, Storage and communication # अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 3

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना 8 INTERNATIONAL COMPARISON 8.2 चुने हुए देशों में विनिर्माण में कर्मचारियों का औसत माहवार अभिहित उर्पाजन (स्थानीय मुद्रा) (आर्थिक किग्राशीलता के अनुसार)

8.2 Mean Nominal monthly Earning of Employees in Manufacturing in Selected Countries (local Currency) (by Economic Activity)

		• • • •			
देश	2015	2016	Country		
अफ्रीका			Africa		
मोरिशियस+	14400	14900	Mauritius+		
मिस्त्र+	1999		Egypt+		
अमेरीका			America		
कैनेडा#		996	Canada#		
संयुक्त राष्ट्र^	1030	1058	United States^		
एशिया			Asia		
भारत			India		
जापान+	293800	295100	Japan+		
श्रीलंका			Sri Lanka		
पाकिस्तान+	14035	13423	Pakistan+		
यूरोप			Europe		
स्लोवाकिया+	1026	1074	Slovakia+		
फ्रांस			France		
ब्रिटेन+	2580		United Kingdom+		
जर्मनी+	4375	4462	Germany+		
ओशेनिआ			Oceania		
आस्ट्रेलिया			Australia		
न्यूजीलैंण्ड+	5040	5130	New Zealand+		

स्त्रोत : आई एल ओ वैबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी) Source : ILO website(www.ilo.org)

अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 3

#ISIC Rev 3 +ISIC Rev 4

^ Aggregate activity

⁺ अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4 ^ कुल कार्यकलाप

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8 INTERNATIONAL COMPARISON

8.3 चुने हुए देशों में औद्योगिक विवाद (आर्थिक किग्राशीलता के अनुसार) 8.3 Industrial Disputes in Selected Countries (By Economic Activity)

देश	विवादों की	संख्या	अन्तर्ग्रस्त	कर्मकार	अकार्य '	दिवस
Country	No.of dis	putes	es Workers involved++ Days not w		worked	
1	2	3	4	5	6	7
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
अफ्रीका						
Africa मोरिशियस	12	8	2621	854	5939	1764
Mauritius+ अमेरीका						
America कैनेडा	237	179	433947	49168	1806773	499870
Canada+ संयुक्त राष्ट United states+ एशिया	12		47		740000	
Asia						
भारत	150	102	472	579	2334098	1271552
India+ जापान						
Japan मलेशिया	0		0		0	
Malaysia+ पाकिस्तान						
Pakistan फिलिपाइन्स	5	15	1	3	4882	116637
Philippines+ श्रीलंका		52		29		
Sri Lanka+ यूरोप Europe						

8 अन्तर्राष्ट्रीय	तुलना	T 8 INTERNATIONAL COMPARISO				
	5	Ŧ	गरणी 8.3			
		Т	able 8.3			
1	2	3	4	5	6	7
स्लोवाकिया	1	2	4	17	1	15
`Slovakia+						
इटली						
Italy						
स्विटंजरलैण्ड	13	8		2181	13274	1004
Switzerland+ ब्रिटेन	106		81		169600	
United Kingdom+ जर्मनी	1618	718	230	215	1092121	209435
Germany+ ओशेनिया						
Ocenia						
आस्ट्रेलिया	228	259	73	106	83400	124500
Australia+ न्यूजीलैंड						

स्त्रोत : आई एल ओ वैबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी) Source : ILO website(www.ilo.org)

New Zealand

⁺ अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4

⁺ International Standard Industrial Classification Rev 4 ++= हजारों में ++ = thousands ^ अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 3 ^ International Standard Industrial Classification Rev 3

8 INTERNATIONAL COMPARISON

8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना 8 INTERNATIONAL COMPARIST

8.4 चुने हुए देशों में व्यवसायिक घातक क्षति प्रति 1,00,000 नियोजित

कर्मकार (प्रतिशात) (आर्थिक किग्राशीलता के अनुसार)

8.4 Fatal Occupational Injuries in Selected Countries per 1,00,000

workers employed (percentage)

(By Economic Activity)

देश	खनन एवं	खदान	Country	
	Mining & qu	Mining & quarrying		
	2015	2016		
1	2	3	4	
मिस्त्र+	75.2		Egypt+	
ट्यूनिशिया			Tunisia+	
कनैडा^	2.1		Canada^	
संयुक्त राष्ट			United states	
भारत			India	
जापान+		35	Japan+	
श्री लंका			Sri Lanka	
पाकिस्तान			Pakistan	
फिलिपाइन्स			Philippines	
इटली			Italy	
पौलैंड +	10.4		Poland+	
स्लोवाकिया+	0	0	Slovakia+	
ब्रिटेन+	1.4		United Kingdom+	
आस्ट्रेलिया^	4.7		Australia^	

साारणे 8.4 Table 8.4

	विर्निमाण Ma	nufacturing	
	2015	2016	
1	2	3	4
मिस्र+	8.4		Egypt+
ट्यूनिशिया			Tunisia
कनैडा^	0.4		Canada^
संयुक्त राष्ट			United states
भारत			India
जापान+		1	Japan+
श्री लंका			Sri Lanka
पाकिस्तान			Pakistan
फिलिपाइन्स			Philippines
इटली			Italy
पौलैंड+	3.1		Poland+
स्लोवाकिया+	1.6	1	Slovakia+
ब्रिटेन+	0.6		United Kingdom+
आस्ट्रेलिया^	1.3		Australia^

स्त्रीत : आई एल ओ वैबसाइट (उब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी) Source : ILO website(www.ilo.org)

- + अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन 4
- + International Standard Industrial Classification Rev 4
 ^ अन्तराष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण संशोधन3
- ^ International Standard Industrial Classification Rev 3

8 INTERNATIONAL COMPARISON 8 अन्तर्राष्ट्रीय तुलना अन्तराष्ट्राय नुलना 8 INTERNATIONAL COMPARISO 8.5 राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- पूर्व वर्ष से प्रतिशत बदलाव (सामान्य) (वार्षिक) 8.5 National Consumer Prices Index- Percentage change from previous year (General) (Annual)

देश	2012	2013	2014	2015	2016	Country
1	2	3	4	5	6	1
अफ्रीका						Africa
घाना		11.67	15.49	17.15	17.45	Ghana
मिस्त्र					13.81	Egypt
मोरिशियस	3.85	3.54	3.22	1.29	0.98	Mauritius
अमेरिका						America
अर्जनटाइना						Argentina
कनाडा	1.52	0.94	1.91	1.13	1.43	Canada
संयुक्त	2.07	1.46	1.62	0.12	1.26	United
राष्ट्र						States
एशिया						Asia
भारत			6.66	4.91	4.95	India
जापान	-0.05	0.35	2.76	0.79	-0.12	Japan
मलेशिया	1.66	2.11	3.14	2.1	2.09	Malaysia
पाकिस्तान			7.19			Pakistan
फिलीपाइन्स				1.41	1.78	Phillipines
श्रीलंका				3.77	3.96	Sri Lanka
यूरोप						Europe
स्लोवाकिया	3.61	1.4	-0.08	-0.33	-0.52	Slovakia
फ्रांस	1.95	0.86	0.51	0.04	0.18	France

८ अन्तर्राष्ट्री		साारणे 8.5		ONAL CO	MPARISON	
1	2	3	Table 8.5	5	6	1
1	2	3	4	3	0	1
जर्मनी	2.01	1.5	0.91	0.23	0.48	Germany
इटली						Italy
पोलैंड	3.56	0.99	0.05	-0.87	-0.66	Poland
स्विटजरलैंड	-0.69	-0.22	-0.01	-1.14	-0.43	Switzerland
ब्रिटेन	2.8	2.57	1.47	0.05	0.64	United Kingdom
ओशेनिआ						Oceania
आस्ट्रेलिया	1.76	2.45	2.49	1.51	1.28	Australia
न्यूजीलैंड	1.06	1.13	1.23	0.29	0.65	New Zealand

स्त्रोत : आई एल ओ वैबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई एल ओ ओआरजी) Source : ILO website(www.ilo.org)

क०	अभिसमय शीर्षक एवं संख्या	अनुसमर्थन के पंजियन
संo	,	जगुसनयम यह याजयम की तिथि
	No. & Title of Convention	पग ।(।।प
Sl.		Date of Registration
No		of Ratification
1	2	3
1	सं० 1 कार्य के घंटे (उद्योग) अभिसमय, 1919	14-07-1921
	No. 1 Hours of Work (Industry) Convention,	
_	1919	
2+	सं०. 2, बेरोजगारी अभिसमय, 1919	14-07-1921
	No. 2, Unemployment Convention, 1919	
3	सं० ४ रात्रि-कार्य (महिलाएं) अभिसमय, 1919	14-07-1921
	No. 4, Night Work (Women) Convention, 19	19
4	सं० 5 न्यूनतम आयु (उद्योग) अभिसमय, 1919	09-09-1955
	No. 5 Minimum Age (Industry) Convention,	1919
5	सं० 6 तरुण व्यक्तियों का रात्रि-कार्य (उद्योग) अभिस	मय, 14-07-1921
	1919	
	No. 6, Night Work of Young Persons (Indust	ry)
	Convention, 1919	
6	सं० 11 संघ बनाने का अधिकार (कृषि), अभिसमय,	1921 11-05-1923
	No. 11 Right of Association (Agriculture)	
	Convention, 1921	
7	सं० 14 साप्ताहिक विश्राम (उद्योग) अभिसमय, 1921	11-05-1923
	No. 14, Weekly Rest (Industry) Convention,	1921
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

1	2	3
8	सं० 15 न्यूनतम आयु (ट्रिमर्स एवं स्टोकर्स) अभिसमय,	20-11-1922
	1921	
	No. 15, Minimum Age (Trimmers and Stokers)	
9	Convention, 1921 सं० 16 तरुण व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच (समृद्र)	20-11-1922
7	अभिसमय, 1921	20-11-1922
	No. 16, Medical Examination of Young Persons	
	(Sea) Convention, 1921	
10	सं० 18 कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) अभिसमय,	30-09-192
	1925	
	No.18, Workmen's Compensation (Occupational	
	Diseases) Convention, 1925	
11	सं 19 व्यवहार की समानता (दुर्घटना क्षतिपूर्ति)	30-09-192
	अभिसमय, 1925	
	No. 19, Equality of Treatment (Accident	
	Compensation), 1925	
12	सं० 21 प्रवासी निरीक्षण अभिसमय, 1926	14-01-192
	No. 21, Inspection of Emigrants Convention,	
12	1926	21 10 1022
13	सं० 22 नाविकों के अनुबन्ध संबंधी अन्तर्नियम अभिसमय,	31-10-1932
	1926 No. 22, Seamen's Articles of Agreement	
	Convention, 1926	
14	सं० 26 न्यूनतम मजदूरी नियतन तन्त्र अभिसमय, 1928	10-01-1955
	No. 26, Minimum Wage-Fixing Machinery	
	Convention, 1928	

1	2	3
15	सं० 27 भार अंकित करना (जलयानों द्वारा वाहित पैकेज) अभिसमय, 1929	07-09-1931
	No. 27, Marking of Weight (Packages	
16	Transported by Vessels) Convention, 1929 सं॰ 29 श्रम बेगार अभिसमय, 1930	30-11-1954
	No. 29, Forced Labour Convention, 1930	
17	सं० 32 दुर्घटनाओं से संरक्षण (गोदी मजदूर) अभिसमय, (संजोधित), 1932	10-02-1947
	No. 32, Protection Against Accidents (Dockers)	
	Convention (Revised), 1932	
18	सं॰ 41 रात्रि कार्य (महिलाएं) अभिसमय, (संशोधित),	22-11-1935
TT	No. 41, Night Work (Women) Convention	
	(Revised), 1934	
19	सं० 42 कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) अभिसमय,	13-01-1964
	(संशोधित), 1934	
	No. 42, Workmen's Compensation (Occupational	
20	Diseases) Convention (Revised), 1934	25 02 1029
20	सं० 45 सतह के नीचे कार्य (महिलाएं) अभिसमय, 1935	25-03-1938
	No. 45, Underground Work (Women) Convention, 1935	
21	सं० 80 निर्णायक अन्तर्नियम संशोधन अभिसमय, 1946	17-11-1947
	No. 80 Final Articles Revision Convention, 1946	
22&	सं० 81 श्रम निरीक्षण अभिसमय, 1947	07-04-1949
	No. 81, Labour Inspection Convention, 1947	
23	सं० 88 रोजगार सेवा अभिसमय, 1948	24-06-1959
	No. 88, Employment Service Convention, 1948	

1	2	3
24	सं० 89 रात्रि कार्य (महिलाएं) अभिसमय, (संशोधित),	27-02-1950
	1948	
	No. 89, Night Work (Women) Convention	
25	(Revised), 1948	27 02 1050
25	सं० 90 तरुण व्यक्तियों का रात्रि कार्य (उद्योग) अभिसमय,	27-02-1950
	(संशोधित), 1948	
	No. 90, Night Work of Young Persons (Industry)	
26	Convention (Revised), 1948 सं∘ 100 समान पारिश्रमिक अभिसमय, 1951	25-09-1958
20	,	25-09-1958
	No. 100, Equal Remuneration Convention, 1951	
27	सं० 105 श्रम बेगार उन्मूलन, 1957	18-05-2000
	No.105 Abolition of Forced Labour, 1957	
28	सं॰ 107 देशी एवं जनजातीय जनसंख्या,	29-09-1958
	अभिसमय, 1957	
	No. 107 Indigenous and Tribal Population	
	Convention, 1957	
29	सं० 108 समुद्रयात्री (नाविक) पहचान दस्तावेज अभिसमय,	17-01-2005
	1958	
	No. 108 Seafarers Identify Document Convention	
30	1958	02.06.1060
30	सं० 111 भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय) अभिसमय, 1958	03-06-1960
	No. 111, Discrimination (Employment and	
31	Occupation) Convention, 1958 संo 115 विकिरण संरक्षण अभिसमय, 1960	17-11-1975
31	,	17-11-19/5
	No. 115, Radiation Protection Convention, 1960	

1	2	3
32	सं० 116 निर्णायक अन्तर्नियम संशोधन अभिसमय, 1961	21-06-1962
	No. 116 Final Articles Revision Convention,	
	1961	
33#	सं० 118 व्यवहार की समानता (सामाजिक सुरक्षा)	19-08-1964
	अभिसमय, 1962	
	No. 118, Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962	
34	सं० 122 रोजगाार नीति अभिसमय, 1964	17-11-1998
	No. 122, Employment Policy Convention, 1964	
35\$\$	सं० 123 न्यूनतम आयु (सतह के नीचे कार्य) अभिसमय,	20-03-1975
	1965	
	No. 123, Minimum Age (Under-ground Work)	
	Convention, 1965	
36	सं० 136 बेन्जीन अभिसमय, 1971	11-06-1991
	No. 136, Benzene Convention, 1971	
37	सं० 141 ग्रामीण कर्मकार संगठन, अभिसमय, 1975	18-08-1977
	No. 141, Rural Workers' Organisation	
	Convention, 1975	
38	सं 144 त्रिपक्षीय परामर्श (अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक)	27-02-1978
	अभिसमय, 1976	
	No. 144, Tripartite Consultation (International	
39	Labour Standards) Convention, 1976	26.00.1006
39	सं० 147 व्यापारी पोत परिवहन (न्यूनतम मानक)	26-09-1996
	अभिसमय, 1976	
	No. 147 Merchant Shipping (Minimum Standard)	
	Convention, 1976	

1	2	3
40**	सं० 160 श्रम सांख्यिकी अभिसमय, 1985	01-04-1992
	No. 160, Labour Statistics Convention, 1985	
41	सं० 174 बडी औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम	06-06-2008
	No. 174 Prevention of Major Industrial Accidents	
42	सं० 142 मानव संसाधन विकास	25-03-2009
	No. 142 Human Resources Development	
43	सं० 127 अधिकतम भार	26-03-2010
	No. 127 Maximum Weight	
प्रोटोक	ाल 1 पी 89 रात्रि कार्य (महिला) का 1990 का प्रोटोकॉल अभिसमय, (संशोधित) 1948	21-11-2003
Protoco		
44	(Women) Convention (Revised), 1948 सं॰ 185 समुद्री यात्रा (नाविक) पहचान दस्तावेज अभिसमय (संजोधित) 2003	09-10-2015
	No 185 Seafarers' Identity Documents Convention	
45 %	(Revised), 2003 समुद्री श्रम अभिसमय,2006 (एम एल सी 2006)	09-10-2015
	Martime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006)	

⁺ बाद में समाप्त कर दिया गया। अभिसमय के तहत बेरोजगारी से संबंधित आंकडों को प्रत्येक तिमाही में आन्तरिक तौर पर प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसे व्यवहार्य नहीं समझा जाता।

⁺ Later denounced. The convention requires, internal furnishing of Statistics concerning unemployment every three months which is considered not practicable.

 $\frac{1}{2}$

- ++ अभिसमय, संख्या 89 के अनुसमर्थन के फलस्वरूप परिवर्तन समाप्त
- ++ Convention denounced as a result of ratification of Convention No. 89
- & भाग II को छोड़कर
- & Excluding Part II
- # शाखाएं (ग) तथा (घ), तथा शाखाएं (क) से (ग) तथा (झ)
- # Branches (c) and (g) and branches (a) to (c) and (i)
- \$\$ प्रारम्भ में न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी लेकिन 1989 में इसे 18 वर्ष तक बढा दिया गया था।
- \$\$ Minimum age initially specified was 16 years but raised to 18 years in 1989
- ** भाग II का नियम 8
- ** Article 8 of Part II
- % मानक ए 4.5 (2) एवं (10) के अनुसार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा की निम्निलिखत शाखायें चिन्छित की हैं: मातृत्व लाभ, असमान्यता लाभ, उत्तरिजिवित्ता लाभ % In accordance with Standard A4.5(2) and (10), the Government has specified the following branches of social security: maternity benefit; invalidity benefit and surivors' benefit.

10 वर्तमान श्रम गतिविधियां

10 Current Labour Activities

वर्ष 2016 के दौरान महत्वपूर्ण श्रम कार्यकलापों का अध्याय-वार ब्योरा इस प्रकार है। The Chapter presents in brief the important labour activities during the year 2016.

- 1 सम्मेलन/बैठकं
- 1 Conferences/meetings
- 1.1 अर्न्तराष्ट्रीय
- 1.1 International

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 105वां अधिवेशन तथा शासी निकाय, अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन का 327वां अधिवेशन

105th Session of the International Labour Conference & 327th Session of the Governing Body, ILO

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 327वें अधिवेशन के साथ अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 105वें अधिवेशन का 30 मई से 11 जून, 2016 के दौरान जेनेवा में आयोजन किया गया।

105th Session of the International Labour Conference (ILC) along with 327th Session of Governing Body of ILO was held from $30^{\rm th}$ May to $11^{\rm th}$ June, 2016 in Geneva.

पूर्ण अधिवेशन में अन्त:क्षेप

Intervention in the Plenary Session

माननीय राज्य मन्त्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोज़गार द्वारा 7 जून, 2016 को अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन को सम्बंधित किया गया। उन्होंने रोज़गार सृजन तथा सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से सार्वभौमिक विकास की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उनके द्वारा नए उपक्रमों जैसे एन सी एस तथा संशोधित बन्धुआ मज़दूर पुनर्वास योजनाओं पर भी चर्चा की गई।

Hon'ble MoS (IC), L&E addressed the Plenary of ILC on 7th June, 2016. He emphasized on India's commitment to inclusive

10 Current Labour Activities

growth through employment generation and social security. He discussed the new initiatives like NCS and the Revised bonded Labour Rehabilitation Schemes too.

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 327वां अधिवेशन 327th Session of the Governing Body of ILO

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 327वां अधिवेशन 11 जून, 2016 को जेनेवा में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा शासी निकाय सत्र में भाग लिया गया।

327th Session of the Governing Body of the International Labour Organisation was held on 11th June, 2016 in Geneva. The Indian delegation participated in the Governing Body Session.

अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 105वें सत्र के दौरान साइड-लाइन बैठकें

ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक

Side-line Meetings during 105th Session of ILC BRICS Ministerial Meeting

भारत द्वारा 2016 में ब्रिक्स मंच की अध्यक्षता करते हुए अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के मार्जिन पर ब्रिक्स श्रम एवं रोज़गार मंत्रियों तथा घोषणा के अध्यक्षों की लंचीयन बैठक का आयोजन किया गया। ब्रिक्स बैठक में समूह के समान हितों के मामलों जैसे रोज़गार सृजन, एस एम ई, औपचारिकता की ओर पारगमन, तथा वस्तु प्रक्रियाओं को साझा करने पर विस्तार से चर्चा की गई जिन्हें इस मंच के माध्यम से आगे प्रोत्साहित किया जा सकता था। भारत द्वारा रोज़गार का पता लगाने संबंधी कार्यक्रमों के प्रस्तावित कैलंडर को भी साझा किया गया।

India as chair of BRICS forum for 2016 organised the Luncheon meeting of BRICS Labour and Employment Ministers and Heads of the Declaration on the margins of ILC. BRICS meeting at length discussed issues of common interest to the group that can be further prompted through this forum such as employment generation, SMEs, transition to formality, and sharing of good practices. India

10 Current Labour Activities

also shared the proposed calendar of the events on the employment track.

एसपाग मंत्रियों की बैठक

ASPAG Ministerial Meeting

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के एशिया-प्रशान्त समूह के संयोजक के रूप में भारत द्वारा 8 जून, 2016 को एसपाग देशों के मंत्रियों की बैठक का संचालन किया गया। "सार्वभौमिक विकास हेतु रोज़गार सृजन" चर्चा का विषय था। इस अन्तःक्षेप में मेज़बान तथा बैठक के अध्यक्ष के रूप में माननीय एम ओ एस(आई सी), एल एण्ड सी द्वारा रोज़गार सृजन तथा सार्वभौमिकता पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु भारत द्वारा की गई पहल पर प्रकाश डाला गया।

India as the coordinator of Asia-Pacific Group of ILO, convened the Ministerial Meeting of ASPAG countries on 8^{th} June, 2016. The theme of the deliberation was "Employment Generation for Inclusive Growth". In this Intervention as the host and chair of the meeting, Hon'ble MOS (IC), L&C highlighted India's initiatives for employment generation and focus on the inclusiveness.

द्विपक्षीय बैठक

Bilateral Meeting

इरान, जापान तथा श्री लंका के साथ मंत्री जी की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा भी तीन द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया गया। निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया:

Indian Delegation led by Minister also participated in three bilateral meeting with Iran, Japan and Sri Lanka. Following issues were discussed:

इरान: एक दूसरे की अर्थ-ट्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देना, कौशल विकास; सार्वजनिक रोज़गार सेवाओं में हिस्सेदारी

जापान: जापान द्वारा तकनीकी सहायता; आई टी तथा आई टी ई एस क्षेत्रों में श्रम प्रवास

10 Current Labour Activities

सहभागिता ; एन सी एस सुदृढ़ करना

श्री लंका: वी वी जी एन एल आई के साथ समझौता जापन; एस एस ए तथा ए ए को भक्तिम रूप देना

Iran: Promoting investment in each others economy; Skill Development; Partnering in Public employment Services

Japan: Technical assistance by Japan; Labour Migration participating in IT and ITES sectors; Strengthening NCS

Sri Lanka: MoU with VVGNLI; Finalising SSA&AA

नाम मन्त्रियों की बैठक

NAM Ministerial Meeting

नाम मन्त्रियों की 7 जून, 2016 को आयोजित बैठक की ईरान द्वारा अध्यक्षता की गई जोकि नाम का वर्तमान अध्यक्ष है। माननीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री तथा सचिव द्वारा बैठक में भाग लिया गया।

The NAM ministerial meeting on 7th June 2016 was presided by Iran who is the current chair of NAM. Hon'ble Minister and Secretary, L&E participated in the Meeting.

आई एल ओ के शासी निकाय का 328वां अधिवेशन

328^{th} Session of the Governing Body of ILO

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 328वां अधिवेशन 27.10.2016 से 10.11.2016 तक जेनेवा में आयोजित किया गया।

 328^{th} Session of the Governing Body of the International Labour Organisation was held during 27.10.2016 to 10.11.2016 in Geneva.

आई एल ओ की 16वीं एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक

16th Asia Pacific Regional Meeting of ILO

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 16वीं एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक बाली, इन्डोनेशिया में 6-9 दिसम्बर, 2016 के दौरान आयोजित की गई।

The 16th Asia Pacific Regional Meeting of International

10 Current Labour Activities

Labour Organisation was held during 6-9 December, 2016 in Bali, Indonesia.

जी-20 श्रम एवं रोज़गार मंत्रालयों की 11-13 जुलाई, 2016 के दौरान बीज़िंग, चीन में

 $\mbox{G-}20$ Labour and Employment Ministries' Meeting on 11-13 July, 2016 In Beijing, China

श्रम एवं रोज़गार राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा 11-13 जुलाई, 2016 के दौरान बीज़िंग, चीन में जी-20 श्रम एवं रोज़गार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया गया। ई.डब्ल्यू.जी प्रतिनिधियों द्वारा 2016 जी-20 कार्य-सूची तथा एल.ई.एम.एम बीज़िंग घोषणा-पत्र से संबंधित कार्य को अन्तिम रूप देने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। जी-20 देशों के श्रम एवं रोज़गार मंत्रियों द्वारा (i) रोज़गार तथा उद्यम को प्रोत्साहित करने हेतु योजना प्रतिबद्धताएं (ii) श्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की कौशल आवश्यकताएं तथा (iii) आय वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा पद्धित तथा कार्य दशाओं से संबंधित मामलों पर अन्तःक्षेप किया गया।

An Indian delegation headed by Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge) attended G-20 Labour and Employment Ministers' meeting on 11-13, July, 2016 in Beijing, China. EWG delegates met for finalizing work related to 2016 G20 agenda and LEMM Beijing Declaration. Labour and Employment Ministers from G20 nations made interventions on issues relating to (i) policy commitments on promoting employment and entrepreneurship (ii) skills needs of labour and vocational training and (iii) income growth, social protection system and working conditions. The meeting ended with the adoption of Beijing Declaration by Labour and Employment Ministers of G20 nations.

भारतीय अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स इंडिया 2016

Brics India 2016 under Indian Chairmanship

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा ब्रिक्स प्रथम रोज़गार कार्य समूह का 26-27

10 Current Labour Activities

जुलाई, 2016 को हैदराबाद में आयोजन किया गया तथा मंत्रालय के घोषणापत्र हेतु मसौदा बिन्दुओं के साथ-साथ ब्रिक्स मंत्रालय की बैठक की कार्यसूची पर चर्चा की गई। ब्रिक्स श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की बैठक 27-28 सितम्बर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। मंत्रालय के घोषणापत्र को दो दिवसीय विचार-विमर्श के अन्त में स्वीकार किया गया जिसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों/मंत्रियों द्वारा भाग लिया गया तथा आई एल ओ एवं आई एस एस ए के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया गया। रोज़गार सृजन, कार्यबल कौशल, सामाजिक सुरक्षा, औपचारिकता की ओर पारगमन, ब्रिक्स नेटवॉर्कग द्वारा श्रम एवं अनुसंधान संस्थानों का नेतृत्व करना तथा रोज़गार सृजन हेतु नवीकरण तथा उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन में बद्धिया पद्धतियों को साझा करने सहित कई मुद्दों को घोषणा-पत्र में शामिल किया गया।

Ministry of Labour & Employment has organized BRICS 1st Employment Working Group (EWG) at Hyderabad on 26-27 July, 2016 and the agenda for BRICS Ministerial Meeting as well as draft points for Ministerial Declaration was discussed. The BRICS Labour and Employment Ministerial meeting took place on 27-28 September, 2016 in New Delhi. A Ministerial Declaration was adopted at the end of two day deliberations which were attended by representatives/Ministers of BRICS nations and representatives of ILO and ISSA took part in the event. The Declaration covered issues, including employment generation, skilling of workforce, social security, transition to formality, networking of BRICS lead labour and research institutes and sharing best practices in implementing policies and programmes to encourage innovation and entrepreneurship for employment generation.

आई एल ओ के शासी निकाय का 326वां अधिवेशन 326th Session of the Governing Body, ILO

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 326वां अधिवेशन 10-24

10 Current Labour Activities

मार्च, 2016 को जेनेवा में आयोजित किया गया।

 326^{th} Session of the Governing Body (GB) of the International Labour Organisation was held from 10^{th} to 24^{th} March 2016 in Geneva.

शासी निकाय के 326वें अधिवेशन की कार्यसूची

Agenda of 326th Session of Governing Body

संस्थागत अन्भाग(आई एन एस)

Institutional Section (INS)

अन्तरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की कार्यसूची

Agenda of the International Labour Conference

इस कार्यसूची मद पर अन्तःक्षेप करते हुए भारत द्वारा मांग की गई कि आई एल सी की कार्यसूची हेतु विषय चयन में पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए । स्वैच्छिक रूप से विभिन्न प्रकार के विकल्पों की उपलब्धता हेतु क्षेत्र-वार सदस्य देशों को अपने क्षेत्र से प्रासंगिक समकालीन विषयों की सूची उपलब्ध करवाने हेतु प्रोत्साहित किया

While intervening on this agenda item, India called for sufficient flexibility in choosing subjects for agenda of ILC. Region wise, member countries may be encouraged to voluntarily provide a list of contemporary subjects contextual to their region to have a wide range options.

स्त्री पुरुष समानता 2010-15 के लिए आई एल ओ कार्य योजना तथा आई एल ओ कार्य योजना 2016-17 नीति की रूप-रेखा के स्वतंत्र मूल्यांकन के परिणाम

Results of the independent evaluation of the ILO Action Plan for Gender Equality 2010-15 and outline of the ILO Action Plan 2016-17 Policy

भारत के अन्तःक्षेप में भारत सरकार द्वारा संगठनात्मक स्तर पर की गई पहल तथा उलब्धियों की सराहना की गई। उसी समय भारत सरकार द्वारा इस बात

10 Current Labour Activities

पर बल दिया गया कि आई एल ओ एक कार्यालय से बढ़कर है तथा त्रिपक्षीय सहभागियों को लिंग समानता के मुद्दे पर सामूहिक रूप में आगे आना चाहिए।

In India's intervention, Govt. of India appreciated the initiatives taken and achievements at the organizational level. At the same time Govt. of India emphasized that ILO is more than that the Office and the tripartite partners must be brought on aboard on the issue of gender parity.

सम्चित कार्य तथा सार्वभौमिक संवृद्धिः वैश्विक नीति हेत् चुनौतियाँ

Decent Work and Inclusive Sustainable Growth: Challenges for global policy

भारत द्वारा ब्रिक्स देशों: की ओर से यह अन्तःक्षेप किया गया। इस अन्तःक्षेप द्वारा स्थायी विकास की 2030 कार्यसूची के लक्ष्य सं. 8 को याद किया गया तथा ब्रिक्स श्रम एवं रोज़गार मंत्रियों की स्थायी सार्वभौमिक तथा आर्थिक संवृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादक नियोजन तथा सभी के लिए समुचित कार्य को प्रोत्साहन देने के प्रति वचनबद्धता को दोहराया गया।

India made this intervention on behalf of the BRICS countries: The intervention recalled the Goal no. 8 of 2030 Agenda of Sustainable Development and reiterated commitment of BRICS Labour and Employment Ministers towards promotion of sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

नीति विकास अनुभाग

Policy Development Section

सार्वभौमिक संवृद्धि हेतु अधिक तथा बेहतर नौकरियां तथा युवा रोज़गार की बेहतर संभावनाएं

More and better jobs for inclusive growth and improved youth employment prospects

भारत द्वारा अपने अन्तःक्षेप में आई एल ओ रणनीति तथा प्रस्तावित

10 Current Labour Activities

अन्तःक्षेपों के मान एवं कार्य-क्षेत्र की गहण अवधारणा की, विशेष रूप से इस तथ्य की कि प्रस्तावित रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर समष्टि अर्थशास्त्र को समझने का प्रयास करती है, सराहना की गई।

India in its intervention appreciated the comprehensive approach of ILO strategy and the scale and scope of the proposed interventions more particularly the fact that the proposed strategy seeks to understand the macroeconomic context at national level.

निष्पक्ष तथा प्रभावकारी श्रम प्रवासन नीतियों को बढावा देना

Promoting fair and effective labour migration policies.

भारत देश एक स्त्रोत तथा गंतव्य दोनो है। महिलाओं सहित बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं। दूसरा बड़ा हिस्सा घरेलू श्रमिकों का है। अपने अन्तःक्षेप में भारत द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्माण तथा अन्य असंगठित कामगारों जोकि ज्यादातर प्रवासी हैं, के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा कर्मचारी भविष्य निधि खाते की सुवाह्यता हेतु सार्वभौमिक खाता संख्या सहित सभी के लिये सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता के संबंध में भारत सरकार द्वारा की गई पहल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया।

India is both a source and destination country. A large number of migrant workers including women are engaged in construction sector. Another Big chunk is that of domestic workers. In its intervention, India elaborated the initiatives taken by the Government of India towards the commitment to social security for all, including, Universal Account Number (UAN) for portability of EPF account and the extension of Health Services by ESIC to construction and other unorganised workers who are largely migrant.

आई एल ओ के शासी निकाय का 328वां अधिवेशन

328th Session of the Governing body, ILO

अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का 328वां अधिवेशन 27 अक्तूबर

10 Current Labour Activities

से 10 नवम्बर, 2016 तक जेनेवा में आयोजित किया गया। भारतीय स्थायी मिशन के साथ भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा श्रम एवं रोज़गार सचिव की अध्यक्षता में जेनेवा में शासी निकाय की बैठक में भाग लिया गया।

328th Session of the Governing Body (GB) of the International Labour Organisation was held from 27th October to 10th November, 2016 in Geneva. The Indian delegation led by Secretary (L&E), participated in the Governing Body meetings along with permanent mission of India in Geneva.

तकनीकी सहयोग कार्यक्रम

Technical Co-operation Programmes

भारत और आईएलओ रोजगार, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कार्य स्थितियों में सुधार, तकनीकी सुविधाओं का उन्नयन एवं कौशल विकास, प्रबंधन परामर्श विकास, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास तथा अन्य श्रम संबंधी मामलों पर विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण तथा लाभकारी सहयोग साझा करते हैं।

India and ILO share a very significant and fruitful cooperation in various technical programmes in the areas of employment, occupational safety & health, improvement of working conditions, up gradation of technical facilities and skills development, management consultation development, social security, skill development and other labour related issues.

बह्पक्षीय सहयोग

Multilateral Cooperation

उच्च स्तरीय अर्न्तराष्ट्रीय बैठकें

High-Level International Meetings

कुछ महत्वपूर्ण अर्न्तराष्ट्रीय य बैठकें जिनमें भारत ने सक्रिय रूप से भाग लिया इस प्रकार हैं:

10 Current Labour Activities

Some of the prominent International meetings where India participated actively include:-

- उपसचिव ने 2-4 फरवरी, 2016 के दौरान गुआंगचाऊ, चीन में जी20 रोजगार कार्यकारी समृह की बैठक में भाग लिया।
- Deputy Secretary attended the 1st meeting of the G 20 Employment Working Group meeting in Guangzhou, China during 2-4 February, 2016.
- सचिव, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय, युक्त सचिव तथा निदेशक ने 10-24 मार्च 2016 के दौरान जेनेवा में आयोजित आईएलओ की शासी निकाय की 326वीं बैठक में भाग लिया।
- Secretary(L&E), Joint Secretary and Director attended the 326th Meeting of the Governing Body of ILO held during 10-24 March, 2016 in Geneva
- आर्थिक सलाहकार ने सोच्चि, रूस में 18-22 अप्रैल 2016 के दौरान रूस सरकार के ऑल रिशयन हेल्थ एंड सेफ्टी वीक में भाग लिया।
- Economic Advisor attended Government of Russia's All Russian Health and Safety Week on 18-22 April, 2016 in Sochi, Russia.
- संयुक्त सचिव तथा श्रीमती अनीता त्रिपाठी, उपसचिव ने 27-29 अप्रैल, 2016 के दौरान शंघाई, चीन में जी20 के कार्यकारी समूह की द्वितीय बैठक में भाग लिया।
- Joint Secretary and Deputy Secretary, MOL&E attended the 2nd meeting of G 20 Employment Working Group on 27-29 April, 2016 in Shanghai, China
- श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) तथा राज्य मन्त्री के निजी सचिव ने 11-13 जुलाई, 2016 के दौरान बीजिंग, चीन का दौरा किया।
 उन्होंने वहाँ पर आयोजित जी20 की रोजगार कार्यकारी समूह की चौथी बैठक तथा जी20 श्रम एवं रोजगार मन्त्रियों की बैठक में भाग लिया।

10 Current Labour Activities

- Hon'ble MoS (IC) for L&E, Secretary (L&E) and PS to MoS visited Beijing, China during 11-13 July, 2016 in Beijing, China. They attended the 4th meeting of the G 20 Employment Working Group meeting and G 20 Labour and Employment Ministers Meeting held there
- दो उप महानिदेश, लेबर ब्यूरो, ने 20-22 सितम्बर, 2016 के दौरान वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में "अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण पर अकादमी" विषय पर आईएलओं के एक कार्यक्रम में भाग लिया।
- Two Deputy Director Generals of Labour Bureau attended ILO Programme on "Academy on Formalisation of Informal Economy" on 20-22 September, 2016 in Washington DC, USA
- आरएलसी(सी), ने 10-14 अक्तुबर, 2016 के दौरान जेनेवा, स्विटजरलैंड में मानक समीक्षा तन्त्र पर त्रिपक्षीय कार्यकारी समूह की द्वितीय बैठक में भाग विकास
- RLC(C) had attended the 2nd meeting of the tripartite working Group on the Standards Review Mechanism (SRM) on 10-14 October, 2016 in Geneva, Switzerland
- संयुक्त सचिव ने 27-28 अक्तुबर, 2016 के दौरान तुरीन में आईटीसी की 79वीं बोर्ड की बैठक में भाग लिया।
- Joint Secretary had attended the 79th Board meeting of ITC Turin during 27-28 October, 2016.
- सचिव, , संयुक्त सचिव तथा निर्देशक श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय ने 27.10.2016 से 10.11.2016 के दौरान जेनेवा में आयोजित आईएलओ की शासी निकाय की 328वीं बैठक में भाग लिया।
- Secretary, Joint Secretary and Director, Labour & Employment attended the 328th Session of the Governing Body of ILO held during 27.10.2016 to 10.11.2016.
- अवर सचिव, ने 17-18 नवम्बर, 2016 के दौरान भारत-श्रीलंका सामाजिक

10 Current Labour Activities

सुरक्षा समझौते पर विचार-विमर्श संबंधी बैठक में भाग लिया।

- Under Secretary attended the Negotiation on India- Sri Lanka Social Security Agreement on 17-18 November, 2016.
- संयुक्त सचिव, ने तुरीन, इटली में 29.11.2016 से 09.12.2016 के दौरान आईटीसी/आईएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने आईटीसी, तुरीन में उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त बाल श्रम (रोकथाम एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 में हाल ही में किए गए संशोधनों पर चर्चा करने हेतु तथा अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय 138 तथा 182 के अनुसमर्थन के लिए 6-7 दिसम्बर, 2016 को आईएलओ, जेनेवा का दौरा किया।
- JS attended the ITC/ ILO Training Programme on 29.11.2016 to 09.12.2016 in Turin, Italy. He had also visited ILO, Geneva during 6-7 December, 2016 to have discussions to have discussion on the recent amendments carried on the Child Labour (Prohibition and Regulation) amendment Act, 2016 and the ratification to ILO Convention 138 and 182 in the sidelines of his training programme at ITC, Turin.
- श्री मनीष कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्री रजित पुन्हानी, संयुक्त सचिव तथा भारतीय त्रिपक्षीय के प्रतिनिधियों ने 6-9 दिसम्बर, 2016 को बाली, इंडोनेशिया में 16वीं ऐशिया पेसीफिक क्षेत्रीय बैठक में भाग लिया।
- Shri Manish Kumar Gupta, Joint Secretary, Shri Rajit Punhani, Joint Secretary and the Indian tripartite delegation attended the 16th Asia Paricific Regional Meeting of ILO on 6-9 December, 2016 in Bali, Indonesia
- निदेश्क श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा सीनियर फैलो, वीवीजीएनएलआई ने 19-21 दिसम्बर, 2016 के दौरान बर्लिन, जर्मनी में जर्मन प्रेसिडेंसी के अधीन आयोजित जी20 रोजगार कार्यकारी समृह की प्रथम बैठक में भाग लिया।
- Director Ministry of Labour & Employment and Senior Fellow,
 VVGNLI attended the 1st meeting of the G 20 employment

10 Current Labour Activities

working Group under the German Presidency during 19-21 December, 2016 in Berlin, Germany.

कुछ प्रसिद्ध अन्तरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों ने श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय के अधिकारियों से मूलाकात के संबंध में भारत का दौरा किया :

Some of the prominent International Delegations visited India to meet officials of Ministry of Labour and Employment are-

- महानिदेशक, आईएलओ ने 5-9 जुलाई, 2016 के दौरान भारत का दौरा किया।
 उन्होंने द्विपक्षीय बातचीत के लिए 07 जुलाई, 2016 को श्रम एवं रोजगार
 मन्त्रालय में माननीय राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) के साथ बैठक की।
- Director General ILO visited India during 5-9 July, 2016. He had a meeting with Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment on 7th July 2016 for bilateral discussions.
- मिस्टर ह् केमिंग, जनगणतांत्रिक चीन के राज्य परिषद के विधाई मामले कार्यालय के उप मन्त्री ने 20 जून, 2016 को श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय में सचिव के साथ बैठक की।
- Vice Minister of Legislative Affairs Office of the State Council
 of the People's Republic of China had a meeting with Secretary
 (L&E) on 20th June 2016.
- निदेशक, आईएलओ-डीडब्ल्यू ने 27 अक्तूबर, 2016 को श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय में सचिव के साथ बैठक की।
- Director, ILO-DW had a meeting with Secretary (L&E) on 27th October, 2016.
- उप श्रम मन्त्री, अफगानिस्तान सरकार ने श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय में माननीय राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) के साथ बैठक की।
- Deputy Minister of Labour, Government of Afghanistan had a meeting with Hon'ble Minister of State (Independent Charge) for Labour & Employment.

10 Current Labour Activities

2 सामाजिक सुरक्षा कानून

2 SOCIAL SECURITY LAWS

भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजना की परिधि में संगठित श्रम बल का केवल एक हिस्सा आता है जिसे संगठन के भीतर प्रत्यक्ष एवं नियमित नियोक्ता कर्मचारी संबंध रखने वाले श्रमिकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । भारत में सामाजिक सुरक्षा कानून अपनी शिक्त एवं उत्साह भारत के संविधान में दिए अनुसार राज्य योजना के निदेशक सिद्धांतों से प्राप्त करते हैं । ये या तो अकेले नियोक्ता के खर्च पर या नियोक्ता तथा कर्मचारी के संयुक्त अंश के आधार पर सामाजिक सुरक्षा लाभ की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करते हैं । कर्मचारियों को उपलब्ध अधिकारों के संरक्षण तथा अनुपालन का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से नियोक्ता का होता है । भारत में अधिनियमित मुख्य सामाजिक सुरक्षा कानून इस प्रकार है :

The social security schemes in India cover only a small segment of the organized work-force, which may be defined as workers who are having a direct regular employer–employee relationship within an organization. The social security legislations in India derives their strength and spirit from the Directive Principles of the State Policy as contained in the Constitution of India. These provide for mandatory social security benefits either solely at the cost of the employers or on the basis of joint contribution of the employers and the employees. While protective entitlements accrue to the employees, the responsibilities for compliance largely rest with the employers. The principal social security laws enacted for the organised sector in India are:

2.1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

2.1 The Employees State Insurance Act, 1948

कवरेज यह अधिनियम 10 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों पर लागू होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों को क्षेत्र-वार चरणों में लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम में समाहित प्रावधान के अनुसार "सक्षम सरकार"

10 Current Labour Activities

इस अधिनियमों के प्रावधानों को स्थापनाओं की अन्य श्रेणियों जैसे औद्योगिक, वाणिज्य, कृषि अथवा अन्य तक भी विस्तार कर सकती है। इन प्रावधानों के उपबंधों के तहत राज्य सरकारों ने इनका विस्तार दुकानों, होटलों, रेस्तरांओं, सिनेमा जिसमें प्रीट्यू थियेटर शामिल हैं, सड़क मोटर परिवहन उपक्रम, अखबार स्थापनाएँ, शैक्षाणिक तथा चिकित्सा संस्थानों जिनमें 10 अथवा इससे अधिक व्यक्ति नियोजित हों, तक कर दिया है। 24 राज्यों/संघ शासित प्रदेश की सरकारों ने 10 अथवा इससे अधिक व्यक्तित्यों को नियोजित करने वाली दुकानों तथा स्थापनाओं की कवरेज करने वाली सीमा रेखा को कम कर दिया है। उन कारखानों तथा स्थापनाओं के कामगार इस अधिनयम के अधीन आते हैं जो 15,000 रू मासिक आय प्राप्त कर रहे हैं तथा अंपग व्यक्ति जो 25,000 रू मासिक प्राप्त कर रहे हैं इस स्कीम के तहत आते हैं। ईएसआई स्कीम अब 31 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अवस्थित 815 केन्द्रों से कार्यान्वित की जाती है।

Coverage The Employees' State Insurance Act, 1948 applies to factories employing 10 or more persons. The provisions of the Act are being brought into force area-wise in stages. The Act contains an enabling provision under which the "appropriate government" is empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments industrial, commercial agricultural or otherwise. Under these provisions, the State Governments have extended the provisions of the Act to shops, hotels, restaurants, cinemas including preview theatres, road motor transport undertakings, newspaper establishments, educational and medical institutions employing 10 or more employees. Employees of factories and establishments covered under the Act drawing monthly wages upto Rs.21,000/- per month and Rs.25,000/- per month for persons with disabilities are covered under the Scheme. The ESI Scheme is now operated in 843 centres situated in 33 States/Union Territories.

प्रशासन इस स्कीम को एक सांविधिक निकाय नामतः कर्मचारी राज्य बीमा निगम के

10 Current Labour Activities

माध्यम से लागू किया जाता है जिसमें कर्मचारियों, नियोक्ताओं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवसाय तथा संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल होते हैं। संघ का श्रम एवं रोजगार मन्त्री इसका अध्यक्ष होता है। एक स्थाई समिति, जिसका गठन निगम के सदस्यों में से ही किया जाता है, जो स्कीम के संचालन हेतु कार्यकारी निकाय के रूप में काम करती है जिसका अध्यक्ष सचिव, श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय शायन सरकार होता है।

Administration The ESI Scheme is administered by a statutory body called the Employees' State Insurance Corporation (ESIC), which has members representing Employers, Employees, Central and State Governments, Medical Profession and the Parliament. The Union Minister for Labour & Employment is the Chairman. A Standing Committee, constituted from among the members of the Corporation, acts as the executive body for administration of the Scheme and is chaired by the Secretary, Ministry of Labour & Employment.

स्कीम को धन उपलब्ध करवाना तथा कार्यान्वयन ईएसआई स्कीम को मुख्यतः नियोक्ताओं तथा कामगारों से प्राप्त अंशदान से चलाया जाता है। नियोक्ताओं तथा कामगारों के अंशदान के भाग की दर क्रमशः 4.75% तथा 1.75% है।

Funding and Operation of the Scheme The ESI Scheme is mainly financed by contributions from the employers and employees. The rates of the employers' and the employees' share of contribution are 4.75% and 1.75%, respectively

ईएसआई स्कीम के तहत स्वास्थ्य एवं नकद लाभ चिकित्सा देखभाल के साथ-ही, ईएसआई स्कीम के तहत लाभार्थियों को कुछ नकद लाभ भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इनका भुगतान अस्थाई अस्वस्थता अथवा स्थाई अपंगता के कारण शारीरिक क्षति जिसके परिणामस्वरूप उपार्जन क्षमता समाप्त हो जाती है, बीमाकृत महिलाओं के संबंध में प्रस्ति इत्यादि की स्थिति में किया जाता है। बीमा प्राप्त व्यक्तियों के आश्रितों जिनकी मृत्यु व्यावसायिक बीमारी अथवा नियोजन के दौरान दुर्घटना के

10 Current Labour Activities

कारण होती है, को मासिक भुगतान किया जाता है जिसे आश्रित लाभ कहा जाता है। नकद लाभों का भुगतान निगम द्वारा उन स्थानों में स्थापित जहाँ यह स्कीम चलाई जा रही है, शाखा कार्यालयों तथा भुगतान कार्यालयों पर किया जाता है ईएसआई स्कीम के तहत दिए जाने वाले नकद लाभों की तालिका इस प्रकार है:- अस्वस्थता लाभ : अस्वस्थता लाभ; विस्तृत अस्वस्थता लाभ ; विस्तारित अस्वस्थता लाभ; अगंगता लाभ : अस्थाई अगंगता लाभ : अस्थाई अगंगता लाभ; स्थाई अगंगता लाभ; आश्रित लाभ; मातृत्व लाभ; चिकित्सा लाभ; अन्य लाभ : प्रस्ति लाभ; दाह-संस्कार प्रभार; व्यावसायिक पुनर्वास ; शारीरिक पुनर्वास ; बेरोजगारी भत्ता; बेरोजगारी भत्ते के तहत कौशल उन्नयन प्रशिक्षाण

Health & Cash Benefits under ESI Scheme Besides from medical care, the beneficiaries under ESI Scheme are also provided an array of cash benefits. It is payable in times of physical distress due to sickness, temporary or permanent disablement resulting in loss of earning capacity, confinement in respect of insured women etc. Dependents of insured persons who die of employment injury caused by accident or occupational disease are entitled to monthly payments called the dependent benefits. Cash benefits payments are made at the Branch Offices and Pay Offices set up by the Corporation in areas where the Scheme is in operation. The list of Cash Benefits provided under the ESI Scheme are as following: Sickness benefit: Sickness Benefit; Enhanced Sickness Benefit; Extended Sickness Benefit; **Disablement benefit**: Temporary Disablement Benefit and Permanent Disablement Benefit Dependant's Benefit ; Maternity Benefit ; Medical Benefit Other Benefit: Confinement Expenses; Funeral Expenses; Vocational Rehabilitation; Physical Rehabilitation; Unemployment Allowances (RGSKY); Skill Upgradation Training under RGSKY

चिकित्सा देखभाल इस स्कीम के तहत बीमा प्राप्त व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों को प्राईमरी हेल्थ केयर से सुपर स्पेश्यिएलिटी ट्रीटमेंट तक पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ दी जाती

10 Current Labour Activities

쑬

Medical Care The Scheme provides reasonable medical facilities from primary health care to super speciality treatment in respect of the insured persons and their family members.

2.2 कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952

2.2 Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952

कर्मचारी अविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 कारखानों तथा अन्य संस्थानों में कार्यरत्त कर्मचारियों के लिए अविष्य निधि पेंशन फण्ड तथा डिपोजिट संबंध बीमा फण्ड प्रारम्भ करने के उद्देश्य से अधिनियमित कल्याण कानून है । इस अधिनियम का उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को जब वे विपत्ति (कुर्की) में होते हैं तथा/या परिवार तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के अयोग्य होते हैं तथा बुदापे में उन्हें सुरक्षा देने हेतु विकलांगता, कमाने वाले की अकाल मृत्यु की स्थिति में तथा कुछ अन्य आकस्मिक घटनाओं के समय सामाजिक सुरक्षा तथा समय पर वित्तीय सहयोग देना है । इस समय अधिनियम के तहत कर्मचारी अविष्य निधि संगठन के माध्यम से निम्नलिखित 3 योजनाएं लागू है: कर्मचारी अविष्य निधि योजना, 1952; कर्मचारी जमा संबंधित बीमा योजना, 1976 ; कर्मचारी पंशन योजना, 1955

The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is a welfare legislation enacted for the purpose of instituting provident funds, pension fund and deposit linked insurance fund for employees working in factories and other establishments. The Act aims at providing social security and timely monetary assistance to industrial employees and their families when they are in distress and/or unable to meet family and social obligations and to protect them in old age, disablement, early death of the bread winner and in some other contingencies. Presently, the following three Schemes are in operation under the Act through the

10 Current Labour Activities

Employees' Provident Fund Organisation (EPFO): Employees' Provident Funds Scheme, 1952; Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976; Employees' Pension Scheme, 1995

स्थापनाओं की कवरेज तथा सदस्य यह अधिनियम वर्तमान में अधिनियम की अनुस्ची 1 में विनिर्दिष्ट अथवा किसी गतिविधि हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में यथाअधिस्चित तथा 20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले 187 विनिर्दिष्ट उद्योगों/स्थापनाओं के वर्गों पर लागू होता है। अनिवार्य कवरेज के प्रावधान के अलावा इस अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक कवरेज का भी प्रावधान है। 31.03.2016 तक छूट तथा गैर-छूट वाले दोनों ही क्षेत्रों में इंपीएफ स्कीम के तहत 1714.14 लाख की सदस्यता के साथ इस अधिनियम के अन्तर्गत कवर कारखानों तथा स्थापनाओं की संख्या 9,26,297 थी। 01.09.2014 से एक कर्मचारी जो एक शामिल की गई स्थापना में नियोजन प्राप्त करते हुए तथा जो 15,000 रू तक की मजदूरी प्राप्त कर रहा है, को निधि का सदस्य बनना अनिवार्य है।

Coverage of establishments and members Presently, the Act is applicable to 190 specified industries/classes of establishments as is specified in Schedule I of the Act or any activity notified by the Central Government in the Official Gazette and employing twenty or more persons. Apart from the provision for compulsory coverage, provision also exists under section 1(4) of the Act for voluntary coverage. As on 31.03.2016, there were 9,26,297 establishments and factories covered under the Act with a membership of 1714.14 lakh under EPF Scheme, both in the Exempted and Un-exempted sectors. With effect from 01-09-2014, an employee, on joining the employment in a covered establishment and getting wages upto Rs.15,000/- is required to become a member of the fund.

सदस्यों को प्राप्त सेवा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का सदस्य नौकरी छोड़ने पर उसके खाते में जमा राशि को ब्याज सहित प्राप्त करने का हकदार होता है। वर्ष

10 Current Labour Activities

2015-16 के दौरान 16,54.27 लाख ईपीएफ दावों को निपटाया गया। स्कीम के अन्तर्गत भविष्य निधि खाते से कुछ आकस्मिक जरूरतों जैसे कि बीमारी, अशक्तता आदि को पूरा करने के लिए तथा इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की सामाजिक दायित्वों जैसे कि स्वयं की शादी, बच्चों की शादी अथवा बच्चों की उच्च शिक्षा और मकान निर्माण आदि को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु भी आंशिक निकासी की जा सकती है। एक वित्तीय वर्ष के अंत में सदस्य को उसके खाते का विवरण भी प्रदान किया जाता है जिसमें उसकी शेष राशि दर्शाई जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान 1,732.19 लाख वार्षिक खाते विवरण निर्गत किए गए।

Service to Members A member of the Employees Provident Fund Scheme is entitled to withdraw the amount lying in his account together with interest on quitting service. During the year 2015-16, 54.27 lakh EPF claims were settled. The scheme also provides for partial withdrawals from the Provident Fund Account to meet contingencies like illness, invalidation and also to provide financial assistance to discharge their social responsibilities like marriage of self, children or higher education of children and construction of dwelling house. At the end of a financial year a member is also entitled to receive annual statement of account indicating his balances. During the year 2015-16, 1,732.19 lakh annual statement of accounts were issued.

कर्मचारी डिपोजिट-लिंक्ड बीमा स्कीम, 1976 (ईडीएलआई) यह स्कीम 1 अगस्त, 1976 से सभी कारखानां/स्थापनाओं पर लागू है। वे सभी कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य हैं, उनको इस स्कीम का सदस्य बनना वाछंनीय है। कर्मचारियों को अपने वेतन का 0.5 प्रतिशत हिस्सा अर्थात मूल मजदूरी, महंगाई भत्ता जिसमें खाद्य छूट तथा प्रतिधारित भत्ता यदि कोई है, बीमा निधि में अंशदान के रूप में जमा करना वांछनीय होता है। इस स्कीम के पैरा 22 के अधीन लाभ के तहत एक कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में यह 20% तक बढ़ जाता है जो इसमें दिए गए लाभों से अतिरिक्त होता है।

10 Current Labour Activities

Employees deposit linked insurance scheme, 1976 Employees deposit-linked insurance scheme, 1976 (edli) is applicable to all factories / establishments with effect from 1st august, 1976. All the employees, who are members of the employees' provident fund scheme, are required to become members of this scheme. Employers are required to pay contributions to the insurance fund at the rate of 0.5 per cent of pay i.e., basic wages, dearness allowance including cash value of food concession and retaining allowance, if any. The benefit under para 22 of this scheme on the death of an employee has been further increased by 20% in addition to the benefits already provided therein.

कर्मचारी पंशन योजना, 1995 16.11.1995 से कर्मचारी पंशन योजना, 1995 लागू कर दी गई है। पंशन योजना के लागू होने से पूर्व कर्मचारी पारिवारिक पंशन योजना, 1971 को बंद कर दिया गया है।

Employees' pension scheme, 1995 The Employees' Pension Scheme, 1995 has been introduced w.e.f. 16-11-1995. With the introduction of the Pension Scheme, the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971, has ceased to operate.

स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ कर्मचारी पेशन योजना, 1995 के अन्तर्गत सदस्यों तथा उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं: मासिक सदस्य पेशन ; अशक्तता पेशन; विधवा/विधुर पेशन; बालक पेशन; अनाथ पेशन; विकलांग बालक/अनाथ पेशन; मनोनीत पेशन; आश्रित अभिभावकों को पेशन; निकासी लाभ

Benefits under the scheme The Employees' Pension Scheme, 1995 provides the following benefits to the members and their families: Monthly member pension; Disablement pension; Widow/ widower pension; Children pension; Orphan pension; Disabled Children/Orphan Pension; Nominee pension; Pension to dependent parents; Withdrawal benefit.

पंशन निधि में योगदान इसका वित्तीय प्रबंध नियोक्ता के हिस्से से भविष्य निधि

10 Current Labour Activities

अंशदान के 8.33 प्रतिशत की दर पर नियोक्ता से योगदान लेकर किया जाता है तथा केन्द्रीय सरकार भी कर्मचारियों की मज़दरी का 1.16 प्रतिशत योगदान देती है

2.3 कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923

2.3 The Employee's Compensation Act, 1923

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं पर नियोजन के दौरान होने वाली घटनाओं के लिए कामगारों को भुगतान करने हेतु बाध्य करना है। यह अधिनियम कारखानों, खानों, बागानों, यांत्रिक शक्ति से चलने वाली मशीनें, निर्माण कार्य तथा कई अन्य खतरनाक व्यवसायों में काम कर रहे व्यक्तियों पर लाग् होता है। यह अधिनियम नियोजन के दौरान कोई दुर्घटना होने तथा चोट लगने (कई व्यावसायिक बीमारियों सहित) की स्थिति में कामगारों और उनके आश्रितों को क्षतिपुर्ति के भुगतान की व्यवस्था करता है।

The main objective of the Act is to impose an obligation upon the employers to pay compensation to workers for accidents arising out of and in the course of employment. The Act applies to the persons employed in factories, mines, plantations, mechanically propelled vehicles, construction works and certain other hazardous occupations. The Act provides for payment of compensation to the employees and their dependents in case of injury and accident (including certain occupational diseases) arising out of and in the course of employment and resulting in disablement or death.

हकदारी कर्मचारी प्रितपूर्ति अधिनियम की धारा 2 (1)(घघ) के अन्तर्गत एक 'कर्मचारी' होने से अभिप्राय है प्रथम, एक व्यक्ति नियोक्ताओं के व्यापार अथवा बिजनेस के उद्देश्यों हेतु नियोजित होना चाहिए; तथा अंतिम यह है कि वह कार्य जो वह करता है, अधिनियम की अनुसूची ॥ की तालिका में निर्धारित होना चाहिए।

10 Current Labour Activities

Entitlement In order to be an "employee" within the meaning of section 2(1) (dd) of the Employees' Compensation Act, firstly, a person should be employed for the proposes of the employer's trade or business; and lastly, the capacity in which he works should be one set out in the list in Schedule II of the Act.

लाभ मृत्यु के मामले में प्रतिकर दर मृत कर्मकार की मासिक मजद्री के 50 प्रतिशत को संगत कारक या 1,20,000/- रू की राशि जो भी अधिक हो, से गुणा के बराबर की राशि है। जहाँ कुल विकलांगता का कारण चीट है वहाँ प्रतिकर घायल कर्मकार की मासिक मजद्री के 60 प्रतिशत को संगत कारक या 1,40,000 रू की राशि जो भी अधिक हो, से गुणा के बराबर की राशि होगी।

Benefits The rate of compensation in case of death is an amount equal to fifty per cent of the monthly wages of the deceased workman multiplied by the relevant factor or an amount of Rs.1,20,000/-, whichever is more. Where permanent total disablement results from the injury, the compensation will be an amount equal to sixty per cent of the monthly wages of the injured workman multiplied by the relevant factor or an amount of Rs.1,40,000/-, whichever is more.

प्रशासन राज्य सरकारें इस अधिनियम के इन प्रावधानों को विनिर्दिष्ट क्षेत्रों हेतु नियुक्त किए गए आयुक्तों के माध्यम से लागू करवाती है। राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रावधानों की अनुपालना हो, नियम भी बनाती है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों तथा संबंधित मन्त्रालयों/विभागों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में दिसम्बर 2009 में कितिपय संशोधन कर दिए गए हैं।

Administration The State Governments administer the provisions of this Act through the Commissioners appointed for specified areas. The State Governments also make rules for ensuring that the provisions of the Act are complied with. Keeping in view the

10 Current Labour Activities

recommendation of the Second National Commission on Labour and suggestions received from the related Ministries / Departments, certain amendments in the Workmen's Compensation Act, 1923 have been carried out in December, 2009.

2.4 प्रस्ति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

2.4 The Maternity Benefit Act, 1961

यह अधिनियम सितम्बर, 1961 में पारित हुआ तथा 12 दिसम्बर, 1961 को इसे स्वीकृति प्राप्त हुई। प्रसूति प्रसुविधा लाभ 1961 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत शामिल महिलाओं को छोड़कर 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों, खननों, सर्कस उदयोग, बागान इकाइयों तथा द्कानों या संस्थानों में महिलाओं के रोजगार को जन्म से पहले तथा बाद में निश्चित अविध के लिए नियंत्रित करता है तथा प्रसूति और अन्य प्रसुविधाओं का प्रावधान करता है । यह अधिनियम सिक्किम राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है । यह अधिनियम महिला श्रमिकों को गर्भावस्था की अवधि के दौरान रोजगार से बाहर होने के कारण निश्चित शर्तें पूरा करने पर प्रसृति अवकाश तथा कई मौद्रिक लाओं के भ्गतान की व्यवस्था भी करता है । अशिष्ट कदाचार को छोड़कर गर्भावस्था के कारण महिला श्रमिक की अन्पस्थिति के दौरान उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती । एक महिला अधिकांशत: 12 सप्ताहों के लिए प्रसूति प्रसुविधा ले सकती है । इस अधिनियम को 2008 में संशोधित किया गया है A 19.12.2011 से इस अधिनियम के तहत 3500 रू का चिकित्सा बोनस दिया जा रहा है। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रसति लाभ को मौजदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक जोकि दो जीवित बच्चों तक सीमित होगा, तथा दो से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह तक के प्रस्ति लाभ देने हेत् एक प्रस्ताव पर प्रस्ति प्रस्विधा अधिनियम, 1961 के संशोधन के माध्यम से विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधित विधेयक में बच्चा गोद लेने तथा सेरोगेसी (कमीशनिंग) माताओं के लिए भी प्रसृति लाभ दिए जाने का प्रावधान

The Act was passed in September, 1961 and received its assent

10 Current Labour Activities

on 12th December, 1961. The Act regulates the employment of women in factories, mines, the circus industry, plantation units and shops or establishments employing 10 or more persons except the employees covered under the Employees State Insurance (ESI) Act, 1948 for certain periods before and after birth and provides for maternity and other benefits. It extends to the whole of India, except the State of Sikkim. It also provides for maternity leave and payment of certain monetary benefits to women workers subject to fulfilment of certain conditions during the period when they are out of employment on account of pregnancy. The services of a woman worker cannot be terminated during the period of her absence on account of pregnancy except for gross misconduct. Maximum period for which a woman can get maternity benefit is twelve weeks. The Act had been amended in 2008. A medical bonus of Rs.3,500/- is being provided from 19.12.2011 under the Act. A proposal for increasing the maternity benefit for working women from existing 12 weeks to 26 weeks up to two surviving children and 12 weeks for more than two children is under the consideration by amending the Maternity Benefit Act, 1961. The proposed amendment Bill has also provisions of maternity benefits for adopting and Commissioning mothers. It also seeks crèche and work from home facility.

2.5 उपदान भुगतान अधिनियम, 1972

2.5 The Payment of Gratuity Act, 1972

उद्देश्य उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बन्दरगाहों, रेलवे कम्पनियों, मोटर परिवहन उपक्रमों एवं दुकानों या अन्य संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी की कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा पर सेवानिवृत्ति अथवा उसकी सेवामुक्ति अथवा त्यागपत्र अथवा दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण उसकी मृत्यु अथवा निशक्त होने पर उसका नियोजन समाप्त किए जाने पर उपदान के आवश्यक भुगतान की योजना की व्यवस्था करता है बशर्ते कि पाँच वर्ष

10 Current Labour Activities

की नियमित सेवा का पूर्ण होना वहाँ वांछनीय नहीं होगा जहाँ किन्हीं कर्मचारियों का नियोजन मृत्यु अथवा निशक्तता के कारण समाप्त हो जाता है। उपदान के भुगतान का दायित्व इस अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत नियोक्ता का होगा।

Objective The Payment of Gratuity Act, 1972 provides for a scheme of compulsory payment of gratuity to employees engaged in factories, mines, oil-fields, plantations, ports, railway companies, motor transport undertakings, shops or other establishments on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than five years on his superannuation, or on his retirement or resignation, or on his death or disablement due to accident or disease. Provided that the completion of continuous service of five years shall not be necessary where the termination of the employment of any employees is due to death or disablement. Payment of Gratuity is an employer's liability under the extant provisions of the PG Act.

कवरेज प्रत्येक कारखाना, खनन, ऑयल फील्ड, बागान, बंदरगाह तथा रेलवे कंपनी; प्रत्येक दुकान अथवा स्थापना जो एक राज्य में दुकान अथवा स्थापना से संबंधित कुछ समय के लिए लागू किसी कानून की परिभाषा के अधीन आती हो तथा जहाँ 10 अथवा 10 से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान नियोजित थे अथवा हैं; प्रत्येक मोटर परिवहन उपक्रम जिसमें 10 अथवा दस से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान नियोजित थे अथवा हैं; इस प्रकार की कोई अन्य स्थापना अथवा स्थापना की श्रेणी जहाँ 10 अथवा दस से अधिक व्यक्ति पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान नियोजित थे अथवा हैं जैसा कि केन्द्रीय सरकार इसकी ओर से अधिसूचना दवारा विनिर्दिष्ट करें; कोई भी दुकान अथवा स्थापना एक बार कवर होने के उपरांत, ऐसा होते हुए भी कि उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या दस से कम हो जाए, तो भी उस कवर ही माना जाएगा।

Coverage Every factory, mine, oil-field, plantation, port and railway company; Every shop or establishment within the meaning of any law for the time being in force in relation to shops and

10 Current Labour Activities

establishments in a State, in which ten or more persons are employed or were employed on any day of the preceding twelve months; Every motor transport undertaking in which ten or more were employed on any day of the preceding twelve months; Such other establishments or class of establishments in which ten or more employees are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as the Central government may, by notification, specify in this behalf. A shop or establishment once covered shall continue to be covered notwithstanding that the number of persons employed therein at any time falls below ten.

हकदारी प्रशिक्षु को छोड़कर प्रत्येक कर्मचारी, चाहे उसकी मजदूरी कुछ भी हो, पाँच वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक नियमित सेवा करने के उपरांत उपदान हेतु पात्र होगा। उपदान का भुगतान उसकी सेवा पूर्ण होने पर (i) सेवानिवृत्ति पर (ii) सेवामुक्ति अथवा त्यागपत्र (iii) दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण निशक्तता अथवा मृत्यु, होता है। सेवा समाप्त होने में छंटनी भी शामिल है। तथापि, पाँच वर्षों की निरंतर सेवा की शर्त वहाँ पर लागू नहीं होती जहाँ सेवाएँ निशक्तता अथवा मृत्यु के कारण समाप्त हो जाती हैं। कर्मचारी की मृत्यु होने पर उपदान का भुगतान उसके मनोनीत सदस्य को किया जाता है, और अगर इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है तो उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है।

Entitlement Every employee, other than apprentice irrespective of his wages is entitled to receive gratuity after he has rendered continuous service for five years or more. Gratuity is payable at the time of termination of his service either (i) on superannuation or (ii) on retirement or resignation or (iii) on death or disablement due to accident or disease. Termination of services includes retrenchment. However, the condition of five years' continuous service is not necessary if services are terminated due to death or disablement. In case of death of the employee, the gratuity payable to him is to be paid to his nominee, and if no nomination has been made, then to his

10 Current Labour Activities

heirs.

लाओं की गणना नियोक्ता प्रत्येक वर्ष अथवा इसके भाग जोकि छ माह से ज्यादा हो, की सेवा पूर्ण होने पर कर्मचारी को अंतिम आहरित मजदूरी की दर के आधार पर 15 दिनों की दर पर उपदान का भुगतान करता है। इस अधिनियम की धारा 4(3) के अनुसार कर्मचारी को भृगतान योग्य उपदान की राशि 10,00,000 रू से ज्यादा नहीं होगी।

Calculation of Benefits For every completed year of service or part thereof in excess of six months, the employer pays gratuity to an employee at the rate of fifteen days' wages based on the rate of wages last drawn. As per section 4(3) of the Act, the amount of the gratuity payable to an employee shall not exceed Rs.10,00,000/-.

प्रशासन इस अधिनियम की कार्यान्वयन केन्द्र तथा राज्य सरकारों दोनों के द्वारा किया जाता है। धारा 3 उपयुक्त सरकार को प्राधिकृत करती है कि वो किसी अधिकारी को इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नियत्रंण अधिकारी के रूप में नियुक्त करे। खनन, बड़ें बंदरगाहों, ऑयल फील्ड, रेलवे कंपनियों तथा स्थापनाएँ जिनका स्वामित्व अथवा नियत्रंण केन्द्र सरकार का है और स्थापना जिनकी शाखा एक से अधिक राज्यों में है, का नियत्रंण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। शेष कारखानों और/तथा स्थापनाओं का नियत्रंण राज्य सरकारों दवारा किया जाता है।

Administration The Act is enforced both by the Central and State Governments. Section 3 authorizes the appropriate government to appoint any officer as a controlling authority for the administration of the Act. Mines, major ports, oilfields, railway companies and establishment owned or controlled by the Central Government and establishment having branches in more than one State are controlled by the Central Government. The remaining factories and/establishments are looked after by the State Governments.

3 वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान

3 V.V. Giri National Labour Institute

ज्लाई, 1974 में स्थापित वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, श्रम एवं रोज़गार

10 Current Labour Activities

मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा का शीर्ष संस्थान है। 2016 (अप्रैल से अक्तूबर, 2016) के दौरान संस्थान द्वारा 74 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 06 कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय (आईटीईसी/एससीएएपी, भुटान, श्रीलंका) भी शामिल थे तथा इन कार्यक्रमों में विभिन्न देशों के अन्तरराष्ट्रीय प्रतिभागियों सहित 1927 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान को विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा आईटीईसी-एससीएएपी के तहत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेत् सूचीबद्ध किया गया है।

V.V. Giri National Labour Institute (VVGNLI), an autonomous body of the Ministry of Labour and Employment, Government of India set up in July, 1974, is a premier institute of Research, Training and Education in the area of Labour. During the year from April 2016- November 2016, the Institute has conducted 74 training programmes including 06 International programmes (ITEC/SCAAP, Bhutan, Sri lanka) and 1927 participants including international participants from different countries have also attended these programmes.

The Institute has been empanelled by Ministry of External Affairs, Govt. of India for conducting various international training programmes under ITEC/SCAAP programmes

4 श्रम अनुसंधान तथा सांख्यिकी

4 Labour Research and Statistics

अखिल भारतीय आधार पर श्रम विषयों पर तथ्य तथा आंकड़ों के संग्रहण, समाकलन तथा प्रकाशन से संबंधित मुख्य कार्य श्रम ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। रोजगार, मजदूरी, उपार्जन, औद्योगिक विवाद, अनुपस्थिति, श्रम आवर्त्त तथा कार्यकारी स्थितियों पर आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रकाशन के अतिरिक्त श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण तथा स्थितियों पर आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण तथा प्रकाशन के अतिरिक्त श्रम ब्यूरो श्रम के विभिन्न पहलुओं पर सर्वेक्षण

10 Current Labour Activities

तथा अनुसंधान अध्ययन भी आयोजित करता है । ब्यूरो के नियमित प्रकाशनों में मासिक प्रकाशन जैसे इण्डियन लेबर जरनल तथा वार्षिक प्रकाशन जैसे इण्डियन लेबर स्टैटिस्टिक्स तथा पॉकेट बुक ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स सम्मिलित हैं । ब्यूरो महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट भी निकालता है ।

A major part of work relating to collection, collation and publication of facts and figures on labour matters on All India basis is being carried out by the Labour Bureau. Besides collecting, analyzing and publishing data on employment, wages, earnings, industrial disputes, absenteeism, labour turnover and working conditions, the Labour Bureau also conducts surveys and research studies on various aspects of labour. The regular publications of Bureau include the monthly publication 'Indian Labour Journal' and annual publications 'Indian Labour Year Book', 'Indian Labour Statistics' and 'Pocket Book of Labour Statistics'. The Bureau also brings out annual reports on the working of important Labour Laws.

4.1 औद्योगिक श्रमिकों तथा खेतिहर श्रमिकों/ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मृल्य स्चकांक

4.1 Consumer Price Index Numbers for IW and AL/RL

औद्योगिक श्रीमकों (चुनिन्दा 78 केन्द्रों तथा अखिल भारत) के लिए आधार 2001=100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी, 2006 से प्रतिमाह संकलित तथा प्रकाशित किए जाते हैं । ब्यूरो 20 राज्यों तथा अखिल भारत के लिए खेतिहर तथा ग्रामीण श्रीमकों के लिए अलग-अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की आधार 1986-87=100 पर दो शृंखलाएं भी निकाल रहा है । श्रम ब्यूरो की जारी कुछ मुख्य परियोजनाओं पर की गई चर्चा निम्नान्सार है

Consumer Price Index (CPI) Numbers for Industrial Workers (78 selected centres and All India) on base 2001=100 are being

10 Current Labour Activities

compiled from January, 2006 onwards and published every month. The Bureau is also bringing out two series of CPI Numbers on base 1986-87=100 separately for Agricultural and Rural Labourers for 20 States and All-India. Some of the major continuing projects of the Labour Bureau are discussed below:-

4.2 31 आवश्यक वस्तुओं के लिए खुदरा मूल्य सूचकांक

4.2 Retail Price Indices for 31 Essential Commodities

शहरी क्षेत्रों में 31 चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं के संबंध में खुदरा मूल्य स्चकांकों का प्रतिमाह संकलन किया जाता है तथा इन चुनिन्दा वस्तुओं के मूल्यों में अन्तर की जाँच करने तथा समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेजे जाते हैं । ये स्चकांक शृंखला के तहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य स्चकांक तथा एकत्रित मूल्य आंकड़ों से निर्धारित भारों से प्राप्त किए गए भारण आरेखों के आधार पर संकलित किए जाते हैं । वई शृंखला के आधार पर 31 चुनिन्दा मदों के संबंध में आधार 2001=100 के साथ खुदरा मूल्य स्चकांक भी जनवरी, 2006 स्चकांक से प्रतिमाह संकलित किया जा रहा है । अक्तूबर, 2016 तक के सूचकांकों को संकलित कर लिया गया है तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नई दिल्ली को भेज दिए गए है

Retail Price Indices in respect of 31 selected essential commodities in urban areas are also compiled every month and supplied to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution every month with the objective to monitor the movement in prices of these selected commodities and to take timely remedial action. These indices are compiled on the basis of Weighting Diagrams derived from the Weights determined under Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers and Price data collected under these series. Retail Price Indices in respect of 31 selected items on the basis of New Series on base 2001=100 are

10 Current Labour Activities

also being compiled every month with effect from January, 2006 index. The indices upto October, 2016 have been compiled and supplied to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, New Delhi.

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों के अनुसार एफआईईएस को आयोजित करने का अन्तराल 10 वर्षों से अधिक का नहीं होना चाहिए । ये सर्वेक्षण मूल्य एवं निर्वाह लागत आंकड़ों पर तकनीकी सलाहकार समिति के मार्गदर्शन के तहत आयोजित किए जाते हैं । तदनुसार श्रम ब्यूरों ने अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशों का कड़ाई से पालन करते हुए वर्तमान शृंखला को संभावित आधार 2015=100 के साथ अद्यतन करने हेत् कार्य शुरू कर दिया है।

As per the recommendation of the ILO, the FIES should be conducted at intervals not more than 10 years. These surveys are conducted under the guidance of the TAC on Statistics of Price and Cost of Living Accordingly, Labour Bureau adhering to the recommendations of ther ILO has initiated the work with a view to update the existing series to probable base 2015=100.

4.3 मजदूरी दर सूचकांक

4.3 Wage Rate Index

मजदूरी दर सूचकांक को द्वितीय व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (1963-65) द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित किया जाता है । यह 1963-65=100 के साथ आधार वर्ष के रूप में निश्चित समय अवधि में मजदूरी दरों में देखे गए सापेक्ष परिवर्तनों की गति को सूचित करता है । ये सूचकांक तीन क्षेत्रों अर्थात विनिर्माण, बागान तथा खनन में 21 चुनिन्दा उदयोगों के लिए संकलित किया जाता है

The wage rates Index Numbers are compiled on the basis of data thrown up by the Second Round of OWS (1963-65). These depict the relative changes experienced in wage rates over a period of time with 1963-65=100) as the base year. These indices are

10 Current Labour Activities

compiled for twenty one selected industries in three sectors viz., Manufacturing, Plantations and Mining.

मूल मजद्री तथा मंहगाई भत्ते पर आंकड़े जोिक भारत में संगठित क्षेत्र में श्रिमिकों के उपार्जनों की नियमित प्रकृति के हैं, का प्रयोग करके सूचकाकों को संकलित किया जाता है। वर्ष 2015 तक मजद्री दर सूचकांकों को संकलित कर दिया गया है।

The indices are compiled using data on basic wage and dearness allowance, which are of regular nature of earnings of the workers in organized sector in India. Wage Rate Index Numbers have been compiled upto the year 2015.

4.4 व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

4.4 Occupational Wage Survey

व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य मजदूरी तथा उपार्जन में अन्तः उद्योग, अन्तरा उद्योग तथा अन्तःक्षेत्रीय विभिन्नताओं से संबंधित अध्ययनों के लिए तथा मजदूरी दर सूचकांक श्रृंखला के आधार के अद्यतन हेतु डेटाबेस उपलब्ध करवाना है। फरवरी, 2016 के दौरान व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के सांतवें दौर के आयोजन हेतु, 56 उद्योगों को शामिल करते हुए, प्रस्ताव को मन्त्रालय द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है। फील्ड सर्वेक्षण जुलाई, 2016 में शुरू किया गया। खनन क्षेत्र के संबंध में फील्ड सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है तथा बागान एवं सेवा क्षेत्र में यह कार्य जारी है।

The Occupational Wage Surveys, inter-alia, aim to provide data base for studies relating to inter-industry, intra-industry and inter-regional differences in wages and earnings and for updation of the base of Wage Rate Index series. Proposal for conducting the 7th round of Occupational Wage Survey by covering all the 56 industries was approved by the Ministry during February, 2016. The field survey was launched in July, 2016. The field survey in respect of Mining Sector was completed and in Plantation and Service

10 Current Labour Activities

Sector is in progress.

4.5 ग्रामीण श्रम अन्वेषण

4.5 Rural Labour Enquiry:

ग्रामीण श्रम अन्वेषण ग्रामीण श्रमिकों की निर्वाह तथा कार्य दशाओं को सुधारने के उद्देश्य से नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण में अत्यधिक उपयोगी है । इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आंकडों का संग्रहण पंचवर्षीय आधार पर आयोजित इसके रोजगार तथा बेरोजगारी सर्वेक्षणों के भाग के रूप में किया जाता है । सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर रिपोर्टों की तैयारी तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व श्रम ब्यूरों को सींपा गया है । यह संगठन ग्रामीण श्रम परिवारों के विभिन्न पहलुओं अर्थात् ऋणग्रस्तता, उपभोग व्यय, मजदूरी, उपार्जन, रोजगार एवं बेरोजगारी तथा ग्रामीण श्रम परिवारों की मुख्य विशेषताओं पर रिपोर्ट

Rural Labour enquiries are of great assistance in designing the policies and programmes with the objective of ameliorating the living and working conditions of rural labour. The data for the purpose is collected by the NSSO as a part of its general Employment & Unemployment Surveys conducted on quinquennial basis. The responsibility of preparation and publication of reports on the findings of the survey is entrusted to Labour Bureau. The Organization brings out reports on different aspects of Rural Labour Households viz., Indebtedness, Consumption Expenditure, Wages & Earnings, Employment & Unemployment and General Characteristics of Rural Labour Households.

ग्रामीण श्रमिक परिवारों की सामान्य परिवारों से संबंधित ग्रामीण श्रम अन्वेषण की रिपोर्ट (2009-10) जारी की जा चुकी है तथा ग्रामीण श्रम परिवारों की ऋणग्रस्तता से संबंधित रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा इसे अनुमोदन हेतु भैज दी गई है।

10 Current Labour Activities

RLE Report on General Characteristics of Rural Labour Households (2009-10) has been released and Report on Indebtedness of Rural Labour Households (2009-10) has been finalized and submitted for approval.

- 4.6 उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के तहत श्रम आंकड़ों का संग्रहण
- 4.6 Collection of Labour Statistics under Annual Survey of Industries (ASI):
- (i) अनुपस्थिति (ii) श्रम आवर्त (iii) प्रति समय इकाई घटकों द्वारा औसत उपार्जन (iv) श्रम लागत तथा (v) नियोजन से संबंधित श्रम आंकड़े विनिर्माण उदयोगों में प्रतिदर्श के साथ गणना आधार पर आयोजित उदयोगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा एकितित किए जा रहे हैं । उदयोगों का वार्षिक सर्वेक्षण (गणना तथा प्रतिदर्श) के तहत रोजगार तथा श्रम लागत पर आंकड़े भाग-। (2012-13) पर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है तथा "अनुपस्थिति, श्रम आवर्त्त, नियोजन तथा श्रम लागत" खंड-॥ (2012-13) को जारी कर दिया गया है।

Labour Statistics relating to (i) Absenteeism (ii) Labour Turnover (iii) Average earnings by components per unit of time (iv) Labour Cost and (v) Employment are being collected through the Annual Survey of Industries conducted on sample as well as on census basis in manufacturing industries. Under ASI (Census and Sample), the Reports on "Statistics on Employment and Labour Cost" Vol. I (2012-13) and "Absenteeism, Labour Turnover, Employment and Labour Cost" Vol. II (2012-13) have been released.

- 4.7 श्रम के विभिन्न समूहों का सामाजार्थिक सर्वेक्षण
- 4.7 Socio -Economic Surveys of Different Segments of Labour इस स्कीम के तहत निम्न प्रकार के सर्वेक्षण आयोजित किए जा रहे हैं:
- i) उद्योगोंनियोजनों के असंगठित क्षेत्र में श्रीमकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों का सर्वेक्षणः इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उद्योगोंनियोजनों के असंगठित क्षेत्र में

10 Current Labour Activities

कार्यरत श्रमिकों की स्थितियों में सुधार हेतु उनकी कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों पर आंकड़े एकत्रित करना है । अब तक 31 सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं तथा सभी पर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है । अंतिम सर्वेक्षण असंगठित क्षेत्र के चमझ उद्योग में आयोजित हुआ था जिसमें फुटवियर एवं अन्य कला कार्य भी शामिल रहे हैं, जिसके संबंध में रिपोर्ट जारी की जा चुकी है।

Under this scheme following surveys are being conducted:-

- i) Survey of Working & Living Conditions of Workers in Unorganised Sector of Industries/Employments: The aim of the survey is to collect data on working and living conditions of workers engaged in the Unorganised Sector of Industries/employment for amelioration of their lot. So far, 31 surveys have been conducted and all the reports have been released. Latest survey in unorganised sector was conducted in leather industry including Footwear and other Art works, the report for which has been released.
- ii) न्यूनतम मजद्री अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में विभिन्न स्पीबद्ध नियोजनों में न्यूनतम मजद्री अधिनियम, 1948 के क्रियान्वयन की सीमा का मूल्यांकन करना है । अब तक ऐसे 28 अध्ययन आयोजित किए गए है तथा सभी रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी हैं । अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2014-15 में बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजद्री अधिनियम, 1948 के घटकों के मूल्यांकन के अन्तर्गत किया गया था। सर्वेक्षण का आयोजन मध्य प्रदेश में दिसम्बर, 2014 के दौरान किया गया था। इसकी रिपोर्ट अगस्त, 2015 में जारी कर दी गई है।
- ii) Evaluation Studies on Implementation of the Minimum Wages Act, 1948: The surveys aim at evaluating the extent to which the Minimum Wages Act, 1948 has been implemented in various scheduled employments in different parts of the country. So far 28 such studies have been conducted and all the reports released. The last Survey was conducted in Beedi Industry during the year 2014-

10 Current Labour Activities

15 under the component of Evaluation of the Minimum Wages Act, 1948. The survey was launched in the month of December, 2014 in Madhya Pradesh. The report has been released in the month of August, 2015.

- iii) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियां पर सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो ने अनुसूचित जाति श्रमिकों तथा अनुसूचित जनजाति श्रमिकों दोनों के लिए 9 सर्वेक्षण आयोजित किए हैं । अंतिम सर्वेक्षण सितम्बर, 2009 माह में उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगिर तथा कोरापूत जिलों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आयोजित किया गया । इसकी रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है।
- iii) Survey on the Working and Living Conditions of Labour belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes: Labour Bureau has conducted 9 surveys for both Scheduled Castes workers and Scheduled Tribes workers. The last ST survey was conducted in Scheduled Tribes Belt of Kalahandi, Bolangir & Koraput districts of Orissa in the month of September, 2009. The report of the same has been released.
- iv) उद्योगों में महिला श्रीमकों की सामाजार्थिक स्थितियां पर सर्वेक्षण इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य महिला श्रीमकों पर आंकड़ों का एकत्रण संगत श्रम कानूनों की तुलना में उन्हें उपलब्ध कार्यकारी तथा निर्वाह स्थितियों तथा कल्याण सुविधाओं का अध्ययन करने की दृष्टि से करना है। अब तक ऐसे 22 सर्वेक्षण आयोजित किए जा चुके हैं तथा उन पर सभी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 2014 के दौरान दियासिलाई उदयोग में किया गया तथा उसकी रिपोर्ट जारी की गई।
- iv) Survey on the Socio-Economic Conditions of Women Workers in Industry: These surveys aim at collecting data on women workers with a view to study their working and living conditions and welfare facilities available to them vis-à-vis the relevant Labour Laws. So far 22 surveys have been conducted under the segment and all the

10 Current Labour Activities

reports thereon have been released. The last survey was conducted in Match Industry during 2014 and report released.

- 5 श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण: ब्यूरो द्वारा सांख्यिकी सूचना के प्रवाह संबंधी गुणवत्ता तथा समयबद्धता में सुधार करने के उद्देश्य से श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । वर्ष 2016 के दौरान निम्नितिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए:
- **5 TRAINING IN LABOUR STATISTICS:** The Bureau imparts training in Labour Statistics with the objective of improving the quality and timeliness in the flow of statistical information. The following training programme were conducted during 2016.
- श्रम ब्यूरो, शिमला में दिनांक 07-09-2016 से 09-09-2016 तक श्रम सांख्यिकी में 54वें केन्द्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/केन्द्रीय विभागों से शामिल 23 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
- 17/06/2016 तथा 14/07/2016 को आयुद्ध निर्माणी, रक्षा मन्त्रालय, मेडाक, तेलंगाना के 37वें और 38वें बैच के 47 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 05/10/2016 को सौराष्ट्र विश्वविद्यालय से 45 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 24/11/2016 को एम आई एल एस, मुम्बई के 18 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 07/01/2016 को आईएसईसी, कोलकाता से 17 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 11/01/2016 से 15/01/2016 तक 45वें बैच के 20 आईएसएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 14/12/2016 से 16/12/2016 तक 10 आईएसएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 22/12/2016 को आईएसईसी, कोलकाता से 28 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण

10 Current Labour Activities

कार्यक्रम

- कानपुर स्थित, श्रम ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय भी उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को प्राथमिक इकाईयों जैसे कारखाना और स्थापनाएँ, के लाभ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता प्रदान करता है। 25/04/2016 को 22 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया
- The 54th Central Training course in Labour Statistics was held in Labour Bureau, Shimla from 07-09-2016 to 09-09-2016. Twenty three delegates from various State Governments / Union Territories / Central Departments attended the said training programme
- Training programme for 47 employees of 37th and 38th batch of Ordanance Factory Medak on 17/06/2016 and 14/07/2016.
- Training programme for forty-five participants/Students from Swarashtra University on 05/10/2016,
- Training programme for eighteen participants from MILS, Mumbai on 24/11/2016.
- Organized Training programme for seventeen participants from ISEC, Kolkata on 07/01/2016.
- Training programme for 45 ISS Probationers from 11-01-2016 to 15-01-2016
- Organised Training programme for Ten ISS Probationers from 14-12-2016 to 16-12-2016
- Organised Training Programme for 28 participants from ISEC, Kolkata on 22-12-2016

The Regional Office of Labour Bureau at Kanpur, also renders assistance to different State Governments/Union Territories in the northern region for conducting the training programme for the benefits of primary units i.e. factories and establishments. A training

10 Current Labour Activities

programme for 22 participants was organized on 25/04/2016.

वर्ष 2016 के दौरान जारी/अंतिम रूप दिए गए प्रकाशनों की सूची

- 1 इंडियन लेबल जरनल (मासिक)
- 2 वर्ष 2015 के लिए 2001=100 आधार पर औदयोगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट
- 3 वर्ष 2014-15 के लिए 1986-87=100 आधार पर खेतीहर एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक रिपोर्ट
- 4 वर्ष 2014 के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की कार्यप्रणाली पर विपोर्ट
- 5 वर्ष 2013 के लिए बागान श्रम अधिनियम, 1951 की वार्षिक समीक्षा
- 6 वर्ष 2012-13 के लिए नियोजन तथा श्रम लागत (खंड-I) एवं अनुपस्थिति, श्रम आवर्त्त, नियोजन तथा श्रम लागत (खंड-II) के संबंध में सांख्यिकी पर वार्षिक औदयोगिक सर्वेक्षण
- 7 वर्ष 2013 के लिए औद्योगिक स्थापनाएं (स्थाई आदेश) अधिनियम 1946 की समीक्षा
- 8 वर्ष 2013 के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की वार्षिक समीक्षा
- 9 मोटर वाहन कर्मकार अधिनियम, 1961 की समीक्षा (2013)
- 10 वर्ष 2013 के लिए कर्मकार प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की वार्षिक समीक्षा
- 11 वर्ष 2013 के लिए मजद्री भुगतान अधिनियम 1936 की कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट
- 12 वर्ष 2013 के लिए कारखाना अधिनयम, 1948 के अन्तर्गत कारखाना सांख्यिकी की वार्षिक रिपोर्ट
- 13 भारत में ट्रेड यूनियन संबंधी रिपोर्ट वर्ष 2013 के लिये
- 14 2014 के लिए इंडियन लेबर ईयर ब्क
- 15 वर्ष 2014-15 के लिए ग्रामीण भारत में मजदूरी दरें संबंधी रिपोर्ट

10 Current Labour Activities

- 16 श्रम सांख्यिकी लघु पुस्तिका 2014
- 17 भारतीय श्रम सांख्यिकी 2014

तदर्थ सर्वेक्षण

- गं) चयनित क्षेत्रों (अप्रैल से जून, 2015; जुलाई से सितम्बर 2015; अक्तुबर से दिसम्बर, 2015) में रोजगार में हुए बदलावों पर 26वीं, 27वीं तथा 28वीं रिपोर्ट
- ii) नए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (अप्रैल से जून, 2016 तथा जुलाई से सितम्बर,
 2016) के प्रथम और दूसरे दौर से संबंधित रिपोर्ट
- iii) पाँचवें वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण से संबंधित रिपोर्ट

LIST OF PUBLICATIONS RELEASED/FINALISED DURING 2016

- 1 Indian Labour Journal (Monthly)
- 2 Annual Report on Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers Base 2001=100 for the year 2015.
- 3 Annual Report on Consumer Price Index Numbers for Agricultural & Rural Labourers Base 1986-87=100 for the year 2014-15.
- 4 Report on the Working of the Minimum Wages Act, 1948 for the year 2014.
- 5 The Annual Review on the Plantation Labour Act, 1951 for the year 2013.
- 6 Annual Survey of Industries Report on Statistics on Employment and Labour Cost (Vol. I) & Absenteeism, Labour Turnover, Employment and Labour Cost (Vol. II) for the years 2012-13.
- 7 The Review on the Industrial Establishments (Standing orders) Act, 1946 for the year 2013.
- 8 The Review on the Industrial Disputes Act, 1947 for the year

10 Current Labour Activities

2013.

- 9 The Review on the Motor Transport Workers' Act, 1961 for the year 2013.
- 10 The Review on the Workmen's Compensation Act, 1923 for the year 2013.
- 11 $\,$ The Report on the Working of Payment of Wages Act, 1936 for the year 2013.
- 12 The Annual Report on Statistics of Factories under the Factories Act, 1948 for the year 2013.
- 13 The report on Trade Unions in India for the year 2013.
- 14 Indian Labour Year Book for the year 2014.
- 15 The Report on Wage Rates in Rural India for the year 2014-15.
- 16 Pocket Book of Labour Statistics 2014.
- 17 Indian Labour Statistics 2014.

Adhoc Surveys

- 26th, 27th and 28th Quarterly Reports on Changes in Employment in Selected Sectors (April to June, 2015, July to Sept., 2015 and Oct., to Dec., 2015).
- The report of first and second round of Revamped Quarterly Employment Survey (April to June, 2016 and July to September, 2016).
- iii) The report on fifth Annual Employment-Unemployment Survey.

भाग - II PART - II

136

1.1 जनसंख्या का वित्तरण (जनगणना 2011)

1.1 Distribution of Population (2011 census)

	ज•	नसंख्या (000 मे	·)	
	Pop	ulation (in 00	0's)	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल Total	ग्रामीण Rural	शहरी Urban	State/ Union Territory
1	2	3	4	1
भारत	1210855	833749	377106	INDIA
जम्मू व कश्मीर	12541	9108	3433	Jammu & Kashmir
हिमाचल प्रदेश	6865	6176	689	Himachal Pradesh
पंजाब	27743	17344	10399	Punjab
चण्डीगढ़	1055	29	1026	Chandigarh
उत्तराखण्ड	10086	7037	3049	Uttarakhand
हरियाणा	25351	16509	8842	Haryana
एन सी टी दिल्ली	16788	419	16369	NCT Delhi
राजस्थान	68548	51500	17048	Rajasthan
उत्तर प्रदेश	199812	155317	44495	Uttar Pradesh
बिहार	104099	92341	11758	Bihar
सिक्किम	611	457	154	Sikkim
अरुणाचल प्रदेश	1384	1066	317	Arunachal Pradesh

सारणी 1.1 Table 1.1

1	2	3	4	1
नागालैंड	1979	1408	571	Nagaland
मणिपुर	2856	2022	834	Manipur
मिजोरम	1097	525	572	Mizoram
त्रिपुरा	3674	2712	961	Tripura
मेघालय	2967	2371	595	Meghalaya
असम	31206	26807	4399	Assam
पश्चिम बंगाल	91276	62183	29093	West Bengal
झारखण्ड	32988	25055	7933	Jharkhand
ओड़ीशा	41974	34971	7004	Odisha
छत्तीसगढ़	25545	19608	5937	Chhattisgarh
मध्य प्रदेश	72627	52557	20069	Madhya Pradesh
गुजरात	60440	34695	25745	Gujarat
दमन एवं दीव	243	60	183	Daman & Diu
दादर एवं नगर हवेली	344	183	161	D & N Haveli
महाराष्ट्र	112374	61556	50818	Maharashtra
आन्ध्र प्रदेश	84581	56362	28219	Andhra Pradesh
कर्नाटक	61095	37469	23626	Karnataka

सारणी 1.1 Table 1.1

Table 1.1							
1	2	3	4	1			
				_			
गोवा	1459	552	907	Goa			
लक्षद्वीप	64	14	50	Lakshadweep			
केरल	33406	17471	15935	Kerala			
तमिलनाडु	72147	37230	34917	Tamil Nadu			
पुडुचेरी	1248	395	853	Puducherry			
अ० एवं नि०द्वीप समूह	381	237	143	A & N Islands			

स्त्रोत : भारत के महापंजियक एवं जनगणना आयुक्त Source : Registrar General & Census Commissioner of India

1.2 कर्मी एवं गैर-कर्मी जनसंख्या का वित्तरण (जनगणना 2011) 1.2 Distribution of Working and Non-Working Population (2011 Census)

(दस लाख में) (In millions)

कर्मकार श्रेणी	पुरुष	महिलाएं	योग	Workers Category
	Males	Females	Total	
1	2	3	4	1
क-कर्मी जनसंख्या				A. Working Population
कृषक	82.76	36.05	118.81	Cultivators
कृषि श्रमिक	82.74	61.59	144.33	Agricultural Labourers
पारिवारिक उद्योग कर्मकार	9.78	8.56	18.34	Household Industry Workers
अन्य कर्मकार	156.66	43.75	200.41	Other Workers
कुल कर्मी जनसंख्या (मुख्य एवं	331.94	149.95	481.89	Total Working Population (Main + Marginal)
सीमान्त) ख-गैर-कर्मी	291.33	437.64	728.97	B. Non-Working Population
कुल जनसंख्या (क+ख)	623.27	587.59	1210.86	Total Population (A+B)

सारणी 1.2 Table 1.2

कर्मकार श्रेणी	कुल जनसंख्या में प्रतिशत वितरण % distribution	कुल पुरुष जनसंख्या में पुरुष कर्मकारों की प्रतिशतता	Working category
	to total	% of male workers to total	
	7 - 1	male population	

क-कर्मी जनसंख्या			A- Working
			Population
कृषक	9.81	13.28	Cultivators
कृषि श्रमिक	11.92	13.27	Agricultural Labourers
पारिवारिक उद्योग कर्मकार	1.52	1.57	Household Industry Workers
अन्य कर्मकार	16.55	25.14	Other Workers
कुल कर्मी जनसंख्या	39.80	53.26	Total Working Population
(मुख्य एव सीमान्त)			(Main + Marginal)

 जनसंख् 	ग एवं श्रम	शिक्ति

1 POPULATION AND LABOUR FORCE

सारणी 1.2 Table 1.2

1 5 6 1

ख-गैर-कर्मी जनसंख्या 60.20

46.74 **B- Non Working Population**

कुल जनसंख्या	100.00	100.00	Total Population
(क+ख)			(A+B)

स्त्रोत : भारत के महारजिस्टार/ www.censusindia.gov.in Source : Registrar General of India/ www.censusindia.gov.in टिप्पणी :आंकडों की परिसीमाओं, परिधी, कार्य प्रणाली एवं अन्य विवरण के लिए वैबसाईट का अवलोकन करें

Note: For limitations of data, coverage, methodology and other details, kindly refer to the website.

पूर्णांक करने के कारण योग सम्भवतः न मिले।

Total may not tally due to rounding off figures.

1 POPULATION AND LABOUR FORCE

1.3 जनसंख्या का श्रम शक्ति की स्थिति के अनुसार प्रतिशत वितरण (कार्यरत एवं बेरोजगार जनसंख्यां में सामान्य मुख्य स्थिति एवं वर्तमान साप्ताहिक स्थिति) (ग्रामीण एवं शहरी) रा० प० स० के 59वें से 68वें दौर तक

1.3 Percentage of persons in Labour Force (employed and unempoyed in the population in usual principal status and current weekly status) (Rural & Urban) 59th to 68th round

सर्वेक्षण अवधि	संदर्भ काल	(क) ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत				
Survey Period	Reference	(a) Percentage of Rural				
	Period		Populatio			
		श्रम शक्ति	नियोजित	अनियोजित		
		Labour	Emp-	Unem-		
		Force	loyed	ployed		
1	2	3	4	5		
जनवरी,03 से दिसम्बर,03	वर्ष	44.47	43.74	0.73		
Jan, 2003 to Dec, 2003	Year					
	साप्ताह	44.29	43.20	1.09		
	Week					
जनवरी , 04 से जून, 04	वर्ष	43.98	42.96	1.02		
Jan, 2004 to June, 2004+	Year					
	साप्ताह	45.07	43.00	2.07		
	Week					
जुलाई, 04 से जून, 05	वर्ष	45.07	43.96	1.10		
July, 2004 to June, 2005	Year					
	साप्ताह	47.04	45.19	1.85		
	Week					

1	जनसंख्या	एव	श्रम	शक्ति

1 POPULATION AND LABOUR FORCE

सारणी 1.3 Table 1.3

1	2	3	4	5
जुलाई, 05 से जून, 06	वर्ष	43.90	42.84	1.07
July, 2005 to June, 2006	Year			
	साप्ताह	45.71	43.88	1.83
	Week			
जुलाई, 07 से जून, 08	वर्ष	43.37	42.42	0.96
July, 2007 to June, 2008	Year			
	साप्ताह	44.53	42.79	1.74
	Week			
जुलाई, 09 से जून, 10	वर्ष	42.19	41.32	0.87
July, 2009 to June, 2010	Year			
	साप्ताह	43.46	42.01	1.45
	Week			
जुलाई, 11 से जून, 12	वर्ष	40.35	39.42	0.93
July, 2011 to June, 2012	Year			
	साप्ताह	42.04	40.62	1.42
	Week			

1 जनसंख्या एवं श्रम शक्ति

1 POPULATION AND LABOUR FORCE

सारणी 1.3 Table 1.3

	rable r	.5		
सर्वेक्षण अवधि	संदर्भ काल	(ख) গা	हरी जनसंख	ग्र का
Survey Period	Reference	प्रतिशत		
	Period	(b) Pero	centage of	Urban
	_	F	opulation	
		श्रम	नियोजित	अनि-
		शक्ति	Emp-	योजित
		Labour	loyed	Unem-
		Force		ployed
1	2	6	7	8
जनवरी 04 से जून, 04	वर्ष	38.85	36.78	2.07
Jan, 2004 to June, 2004	Year			
	साप्ताह	39.77	37.23	2.53
	Week			
जुलाई, 04 से जून, 05	वर्ष	40.00	37.88	2.12
July, 2004 to June, 2005	Year			
	साप्ताह	41.05	38.57	2.48
	Week			
जुलाई, 05 से जून, 06	वर्ष	38.72	36.64	2.08
July, 2005 to June, 2006	Year			
	साप्ताह	39.37	36.95	2.4
	Week			
जुलाई, 07 से जून, 08	वर्ष	38.99	37.24	1.7
July, 07 to June, 08	Year			
	साप्ताह	39.55	37.56	1.9
	Week			

1 POPULATION AND LABOUR FORCE 1 जनसंख्या एवं श्रम शक्ति सारणी 1.3 Table 1.3 जुलाई, 09 से जून, 10 वर्ष 38.17 36.75 1.41 July, 2009 to June, 2010 Year साप्ताह 38.79 37.14 1.65 Week जुलाई, 11 से जून, 12 वर्ष 38.35 36.88 1.47 July, 2011 to June, 2012 Year 39.13 साप्ताह 37.41 1.72 Week

स्त्रोत : रा० प्र० स० स०

Source: N.S.S.O.

टिप्पणः प्रतिशतता की गणना डिनोमिनेटर में 5 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या से की गई है।

Note: Percentages are calculated by taking population for age 5 years and above in the denominator. वर्ष का संबन्ध सामान्य मुख्य स्थिति एवं सप्ताह का साप्ताहिक स्थिति से है।

Year corresponds to usual principal status and week correspond to current weekly status.

2.1(क) सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमानित नियोजन (शास्तानुसार) मार्च के अंत में

2.1(a) Estimated Employment in Public Sector (By Branches) at the end of March (लाखों में) (In lakhs)

शाखा	2011	2012	Branch
केन्द्रीय सरकार	24.63	25.20	Central Government
राज्य सरकारें	72.18	71.84	State Governments
अर्ध- सरकारी (केन्द्रीय + राज्य)	58.14	57.98	Quasi Government (Central +State)
स्थानीय निकाय	20.53	21.07	Local Bodies
योग	175.48	176.09	Total

स्त्रोत : म० नि० रो० एवं० प्र०

Source: DGE&T

2.1(ख) संगठित क्षेत्र में नियोजन (मुख्य उद्योगानुसार) मार्च के अन्त में 2.1(b) Employment in Organised Sector (By Major Industries) at the end of March (लाखों में) (in lakhs)

उद्योग	20	<u>2011</u> <u>2012</u> In		Indus-	
भाग	सार्वजनिक	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक	निजी क्षेत्र	try sect-
कोड	क्षेत्र	Private	क्षेत्र	Private	ion
	Public	Sector	Public	Sector	Code
	Sector		Sector		
1	2	3	4	5	1
क	4.62	9.16	4.58	9.21	A
ख	0.15	0.02	0.16	0.03	В
ग	10.90	1.32	10.75	1.38	C
घ	10.16	53.97	10.71	55.26	D
ड	8.31	0.70	8.20	0.62	E
च	8.47	1.02	8.32	1.18	F
छ	1.59	3.38	1.60	3.75	G
ज	0.11	2.08	0.12	2.24	H
झ	23.84	1.89	24.93	2.14	I
স	10.99	4.26	10.99	4.57	J
ਟ	2.62	12.91	2.63	14.58	K
ਠ	47.51	0.14	47.56	0.15	L
ड	26.54	18.06	26.26	18.37	M
ढ	13.72	2.79	13.46	3.12	N
ण	2.70	1.44	2.67	1.74	O

सारणी 2.1(ख) Table 2.1(b)						
1	2	3	4	5	1	
त	0.01	0.09	0.02	0.10	P	
थ	0.46	0.98	0.39	0.97	Q	
योग	172.71	114.22	173.32	119.40	Total	

स्त्रोत : (वार्षिक नियोजन संकलन वर्ष 2011 तथां 2012) म०नि०रो० Source : (Annual Employment Review, 2011 & 2012)DGE

टिप्पण :

- Note : 1. $\,$ av 2011 a 2012 $\,$ के लिए जम्मु एवं कश्मीर, मणिपुर और दमन एवं दीव के संबंध में रा० औ० व० 1998 के अनुसार सूचना योग में शामिल नहीं है अत: उद्योगानुसार आंकडें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ आपस में न मिलें।
- 1. Industry wise break up may not tally with the Public and Private Sector due to non inclusion of data as per NIC 1998 in respect of J&K, Manipur & Daman & Diu in 2011 & 2012 2. सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली तथा लक्षद्वीप को शामिल नहीं
- किया गया है क्योंकि यह प्रोग्राम से बाहर है।
- Excludes Sikkim, Arunachal Pradesh, Dadar & Nagar Haweli and Lakshadweep as these are not yet covered under the programme

2.2 (क) खानों में खनिजानुसार नियोजन (नियोजित कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या) (াनयाजित कमकारा का आसत जानक तरूवा)

2.2(a) Employment in Mines by Minerals
(Average Daily No. of Workers Employed)

('000 में) (in 000's)

खनिज पदार्थ	2013	2014	Mineral
कोयला	358	356	Coal
खनिज तांबा	4	4	Copper
क्रोमाइट	10	11	Chromite
हीरा	-	-	Diamond
सोना	3	4	Gold
जिप्सम	-	-	Gypsum
खनिज लोहा	53	51	Iron Ore
चूना पत्थर	34	33	Lime Stone
मैंगनिसाइट	2	1	Magnesite
खनिज मैगनीज	17	19	Manganese Ore
अभ्रक	1	1	Mica
पत्थर	7	7	Stone
अन्य	54	52	Others

2.2(ख) खानों में राज्यानुसार कर्मकारों की औसत दैनिक संख्या

(वर्गानुसार) 2.2(b) State-wise Average Daily No. of Workers Employed in Mines (By Category)

('000 में) (in 000's)

राज्य/संघ	सतह के	खादान	सतह पर	State/Union
राज्य क्षेत्र	नीचे	कार्य	Above	Territory
	Below	Open	Ground	
	Ground	Cast		
1	2	3	4	1
		<u>2013</u>		
आन्ध्र प्रदेश	40	23	13	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश			0.4	Arunachal Pradesh
असम	0.4	0.8	0.6	Assam
बिहार	@	@	@	Bihar
छत्तीसगढ़	19	13	12	Chhattisgarh
गोवा		•••	••	Goa
गुजरात		5	1.6	Gujarat
हरियाणा				Haryana
हिमाचल प्रदेश				Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	0.4			Jammu & Kashmir
झारखण्ड	39	33	38	Jharkhand
कर्नाटक				Karnataka

सारणी 2.2(ख) Table 2.2(b)

1	2		3	4 1
नेरल				Kerala
ाध्य प्रदेश	25	14	18	Madhya Pradesh
ाहाराष <u>्ट</u> ्र	10	12	13	Maharashtra
गणिपुर				Manipur
भेघालय		0.4	0.1	Meghalaya
मेजोरम				Mizoram
नागालैंड -				Nagaland
गोड़ीसा	5.8	32.3	28.2	Odisha
ांजाब				Punjab
ाजस्थान	4	16	8	Rajasthan
मिलनाडु		20	5	Tamil Nadu
ालंगाना 				Telangana
त्रेपुरा				Tripura
उत्तराखण्ड				Uttarakhand
उत्तर प्रदेश		4.7	4.2	Uttar Pradesh
श्चिम बंगाल	33	4.8	15.6	West Bengal
ा० एवं नि० रोप समूह		••		A & N Islands

•	Φ	_		_
2	ान	य	7	न

सारणी 2.2(ख)
Table 2.2(b)

		Table 2		
1	2	3	4	1
		2014	<u> </u>	
आन्ध्र प्रदेश	2.5	16.3	10.7	Andhra Pradesh
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.2	Arunachal Pradesh
असम	0.3	1.2	7.2	Assam
बिहार	0	0.5	0.1	Bihar
छत्तीसगढ़	20.3	12.8	12.7	Chhattisgarh
गोवा		3.2	0.9	Goa
गुजरात		5.5	11.9	Gujarat
हरियाणा		1.1	0.6	Haryana
हिमाचल प्रदेश	2.1	1.5	1.7	Himachal Pradesh
जम्मू व कश्मीर	0.2	0.048	0.16	Jammu & Kashmir
झारखण्ड	39	33	32.1	Jharkhand
कर्नाटक	0.5	11.9	7.5	Karnataka
केरल	0	2.1	1.1	Kerala
मध्य प्रदेश	25.1	18.5	17.5	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	9	11.7	15.5	Maharashtra
मणिपुर				Manipur
मेघालय		0.7	0.5	Meghalaya
मिजोरम				Mizoram

2 नियोजन				2 EMPLOYMENT
		सारणी 2.2	2(ख)	
		Table 2.2	(b)	
1	2	3	4	1
नागालैंड				Nagaland
ओड़ीसा	4	22	11.4	Odisha
पंजाब				Punjab
राजस्थान		13.5	11.3	Rajasthan
तमिलनाडु	0.5	17.5	8.6	Tamil Nadu
तेलंगाना	39.5	16.4	9.5	Telangana
त्रिपुरा		••	0.223	Tripura
उत्तराखण्ड	0.269	2.4	0.755	Uttrakhand
उत्तर प्रदेश		4.336	5.078	Uttar Pradesh
पश्चिम बंगाल	33.14	5.3	17.8	West Bengal
अ० एवं नि० द्वीप समूह				A & N Islands

स्त्रोत : म० नि० खा० सु० Source : DGMS

2.3 रेलवे, डाक, दूर संचार, बीमा तथा बैंकों में नियोजन (31 मार्च को)

2.3 Employment in Railways, Posts, Telecommunications, **Insurance and Banks** (As on 31st March)

('000 में) (in 000's)

	2014	2015	2016	
रेलवे ++	1334	1326	1331	Railways ++
डाक	459.95	460.46	448.84	Posts
दूर संचार ##				Telecommuni- cations ##
बीमा				Insurance
i) जीवन	120.38	117.45	114.77	i) Life
ii)गैर जीवन ^	66	63	64	ii) Non-Life ^
i) बैंक् #&	1253.96	1267.08£	1345.24	i)Banks#
ii) भारतीय रिजर्व बैंक &	17.33	16.67	15.69	ii) Reserve Bank of India &

स्त्रोतः रेलवे बोर्ड, तार विभाग, दूरसंचार विभाग, जी० बी० नि०, भा० स० बी० सा० क्षे० सं० एवं भा० रि० बैक

Source: Railway Board; Deptt. Of Posts; Deptt. Of Telecommunications; LIC, GIPSA & RBI.

⁺⁺ रेलवे संरक्षण विशेष बल के कर्मचारी भी शामिल हैं।

⁺⁺ Includes Railways Protection Special Force personnel also ## इसमें 2001 से आगे भारतीय संचार निगम लिमिटेड तथा 2000 से आगे एम टी एन एल शामिल है।

^{##} Includes BSNL from 2001 onwards and MTNL from 2000 onwards.

सारणी 2.3 Table 2.3

^ आंकडें केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र गैर जीवन बीमा साधारण बीमा कम्पनियों(भा० बी० सार्व० क्षे० संघ की सहयोगी कम्पनियों) नामतःनेशनल इंशोरेंस कम्पनी लि०, न्यू इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि०, ओरिएन्टल इंशोरेंस कम्पनी लि० और युनाइटिङ इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लि० से संबंधित हैं।

^ The statistics relate only to four non life general Insurance Companies in public Sector (GIPSA member companies) namely National Insurance Co. Ltd., New India Insurance Co. Ltd., The Oriental Insurance Co. Ltd., and United India Insurance Co. Ltd.

- # आंकडों में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकं सहित के आंकडें शामिल हैं।
- # Figures includes data of all Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks

2.4 अनुमानित नियोजन सूचकांक 2.4 Index Numbers of Estimated Employment

क्षेत्र	आधार Base	2014	2015	2016	Sector
1	2	3	4	5	1
दूर संचार	1960=100				Tele communi- cations
रेल	1960=100	115.6	114.9	115.3	Railways
डाक	1990=100	78.614	78.701	76.716	Posts
बैंक^%	1961=100	955.9	965.3£	1023.3	Banks^%
कारखानें	1980=100				Factories
खाने	1970=100	95.12			Mines
कोयला खानें	1970=100	91.21			Coal Mines
बागान	1970=100				Plantation
i) चाय		97.59			i) Tea
ii) काफी		31.96			ii) Coffee
iii) रबड		45.93			iii) Rubber

स्त्रोत : श्रम ब्यूरो, म०नि०खा०सु०, रेलवे बोर्ड, डाक विभाग, दुरसंचार विभाग, एवं भा०रि० बैं० Source : Labour Bureau; DGMS; Railway Board; Deptt. Of Posts; Deptt. Of Telecommunication and RBI

^ बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रिय ग्रामिण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक शामिल हैं।

[^] Banks include all Scheduled Commercial Banks including Regional Rural Banks and Reserve Bank of India % श्रृंखलाबद्ध सूचकांक के लिए योजक संबन्धित पदती पर आधारित नियोजक सुचकांक % employment index based on link relative method for chain indices

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.1 रोजगार कार्यालय एवं उनके कार्यकलाप 3.1 Employment Exchanges and their Activities

1	2	3	4	1
_	2013	2014	2015*++	-
रोजगार कार्यालयों की संख्या +	956	978	978	No. of Employment Exchanges +
पंजीकरण ('000 में)	5969	5957	5173	Registration (in 000's)
अधिसूचित रिक्तियां ('000 में)	511	762	566	Vacancies notified (in 000's)
नियुक्तियां ('000 में)	348	338	254	Placements (in 000's)
चालू पंजियों में आवेदक ('000 में)+	46802	48261	44852	Total number of applicants on Live Register (in 000's) +

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

सारणी 3.1 Table 3.1

Table 3.1						
1	2	3	4	1		
क) अनुसूचित जाति आवेदक ('000 में)	7292	7644		a) Scheduled Castes applicants (in 000's)		
(ख) अनुसूचित जनजाति आवेदक ('000 में)	2487	2517		b) Scheduled Tribes applicants (in 000's)		
(ग) अन्य आवेदक ('000 में)	33082			c) Other applicants (in 000's)		

स्त्रोत : म० नि० रो०

Source:DGE

- + वर्ष के अन्त में + At the end of the year ++ सितम्बर 2015 तक ++ till September, 2015

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.2 रोजगाार कार्यालयों की चालू पंजी में व्यावसायिक मुख्य समूहानुसार आवेदक

3.2 Job Seekers on Live Register of Employment Exchanges classified by Broad Occupational Groups (31 दिसम्बर को)(000 में) (as on 31 December) (in 000's)

व्यवसायिक समूह एन सी ओ 2004	चलु पंजियों में संख्या Number on Live Registers			Occupational Groups NCO 2004
•	2012	2013	2014*	
1	2	3	4	1
विधायक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक	109.6	96.0	195.8	Legislators, Senior Officials & Managers
पेशेवर	2929.3	2592.7	2932.7	Professional,
तकनीकी एवं सम्बंधित पेशेवर	1831.7	1743.7	1815.0	Technicians and Associate Professionals
लिपिक	865.3	1520.7	2164.7	Clerks
सेवा संबंधी कर्मकार तथा दुकान एवं बाजार विक्रय कर्मकार	341.0	332.0	378.1	Service workers and shops and market sales workers
कुशल कृषक एवं मत्स्य कर्मकार	137.4	70.3	105.3	Skilled Agriculture and Fishery workers
		160		

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

सारणी 3.2 Table 3.2

1	2	3	4	1
क्ष्िप तथा संबंधित व्यवसाय कर्मकार	1330.8	1369.0	1395.2	Craft and related trade workers
पलांट एवं मशीन चालक एवं अस्म्बलर	737.5	872.0	862.3	Plant and machine operators and assemblers
प्रारंभिक व्यवसाय	290.4	390.8	447.8	Elementary occupations
व्यवसाय अवर्गीकृत कर्मकार	36217.1	37815.0	37964.1	Workers not classified by Occupations
योग	44790.1	46802.5	48261.1	Total

स्त्रोत : म० नि० रो०

Source:DGE

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.3 रोजगार कार्यालयों की चालू पंजी में शिक्षित आवेदकों की संख्या 3.3 No. of Educated Applicants on Live Register of Employment Exchanges (000' में) (in 000's)

आवेदक वर्ग	चालृ	्पंजी में संख	Category of	
	Number	on Live R	Applicants	
	2012	2013	2014	
दसवीं पास	16836	18760	18054	10 th passed
उच्चतर				10+2 passed
माध्यमिक, इटरमीडिएट	11744	12113	12713	
और अवर स्नातक				
सहित				
स्नातक तथा	8918	9142	9637	Graduates and
उससे उच्च				above
योग	37497	40015	40404	Total

स्त्रोत : म० नि० रो०

Source:DGE

+ वर्ष के अन्त में + at the end of the year

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.4 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक के अधीन प्रशिक्षण कार्यकलाप शिल्पकार प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में स्थान-क्षमता और शिक्षु अधिनियम, 1961 के अर्न्तगत शिक्षुओं की संख्या 3.4 Training Activities under the DGE&T Seating capacity of Industrial Training/Centres under the Craftsmen Training Schemes and the number of Apprentices engaged under the Apprentice Act, 1961

प्रशिक्षण योजना	संख्य	Т	Scheme/Activity
	Numb	er	
	2013	2014	
1	2	3	1
क शिल्पकार प्रशिक्षण य A. Craftsman Trainii			
रा० व्य० प्र० प० से सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों की संख्या	10750		No. of Training Institutes/ Centres affiliated to N.C.V.T
सरकारी औ०प्र०सं०	2275		Govt. ITI
निजी औ० प्र० के०	8475		Pvt. ITC
स्थान-क्षमता	1523696		Seating capacity

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

सारणी 3.4	
Table 3.4	

ख शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन प्रशिक्षण

B. Training under the Apprentices Act 1961

प्रतिष्ठानों की 28500 28500* No. of संख्या जो शिक्षुओ Establishments engaging Trade apprentices
प्रशिक्षण प्राप्त कर 359396 384000* No. of Trade Apprenticeship seats located

स्त्रोत : म० नि० प्र०

Source: DGT

राञ्चाञ्जाञ्च = राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT = National Council of Vocational Training औ॰ प्र॰ सं॰ = औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI = Industrial Training Institute औ॰ प्र॰ के॰ = औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ITC = Industrial Training Centre

3 रोजगार सेवाएं एवं प्रशिक्षण

3 EMPLOYMENT SERVICES AND TRAINING

3.5 कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

(केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय श्रम संस्थानी और गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में) 3.5 Training Programmes conducted by DGFASLI (Central, Regional Labour Institutes and Dock Safety Inspectorate)

निम्न द्वारा संचालित कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या No. of Training Progr- ammes	Oı	निहित संस्थानो की संख्या No. of ganisations epresented	वाले संग No Pa	लेने Progra- i की mmes व्या Conduct . of ed by rti- ants		
1	2		3	4	1		
के०श्र०सं० म	2015 के०श्रठसं० मुम्बई 183 439 4282 CLI, Mumbai						
क्षे०श्र०स० व	, गेलकाता	45	254	1190	RLI Kolkata		
क्षे०श्र०स०, व	कानपुर	29	75	159	RLI Kanpur		
क्षे०श्र०स०, र	वेन्नई	21	113	472	RLI Chennai		
क्षे०श्र०स०र्फा	रेदाबाद	5	25	72	RLI Faridabad		
गोदी सुरक्षा		14	54	210	Dock Safety		

सारणी **3.5** Table 3.5

1	2		3		4 1
			2016		
के०श्र०सं० मुग	-बई	171	383	4197	CLI, Mumbai
क्षे०श्र०स० को	लकाता	18	92	341	RLI Kolkata
क्षे०श्र०स०, क	ानपुर	14	172	359	RLI Kanpur
क्षे०श्र०स०, चे	न्नई	26	59	753	RLI Chennai
क्षे०श्र०स०फरि	दाबाद	14	35	326	RLI Faridabad
गोदी सुरक्षा		3	11	40	Dock Safety

के०श्र०सं० = केन्द्रीय श्रम संस्थान क्षे०श्र०स० = क्षेत्रीय श्रम संस्थान

स्त्रोत : म० नि० का० स० से० एवं० श्र० सं० Source : DGFASLI CLI = Central Labour Institute RLI = Regional Labour Institute

3.6 दत्तोपन्त ठॅगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं व्यवसाय संघो तथा अन्य संस्थानों हेतु सहायता अनुदान 31-3-2016 तक 3.6 Training Programmes conducted by Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (erstwhile CBWE) and Grants in aid to Trade Unions and other Institutions upto 31-3-2016

योजना/	खोले गये	शिक्षा	प्रशि-	व्यक्तित्व	Plan/
वर्ष	क्षेत्रीय	अधि-	क्षार्थी	विकास	Year
	निदे-	कारी	Train-	कार्यक्रम	
	शालय	Educ	ers	Person-	
	Regi-	ation		ality	
	onal	Offi- cers		Devel-	
	Direc-	cers		opment	
	torates			Prog-	
	opened			rammes	
1	2	3	4	5	1
सातवीं					Seventh
योजना					Plan
1985-90	1	78	6588	19677	1985-90
वार्षिक यो	जनाएं				Annual Plans
1990-91	1	0	1209	3957	1990-91
1991-92	3	24	1305	3904	1991-92
आठवीं					Eighth
योजना					Plan
1992-97	0	75	5721	17397	1992-97

सारणे 3.6

		T	able 3.6		
1	2	3	4	5	1
नौवीं योजना					Ninth Plan
1997- 2002	1	0	2737	16495	1997- 2002
दसवीं योजना					Tenth Plan
2002-07	1	81	1470	10606	2002-07
ग्यारवी योजना					Eleventh Plan
2007-12	0	0	1134	7275	2007-12
(बाहरवीं योजना)					(Twelth Plan)
वार्षिक योजनाएं	0	0	204	1158	Annual Plans
2012-13					2012-13
2013-14	0	0	195	988	2013-14
2014-15	0	0	185	1075	2014-15
2015-16	0	0	83	417	2015-16

सारणे 3.6 Table 3.6

योजना/	कर्म	कार		Plan/Year
वर्ष	Work	ers in		
	इकाई स्तर	कम अवधि	ग्रामीण	
	कक्षाएं	कार्य-क्रम	स्वंय	
	Unit	Short	सेवक	
	Level	Term	Rural	
	Classes	Progra-	Volun-	
		mmes	teers	
1	6	7	8	1
सातवीं योजना				Seventh Plan
1985-90	279194	170485	236	1985-90
वार्षिक योज	नाएं			Annual Plans
1990-91	52385	46041	169	1990-91
1991-92	52424	47504	124	1991-92
आठवीं योजना				Eighth Plan
1992-97	230281	240562	1054	1992-97

सारणे 3.6

		Table 3.6		
1	6	7	8	1
नौवीं योजना				Ninth Plan
1997- 2002	112171	706939	149	1997-2002
दसवीं योजना				Tenth Plan
2002-07	28071	336173	0	2002-07
ग्यारवी योजना				Eleventh Plan
2007-12	15361	281622	0	2007-12
(बाहरवीं योजना) वार्षिक योजनाएं 2012-13	2318	46542	0	(Twelth Plan) Annual Plans 2012-13
2013-14	1757	47169	0	2013-14
2014-15	2306	43437	0	2014-15
2015-16	1726	43607	0	2015-16

सारणे 3.6 Table 3.6

योजना/वर्ष		कर्मकार		Plan/Year
		Workers in		
	ग्रामीण	असंगठित	कार्यात्मक	
	जानकारी	क्षेत्र कैम्प	व्यस्क	
	कैम्प	Unorga-	साक्षरता	
	Rural	nised	कक्षाएं	
	Aware-	Sector	Functio-	
	ness	Camps	nal Adult	
	Camp		Literacy	
		10	Classes	
1	9	10	11	
सातवीं योजना				Seventh
				Plan
1005.00	451936	60027	64749	1005.00
1985-90	431930	00027	04749	1985-90
वार्षिक योजनाएं				Annual Plans
,				
1990-91	139798	17138	13607	1990-91
1001.02	136861	18321	9972	1001.02
1991-92	130001	16321	9912	1991-92
आठवीं योजना				Eighth Plan
				<i>8</i> · · · ·
1992-97	494239	84909	40258	1992-97

सारणे 3.6 Table 3.6

	1 able 3.0					
1	9	10	11			
नौवीं योजना				Ninth Plan		
1997-2002	403588	187672	9310	1997-2002		
दसवीं योजना				Tenth Plan		
2002-07	516765	623111	1698	2002-07		
ग्यारवी योजना				Eleventh Plan		
2007-12	500276	700578	343	2007-12		
(बाहरवीं योजना) वार्षिक योजनाएं 2012-13	90442	281710	366	(Twelth Plan) Annual Plans 2012-13		
2013-14	91742	285942	185	2013-14		
2014-15	66564	237208	51	2014-15		
2015-16	83696	337099	0	2015-16		
-						

सारणे 3.6 Table 3.6

	व्यवसायिक संघ/ संस्थ	यान जिन्हें अनुदान	
योजना/वर्ष	सहायता '	Plan/Year	
414117 44	Grants-in-aid to	rian/i cai	
	Institut		
	अनुदान प्राप्त संघों	दी गई राशी	
	/ संस्थानों की	Amount paid	
	संख्या	(in Rs)	
	Number of		
	Unions /		
	Institutions		
	receiving grant		
1	12	13	1
सातवीं			Seventh Plan
योजना			
1985-90	1072	4158329.00	1985-90
वार्षिक			Annual Plans
योजनाएं			
1990-91	122	637841.00	1990-91
1990-91	122	037841.00	1990-91
1991-92	128	535341.40	1991-92
आरुवीं			Eighth Plan
योजना			<i>6</i>
1992-97	469	2432077.85	1992-97
1992-97	409	2432077.83	1992-97

सारणे 3.6 Table 3.6

Table 3.5					
1	12	13	1		
नौवीं योजना			Ninth Plan		
1997-2002	366	2325711.90	1997-2002		
दसवीं योजना			Tenth Plan		
2002-07	255	3351626.00	2002-07		
ग्यारवी योजना			Eleventh Plan		
2007-12	192	5011108.00	2007-12		
(बाहरवीं					
योजना)			(Twelth Plan)		
वार्षिक योजनाए			Annual Plans		
2012-13	51	782928.00	2012-13		
2013-14	39	593961.00	2013-14		
2015 14	39	373901.00	2013-14		
2014-15	35	512325.00	2014-15		
2015 16	21	551120.00	2015 16		
2015-16	31	571120.00	2015-16 ोत : के०श्र०भि०बो०		

स्त्रोत : के०श्र०शि०बो०

Source : CBWE

4 WAGES AND EARNINGS

खनिज पदार्थ	दिसम्बर मे	आसत	Mineral
	साप्ताहिकः	उपार्जन	
	Average V	Veekly	
	Earnings in I	December	
_	2012	2013	<u>-</u> '
1	2	3	1
कोयला खनिक			Coal Miners
(समस्त भारत)			(All India)
(क) सतह के नीचे	11066	8447	a) Below ground
(खनिक और भारक)			(Miners and
,			Loaders)
(ख) खादान कार्य	7602	6683	b) Open-Cast
(खनिक और भारक)			Working (Miners
/ >			and Loaders)
(ग) कुल	11436	10124	c) Overall
अभ्रक(झारखण्ड)			Mica (Jharkhand)
(क) सतह के	881	942	a) Below ground
नीचे(पार्श्व खनिक			(Face Workers and
और भारक)			Loaders)
(ख) खादान कार्य(खनिक	<u>.</u>	1370	b) Open-Cast
और भारक)		1570	Working (Miners
SII (11(11)			and Loaders)
(ग) कुल	883	1442	c) Overall
मै गुनीज			Manganese
(मध्य प्रदेश)			(Madhya Pradesh)

4 मजदूरी एवं उपार्जन

4 WAGES AND EARNINGS

सारणी 4.1

Table 4.1					
1	2	3	1		
(क) सतह के नीचे(पार्श्व खनिक और भारक)	2783	6248	a) Below ground (Face Workers and Loaders)		
(ख) खादान कार्य(खनिक और भारक)	600	2390	b) Open-Cast Working (Miners and Loaders)		
(ग) कुल	2680	3201	c) Overall		
खनिज्लोहा (समस्त			Iron Ore		
भारत)			(All India)		
(क) सतह के नीचे(पार्श्व खनिक और भारक)			a) Below ground (Face Workers and Loaders)		
(ख) खुला खादान कार्य(खनिक और भारक)	2638	4796	b) Open-Cast Working (Miners and Loaders)		
(ग) कुल	3691	5050	c) Overall		

स्त्रोत : म० नि० खा ०सु० Source : DGMS

4.2 धन उपार्जन सूचकांक (आधार 1975=100) 4.2 Index of Money Earnings (Base 1975=100)

खनिज पदार्थ	2012	2013	Mineral
बाक्साइट	3955.48	4469.24	Bauxite
चीनी मिट्टी	3883.09	6202.02	China Clay
क्रोमाइट	5274.99	5964.98	Chromite
तांबा	5739.47	3144.35	Copper
डोलोमाइट	2852.37	1979.38	Dolomite
तापसह मिट्टी	4087.99	8712.06	Fire Clay
कच्चा सीसा एवं	5318.85	6587.15	Galena &
स्फलेराइट			Sphalerite
सोना	1222.85	1275.64	Gold
जिप्सम	5125.91	8354.28	Gypsum
लोहा	6068.21	7487.47	Iron
चूना-पत्थर	3864.81	5262.48	Lime Stone
मैग्नेसाइट	2905.56	3089.49	Mangnesite
मैग्नीज	6744.42	13212.7	Manganese
अभ्रक	2358.17	1563.13	Mica
सेलखड़ी	3636.87	4746.5	Stealite
पत्थर	5182.29	6926.12	Stone
धातुमय	4806.86	6717.88	Metalliferous
कोयला	4092.69	2733.52	Coal

स्त्रोत : म० नि० खा ०सु०

Source : DGMS

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

5.1 रेलवे की औद्योगिक क्षतियों की संख्या एवं आपात दर 5.1 Number of Industrial Injuries and Incidence Rates in Railways

2014	2015	2016	
			No. of Injuries
183	188	89	Fatal
918	1097	1050	Non-Fatal
			Incidence rates of Injuries (per 1000 workers)
0.14	0.14	0.07	Fatal
0.70	0.84	0.80	Non-Fatal
	183 918	183 188 918 1097 0.14 0.14	183 188 89 918 1097 1050 0.14 0.14 0.07

स्त्रोत : रेलवे बोर्ड

Source : Railway Board

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

5.2 खनिज वर्गानुसार खानों में औद्योगिक क्षतियां

5.2 Industrial Injuries in Mines (खनिज श्रेणी अनुसार) (By Class of Minerals)

खनिज	स	ख्या	दरः	प्रति हजार	Mineral
	Nu	mber	व्यक्ति नियोजित		
			Rate per 1000		
		•		s employed	
	घातक	गम्भीर	घातक	गम्भीर	
	Fata-	क्षति	Fata-	क्षति	
	lity	Seri-	lity	Seri-	
		ously		ously	
	\sqcup	Injured	4	Injured	<u> </u>
1	2	3	4	5	1
कोयला	62		0.17	1.11	1. Coal
कापला गैर -कोयला	0.	2 394	0.17	1.11	2. Non-Coal
तेल		5 10	0.20	0.40	Oil
एस्बैस्टस		2 -	0.20	0.40	Asbestos
चिनी मिट्टी, मिट्टी, सफेद मिट्टी		1 -	0.36	-	China Clay, Clay, White Clay
कोमाईट		- 3	_	0.28	Chromite
तांबा		1 1	0.27	0.27	Copper
डोलोमाइट		1 3	0.36	1.09	Dolomite
गैलेना एवं					Galena &
स्फेलेराइट	2	2 13	0.35	2.26	Sphalerite
सोना		- 2	-	0.54	Gold

5 दुर्घटनाएं,	सुरक्षा एवं
अनेपस्थिति	•

सारणी 5.2 Table 5.2

		Tab	le 5.2		
1	2	3	4	5	1
ग्रेनाइट	2	_	0.16	_	Granite
जिपस्म	1	_	3.01	-	Gypsum
लोहा	3	15	0.06	0.30	Iron
चूना पत्थर	4	5	0.12	0.15	Limestone
मैंगनीज़	1	1	0.05	0.05	Manganese
मारबल	4	2	2.04	1.02	Marble
अभ्रक	2	-	3.45	-	Mica
सिलिमेनाइट	-	1	-	0.34	Sillimanite
सटीआटाइट	3	-	0.64	-	Steatite
पत्थर	11	4	1.47	0.53	Stone
परमाणु खनिज	2	-			Atomic
3			0.24	0.22	Mineral
गैर कोयला	45	60	0.24	0.32	Non-Coal
कोयला और गैर-कोयला	107	454	0.19	0.80	Coal & Non- Coal
गर-कायला					Coai
		201	15*		
कोयला	55	316	0.15	0.86	Coal
गैर -कोयला					Non-Coal
तेल्	5	25	0.19	0.96	Oil
एस्बैस्ट्स	4	-			Asbestos
चिनी मिट्टी,					China Clay,
मिट्टी, सफेद मिट्टी	-	1	-	0.35	Clay, White Clay

5 दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

5 ACCIDENTS, SAFETY AND ABSENTEEISM

सारणी 5.2

Table 5.2					
1	2	3	4	5	1
तांबा	1	2	0.27	0.54	Copper
डोलोमाइट	-	-	-	-	Dolomite
गैलेना एवं					Galena &
स्फेलेराइट	3	4	0.67	0.89	Sphalerite
सोना	1	4	0.29	1.18	Gold
ग्रेनाइट	4	1	0.32	0.08	Granite
लोहा	5	9	0.09	0.17	Iron
चूना पत्थर	5	1	0.15	0.03	Limestone
मैगनेसाइट	2	1	0.84	0.42	Magnesite
मैंगनीज़	1	1	0.06	0.06	Manganese
मारबल	8	-	3.63	-	Marble
सैडस्टोन	1	-	0.97	-	Sandstone
सिलिका	1	-	0.34	-	Sillica
सिलिमेनाइट	-	1	-	0.25	Sillimanite
सटीआटाइट	-	-	-	-	Steatite
पत्थर	7	1	0.93	0.13	Stone
गैर कोयला	48	51	0.23	0.24	Non-Coal
कोयला और	103	367	0.19	0.42	Coal & Non-
गैर-कोयला					Coal
_		201	6*		
कोयला	99	277	0.126	0.75	Coal
गैर -कोयला					Non-Coal
तेल	9	8	0.35	0.30	Oil
एस्बैस्टस	1	-			Asbestos

सारणी 5.2 Table 5.2

		rabi	e 5.2		
1	2	3	4	5	1
चिनी मिट्टी,					China Clay,
मिट्टी, सफेद	-	-	-		Clay, White
मिट्टी					Clay
तांबा	1	2	0.27	0.54	Copper
डोलोमाइट	4	1	1.37	0.34	Dolomite
गैलेना एवं					Galena &
स्फेलेराइट	1	3	0.22	0.67	Sphalerite
सोना	-	1		0.29	Gold
ग्रेनाइट	7	1	0.57	0.08	Granite
लोहा	3	9	0.05	0.17	Iron
चूना पत्थर	4	3	0.12	0.09	Limestone
मैगनेसाइट	-	-	-	-	Magnesite
मैंगनीज़	1	5	0.06	0.29	Manganese
मारबल	-	-	-	-	Marble
सैडस्टोन	-	-	-	-	Sandstone
सिलिका	-	-	-	-	Sillica
सिलिमेनाइट	1	6	0.25	1.52	Sillimanite
सटीआटाइट	1	-	0.20	-	Steatite
पत्थर	14	9	1.87	1.20	Stone
परमाणु खनिज	3	-	-	-	Atomic
					Mineral
गैर कोयला	50	48	0.24	0.23	Non-Coal
कोयला और	149	325	0.19	0.42	Coal & Non-
गैर-कोयला					Coal

स्त्रोत : म०नि०खा०सु० Source : DGMS

5.3 पत्तनों में रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं 5.3 Reportable Accidents in Ports

	201	4-15	201	5-16	
पत्तन	घातक	अघातक	घातक	अघातक	Port
	Fatal	Non-	Fatal	Non-	
		Fatal		Fatal	
मुम्बई	2	28	3	30	Mumbai
जवाहर लाल	0	8	0	0	J.N. Port
नेहरु पतन					
काण्डला	2	10	2	4	Kandla
मोर्मुगोआ	0	3	2	7	Mormugao
कोलकाता	2	10	0	11	Kolkata
पारादीप	0	2	0	2	Paradip
विशाखापतनम	0	3	0	4	Visakha-
					patnam
चेन्नई	0	1	1	2	Chennai
कोचीन	0	5	0	2	Cochin
नया मैंगलौर	0	0	0	1	New
					Mangalore
<u>तू</u> तीकोरन	0	2	0	4	Tuticorin
योग	6	72	8	67	Total

स्त्रोत : म०नि०का०स०से.एवं श्र०सं०

Source : DGFASLI

5.4 जलयानों पर रिपोर्ट-योग्य दुर्घटनाएं तथा आवृत्ति दर 5.4 Reportable Accidents on Board Ships and Frequency Rate

पत्तन	प्रतिवेदन	प्रतिवेदन योग्य		न दर	Port
	दुर्घट	नाएं	Frequen	cy Rate	
	Repor	table			
	Accio	lents			
	2014-	2015-	2014-	2015-	
	2015	2016	2015	2016	
मुम्बई	15	15(1)	7.32	8.19	Mumbai
जवाहर लाल	0	0	0.00	0.00	J.N. Port
नेहरु पतन					
काण्डला	3	1(1)	1.26	0.41	Kandla
मोर्मुगोआ	1	2(2)	1.18	5.74	Mormugao
कोलकाता	3	7	2.32	5.49	Kolkata
पारादीप	1	0	3.83	0.00	Paradip
विशाखापतनम	1	2	0.96	2.1	Vishakapatnam
चेन्नई	0	2(1)	0	1.77	Chennai
कोचीन	0	1	0	8.26	Cochin
नया मैंगलौर	0	1	0	4.53	New
					Mangalore
तूतीकोरन	0	0	0	0.00	Tuticorin

स्त्रोत : म०नि०का०स०से.एवं श्र०सं०

Source : DGFASLI कोष्ठकों में दिये गए आंकडें घातक क्षतियों को दशति हैं और कुल दुर्घटनाओं की संख्या मे शमिल है।

Figures in brackets indicate no. of fatal accidents and are included in total no. of accidents.

6.1(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्य 6.1(a) Working of the Employees State Insurance Act सम्मिलित कारखानों एवं कर्मचारियों की संख्या No. of Factories & Employees covered

(31 मार्च को) (as on 31st March)

	2015	2016	
केन्द्रों की संख्या	830	843	No. of Centres
सम्मिलित कारखानों की संख्या	723756	783786	No. of Factories covered
सम्मिलित कारखानों में कर्मचारियों की संख्या ('000 में)	17955	18921	No. of Employees in factories covered
(000 1)			(in 000's)
बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या ('000 में)	20344	21362	No. of Insured persons
,			(in 000's)
पारिवारिक इकाइयों की संख्या (बीमाकृत व्यक्ति) ('000 में)	20344	21362	No. of Family Units (Insured Persons)
(000 1)			(in 000's)
सम्मिलित लाभान्वितों की संख्या ('000 में)	78934	82884	No. of beneficiaries covered (in 000's)

स्त्रोतः क० रा० बी० नि०

Source : ESIC

6.1 (ख) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय एवं उपस्थिति (31मार्च को) 6.1(b) ESI Dispensaries and Attendance (as on $31^{\rm st}$ March)

	2015	2016	
औषधालयों की संख्या			No. of
			Dispensaries
पूर्णकालिक	1405	1416	Full Time
अंशकालिक	18	17	Part Time
चलते फिरते	19	18	Mobile
नियोजकों के उपयोग	17	16	Employer's
के लिये			Utilisation
उपस्थिति			Attendance
(क) संख्या (000 में)			a) Number (in
, , , ,			000's)
बीमाकृत व्यक्ति	21598	20789	Insured
			Persons
पारिवारिक सदस्य	23263	22788	Family members
(ख) प्रति हजार			b) Per thousand
	1083	007	Insured
बीमाकृत व्यक्ति	1083	997	Persons
पारिवारिक सदस्य	1166	1093	Family
111(411(4) (14(4	1100	1075	members
अस्पतालों में दाखिल किये	1848618	3541686	Cases admitted
मामले			in Hospital
घर पर दौरा			Home Visits
बीमाकृत व्यक्ति			Insured
			Persons
पारिवारिक सदस्य			Family
			members
		₹	त्रोत : क० रा० बी० नि०
			Source : ESIC

6 SOCIAL SECURITY

6.1 (ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/उपगृष्टों/अन्य अस्पतालों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या (31मार्च को) 6.1(c) Number of Beds available in ESI Hospitals/ Annexes/ other Hospitals (as on 31st March)

	2015	2016	
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में			In ESI Hospitals
सामान्य	16014	16015	General
प्रसूति	2385	2435	Maternity
तपेदिक	982	1013	T.B.
उपगृह			In Annexes
सामान्य	375	375	General
प्रसूति	12	12	Maternity
तपेदिक	147	147	T.B.
अन्य अस्पतालों में			In Other Hospitals
सामान्य	2102	2006	General
प्रसूति	153	154	Maternity
तपेदिक	352	447	T.B.

स्त्रोत : क० रा० बी० नि०

Source : ESIC

6.1(घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत बीमारी एवं प्रसूति लाभ (31 मार्च को) 6.1 (d) Sickness and Maternity Benefits under the ESI Scheme (as on 31st March)

	2015	2016	
बीमारी लाभ			Sickness Benefit
दी गई धन-राशि	25129	25903	Amount paid
(रुपये लाख में)			(Rs. in lakh)
औसतन दैनिक दर	217.91	261.72	Average daily rate
(रुपये)			(Rs.)
दीर्घकालीन लाभ			Extended Benefit
दी गई धन राशि	3376.69	3653.84	Amount paid
(रुपये लाख में)			(Rs. in lakh)
प्रसूति लाभ			Maternity Benefit
प्रसर्वों की संख्या	32874	31564	No. of
			confinements
नियोजित प्रति 100	9.78	8.34	Rate of
महिला कर्मचारियों			confinement per
पर प्रसव दर			100 women
प्रसृति लाभ के	850216	893562	employees Amount paid as
प्रसूति साम पर फलस्वरूप दी गई	830210	693302	Maternity benefit
धन राशि (रुपये			(Rs.in 000's)
000' में)			(115.111 000 0)
000 म) प्रतिप्रसव पर दी	25863	28310	A voroco amount
ग्रात प्रसव पर दा गई औसत धनराशि	23803	20310	Average amount paid per
			confinement (Rs.)
(रुपये)			commentent (Rs.)

स्त्रोत : क० रा० बी० नि० Source : ESIC

6.1 (ङ)कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के अन्तर्गत अंगहानि एवं आश्रितों को लाभ (31 मार्च को)

6.1 (e) Disablement and Dependants Benefits under ESI Scheme (as on 31st March)

	2015	2016	
अस्थायी विकलांगता लाभ के फलस्वरूप दी गई धन-राशि (रु '000' में)	981673	918842	Amount of temporary disablement benefit paid (Rs.in 000's)
स्थायी विकलांगता के स्वीकृत मामलों की संख्या	11386	12331	No. of permanent disablement cases admitted
स्थायी विकलांगता लाभ का पंजीकृत मूल्य (रुपये 000' में)	2245061	2459821	Capitalised value of permanent disablement benefit (Rs.in 000's)
मृत्यु मामलों की स्वीकृत संख्या	2020	1890	No. of death cases admitted
स्वीकृत आश्रित लाभ दावों का पंजीकृत मूल्य (रुपये 000' में)	1940335	1940573	Capitalised value of dependants benefit claims admitted (Rs.in 000's)

स्त्रोत : क० रा० बी० नि०

Source : ESIC

6 SOCIAL SECURITY

6.1(च) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की आय एवं व्यय (31मार्च को) 6.1(f) Income and Expenditure of the ESI (as on 31st March) (रुपये लाख में) (Rs. in lakh)

	2015	2016	
आय			Income
नियोजकों और कर्मचारियों	1086714	11455.57	Contribution from
का अंशदान			both employer's
			and employee's
ब्याज एवं लाभांश	260648	280760	Interest and
~	5.445	4020	dividends
किराया <u> </u>	5447	4939	Rent
शुल्क व अर्थदण्ड	2966	3376	Fee & Fine
चिकित्सा शिक्षा	375.45	531.75	Medical
			Education
विविध	2707	2058	Miscellaneous
व्यय			Expenditure
चिकित्सा लाभ	571434	599567	Medical Benefit
नकद लाभ	61897	70398	Cash Benefit
अन्य लाभ	256	251	Other Benefits
प्रशासनिक व्यय	121042	139061	Administrative
			expenses
अस्पतालों आदि के मूल्य	19672.18	28326.48	Provision for
इास मरम्मत और अनुरक्षण			depreciation of
के लिये व्यवस्था तथा			hospitals etc.,
आरक्षित निधि			repair and
ગારાવાલ 1:11લ			maintenance and
			reserve funds

स्त्रोत : क० रा० बी० नि०

Source : ESIC

योग

6.2 (क) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के कार्य

(परिधि 31मार्च को) 6.2(a)Working of the Employees Provident Fund Scheme (Coverage as on 31st March)

	2014-15	2015-16	
सम्मिलित प्रतिष्ठान वर्ग			Classes of Establishments covered
छूट प्राप्त	4737	4365	Exempted
अमक्त	856386	921932	Unexempted

926297

861123

स दस्यों की संख्या (लाख में)			No. of Members (in lakh)
छूट प्राप्त	75.85	84.42	Exempted
अमुक्त	1508.86	1629.72	Unexempted
योग	1584.70	1714.14	Total

स्त्रोत : क० भ० नि० सं०

Source : E.P.F.O

Total

6.2 (स्त) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अंशदाता एवं क्षेत्रवार परिधि $(31 \ \text{मार्च को})$

6.2(b)Region-wise coverage and subscribers of the Employees' Provident Fund Scheme (as on 31st March)

क्षेत्र		गर्ने /		दस्य	Region
		प्रतिष्ठाने		(लाखों में)	
		ories/		nbers	
		shments		akhs)	
	2014 -15	2015-	2014- 15	2015-	
1	2	3	4	<u>16</u> 5	1
ı					
आन्ध्र	74788	36928	119.09	32.63	Andhra
प्रदेश					Pradesh
बिहार	10360	11505	9.48	10.39	Bihar
छत्तीसगढ़	11239	12171	12.33	13.30	Chhattisgarl
दिल्ली	53950	58568	126.57	139.73	Delhi
गोवा	4252	4515	11.20	11.89	Goa
गुजरात	76771	81605	124.14	134.20	Gujarat
हरियाणा	41436	44571	112.71	123.92	Haryana
हिमाचल	8896	9960	11.03	11.66	Himachal
प्रदेश					Pradesh
झारखण्ड	15712	16924	17.00	18.12	Jharkhand
कर्नाटक	60344	65551	183.28	201.61	Karnataka
केरल	24608	25728	25.93	26.36	Kerala

सारणी 6.2 (ख) Table 6.2 (b)

1 able 6.2 (b)							
1	2	3	4	5	1		
महाराष्ट्र	132702	142910	313.79	341.28	Maharashtra		
मध्य प्रदेश	27588	31492	35.70	38.39	Madhya Pradesh		
असम	11861	13481	7.54	8.68	Assam		
ओडिशा	20453	22383	24.99	26.30	Odisha		
पंजाब	40168	42539	54.44	56.36	Punjab		
राजस्थान	30314	33194	39.92	42.73	Rajasthan		
तमिलनाडु	99521	104369	196.33	210.13	Tamil Nadu		
उत्तराखण्ड	7680	8497	20.30	22.74	Uttarakhand		
उत्तर प्रदेश	59456	64423	66.70	72.43	Uttar Pradesh		
पश्चिम बंगाल	49024	52317	72.24	77.37	West Bengal		
तेलंगाना		42666		93.93	Telangana		
योग	861123	926297	1584.70	1714.14	Total		

स्त्रोत : क० भ० नि० सं०

6.2 (π) कर्मचारी भविष्य-निधि योजना के अर्न्तगत प्राप्त अंशदान (31मार्च को) 6.2(c) Contributions received under Employees' Provident Fund Scheme (as on 31 st March) (रूपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2014-15	2015-16	
वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अंशदान एवं अन्य प्राप्तियां			Total contribution and receipts during the year
छूट-प्राप्त	28521.12	19509.73	Exempted
अमुक्त	60202.15	70236.17	Unexempted
योग	88723.27	89745.90	Total
आरोही योग-			Progressive Total
			1000
छूट-प्राप्त	197934.42	217444.15	Exempted
छूट-प्राप्त अमुक्त	197934.42 329709.54	217444.15 399945.71	

स्त्रोत : क० भ० नि० सं०

6.2 (घ) निधि निवेश और कर्मचारी भविष्य-निधि के सदस्यों को अनुमत ब्याज (31मार्च को)
6.2(d) Investment of Funds and Interest allowed to the Employees' Provident Fund Members (as on 31st March) (रुपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2014-15	2015-16	
क शुद्ध निवेश			A Net Investment
1 छूट-प्राप्त			1 Exempted Estts.
प्रतिष्ठान			
वर्ष के दौरान	48318.01	63137.02	During the year
आरोही योग	241296.92	304433.94	Progressive Total
2 अमुक्त प्रतिष्ठान			2 Unexempted Estts.
वर्ष के दौरान	54753.86	64481.85	During the year
आरोही योग	379458.51	443940.36	Progressive
2 — 62			Total 3 Total
3 कुल निवेश -			Investment
वर्ष के दौरान	103071.87	127618.87	During the year
आरोही योग	620755.43	748374.43	Progressive Total
<u>ख ब्याज की</u> अनुमानित दर	8.75	8.80	B Rate of Interest allowed (percent)
(प्रतिशत)			. 4 ,

स्त्रोत : क० भ० नि० सं०

6 SOCIAL SECURITY

6.2 (इ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गयें ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन-वापसी

6.2(e) Refunds including Loans and Advances Granted under the Employees' Provident Fund Scheme (रूपये करोड़ में) (Rs. in crore)

	2014-15	2015-16	
छूट-प्राप्त प्रतिष्ठान वर्ष के दौरान	27939.85	17095.51	Exempted Estts. During the year
अमुक्त प्रतिष्ठान वर्ष के दौरान	28745.50	30008.21	Un-exempted Estts. During the year
कुल ऋण आदि वर्ष के दौरान	56685.35	47103.72	Total Loans, etc. During the year

स्त्रोत : क० भ० नि० सं०

6.2 (च) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत दिये गयें ऋण एवं अग्रिम राशियों सहित धन वापसी (31मार्च को) 6.2(f) State-wise Refunds including Loans and Advances Granted under the Employees' Provident Fund Scheme (as on 31st March)

(रुपये करोड में) (Rs.in crore)

	2015-16	State/Region
2	3	1
709.03	837.35	Andhra Pradesh
93.47	126.47	Bihar
174.40	213.64	Chhattisgarh
2273.44	2300.50	Delhi
185.26	198.88	Goa
1796.76	1706.95	Gujarat
1576.98	1595.94	Haryana
194.35	208.25	Himachal Pradesh
196.45	184.20	Jharkhand
3861.84	2922.75	Karnataka
1036.60	1148.02	Kerala
	709.03 93.47 174.40 2273.44 185.26 1796.76 1576.98 194.35 196.45 3861.84	709.03 837.35 93.47 126.47 174.40 213.64 2273.44 2300.50 185.26 198.88 1796.76 1706.95 1576.98 1595.94 194.35 208.25 196.45 184.20 3861.84 2922.75

6 SOCIAL SECURITY

सारणी 6.2 (च) Table 6.2(f)

1	2	3	1	
महाराष्ट्र	5843.64	7566.49	Maharashtra	
मध्य प्रदेश	641.73	680.36	Madhya Pradesh	
असम	184.98	222.33	Assam	
ओडिशा	370.18	414.23	Odisha	
पंजाब	993.73	1117.65	Punjab	
राजस्थान	558.25	637.53	Rajasthan	
तमिलनाडु	3452.97	3288.94	Tamil Nadu	
उत्तराखण्ड	275.68	289.21	Uttarakhand	
उत्तर प्रदेश	1147.42	1192.12	Uttar Pradesh	
पश्चिम बंगाल	1445.34	1374.41	West Bengal	
तेलंगाना	1733.01	1804.99	Telangana	
योग	28745.50	30031.22	Total	

स्त्रोत : क० भ० नि० सं०

6 SOCIAL SECURITY

6.2(छ) राज्यवार कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत निर्णीत दावे और भुगतान की गई धनराशि (अमुक्त वर्ग) 6.2(g) State-wise Claims settled and Amount Paid under the Employees' Provident Fund Scheme (Unexempted Sector) (31 मार्च को) (As on 31st March)

राज्य / क्षेत्र	निर्णीत (000 Claims (in 0	' में) settled	दी गई १ (रुपए क Amour (Rs.in	रोड़ में) nt Paid	State/ Region
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	
1	2	3	4	5	1
आन्ध्र प्रदेश	139.82	192.72	490.42	530.63	Andhra Pradesh
बिहार	29.99	37.02	184.72	191.32	Bihar
छत्तीसगढ	42.25	56.42	160.65	200.13	Chhattisgarh
दिल्ली	399.92	462.97	2441.63	2380.33	Delhi
गोवा	37.41	40.00	183.10	195.13	Goa
गुजरात	399.67	427.32	1717.16	1723.04	Gujarat
हरियाणा	445.56	484.41	1685.48	1447.47	Haryana
हिमाचल प्रदेश	52.94	53.38	202.26	212.73	Himachal Pradesh
झारखण्ड	69.21	61.75	212.67	190.72	Jharkhand
कर्नाटक	751.07	759.60	4302.18	3443.41	Karnataka
केरल	140.19	203.82	687.10	697.70	Kerala

सारणी 6.2 (छ) Table 6.2(g)

1	2	3	4	5	1
मध्य प्रदेश	150.41	175.93	601.21	645.04	Madhya Pradesh
महाराष्ट्र	1178.27	1409.80	7492.79	7573.51	Maharashtra
असम(NER)	31.25	39.69	151.71	172.62	Assam(NER)
ओडिशा	101.37	124.21	409.05	599.98	Odisha
पंजाब	228.32	248.00	950.00	998.81	Punjab
राजस्थान	135.50	157.28	615.63	648.71	Rajasthan
तमिलनाडु	785.17	806.19	3446.73	3101.56	Tamil Nadu
तेलंगाना	330.97	402.89	1566.77	1647.15	Telangana
उत्तर प्रदेश	248.33	343.88	1043.14	1187.33	Uttar Pradesh
उत्तराखण्ड	82.69	95.05	229.73	232.97	Uttarakhand
पश्चिम	291.41	272.21	1479.12	1498.82	West Bengal
बंगाल					
योग	6071.69	6854.51	30253.25	29519.12	Total

30253.25 29519.12 Total स्त्रोत : क० १५० नि० सं० Source : E.P.F.O

6.2 (ज) कर्मचारी-भविष्य निधि योजना के अर्न्तगत प्रदान किया गया वापस न किये जाने वाला अग्रिम धन (अमुक्त वर्ग) 6.2(h) Non-Refundable Advances granted under the Employees' Provident Fund Scheme (Un-exempted Sector)

प्रयोजन	मामलों की	राशी	Purpose				
	संख्या	Amoun	it				
	No. of Cases	(হ০ লাৰ	में)				
	(Rs. in Lal		kh)				
1	2	3 1					
<u>2014-15</u>							
1 जीवन बीमा	30288	1738.02	1 Life Insurance				
2 आवास	162764	283333.00	2 Housing				
3 बीमारी	75229	32033.8	3 Illness				
4 अस्थायी बंदी	6185	3180.3	4 Temporary Closure				
5 लड़की की शादी और बच्चों की दसवीं के बाद शिक्षा	134958	105407	5 Daughter's marriage and post matriculation education of children				
6 आपवादिक प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त सम्पति	0	0	6 Damaged property due to calamity of exceptional nature				
7 कारखानों/ प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति में कटौती	0	0	7 Cut in supply of Electricity to the Factory/ Estts.				
8 विकलांग सदस्यों को अग्रिम राशि की मंजूरी	0	0	8 Grant of advance to members who are physically handicapped				
9 अन्य	16799	45015	9 Others				
योग	426223	470708	Total				

सारणी 6.2 (ज) Table 6.2(h)

1	2	3	1			
<u>2015-16</u>						
1 जीवन बीमा	27581	1444.01	1 Life Insurance			
2 आवास	201668	411238.21	2 Housing			
3 बीमारी	89565	40726.59	3 Illness			
4 अस्थायी बंदी	10737	6032.5	4 Temporary Closure			
5 लड़की की भादी और बच्चों की दसवीं के बाद भिक्षा	139474	107814.82	5 Daughter's marriage and post matriculation education of children			
6 आपवादिक प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त सम्पति	0	0	6 Damaged property due to calamity of exceptional nature			
7 कारखानों/ प्रतिष्ठानों में विद्युत आपूर्ति में कटौती	0	0	7 Cut in supply of Electricity to the Factory/ Estts.			
8 विकलांग सदस्यों को अग्रिम राशि की मंजूरी	0	0	8 Grant of advance to members who are physically handicapped			
9 अन्य	23558	47645.2	9 Others			
योग	492583	614901.33	Total			

स्त्रोत : क० भ० नि० सं० Source : E.P.F.O

6.2(झ) कर्मचारी-भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत आय और व्यय 6.2(i) Income and Expenditure under the Employees' Provident Fund Organization (रुपये करोड में) (Rs. in crore)

	2014-15	2015-16	
1 आय			1 Income
क) प्रशासनिक प्रभार, निरीक्षण प्रभार और दण्डविषयक क्षतियां	3681.51	3649.21	a) Administrative charges, Inspection charges & Penal damages
ख) निवेशों पर ब्याज	1174.78	1207.71	b) Interest on investments
ग) सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन, प्रशासन व्यय की प्रतिपूर्ति			c)Reimbursement towards Family Pension, Administration Expenses by the Government
घ)अन्य लेखाओं से प्राप्ति	26.92	35.21	d) Receipt from other accounts
ड़) विविध प्राप्तियां	21.25	16.37	e) Misc. Receipt
कूल आय	4904.46	4908.50	Total Income
2 व्यय	1766.48	2080.67	2 Expenditure
3 अधिशेष	3137.98	2827.83	3 Surplus

स्त्रोत : क० भ० नि० सं०

Source : E.P.F.O

6.3 अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य 6.3 Working of the Mica Mines Labour Welfare Fund

	2014-15	2015-16	
निर्यात पर उपकर की दर (यथा-मूल्य प्रतिशत)	4.5	4.5	Rate of cess on exports (percent ad valorem)
	(रुपये लाख में)	(Rs. in lakh)	
आय व्यय	220.00	273.00	Income Expenditure
क) स्वास्थय	129.39	128.52	a) Health
ख) शिक्षा	61.05	69.33	b) Education
ग) आवास			c) Housing
घ) जल प्रदाय			d) Water supply
ङ) मनोरंजन	4.26	4.21	e) Recreation
च) प्रशासन	45.36	45.34	f) Administration
योग (क से च)	240.06	247.40	Total (a to f)
शेष निधि	2732.94	2760.94	Balance in Fund

स्त्रोत : म० नि० श्र० क०

Source: DGLW

6.4 खनिज लोहा, मैंगनीज एवं कोम खान श्रीमक कल्याण निवि के कार्य 6.4 Working of Iron, Manganese and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund

	2014-15	2015-16	
निर्यात पर उपकर की	1.00+	1.00+	Rate of cess
दर (रुपये प्रति मिट्रिक	4.00++	4.00++	on export
टन)	6.00#	6.00#	(Rs. per
			metric tonne)
	(रूपये लाख में) (R	s. in lakh)	
आय	1514.00	1671.00	Income
व्यय-			Expenditure
(क) स्वास्थय	823.11	848.11	a) Health
(ख) शिक्षा	225.64	223.74	b) Education
(ग) आवास	17.36	19.92	c) Housing
(घ) जल प्रदाय	0	0	d) Water
()			supply
(ङ) मनोरंजन	17.47	26.50	e) Recreation
(च) प्रशासन	223.51	231.97	f) Adminis-
\ /			tration
योग (कसे च)	1307.09	1350.24	Total (a to f)
()			
शेष निधि	18928.91	19249.67	Balance in
	10,20,7	13213107	Fund
		स्त्रोत	: म० नि० श्र० क०
			Source : DGLW
+ अयस्क लोहा	+ Iron Ore		
++ अयस्क मैंगनीज	++ Mangan	ese Ore	
# अयस्क क्रोम	# Chrome C		
# SIEVE AUT	" Chronic C	,,,,	

6.5 चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि के कार्य 6.5 Working of the Limestone and Dolomite Mine Labour Welfare Fund

	2014-15	2015-16	
निर्यात पर उपकर की दर (रुपये प्रति मीट्रिक टन)	1.00	1.00	Rate of cess on export (Rs.per metric tonne)
	(रूपये लाख में)	(Rs. in lakh)	
आय	1460.00	1599.00	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थय	664.52	739.33	a) Health
खं) शिक्षा	65.30	23.47	b) Education
ग) आवास	47.82	58.02	c) Housing
र्घ) जल प्रदाय	0	0	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	45.97	45.84	e) Recreation
च) प्रशासन	360.11	373.06	f) Adminis- tration
योग (क से च)	1183.72	1241.62	Total (a to f)
शेष निधि	11509.28	11866.00	Balance in

fund स्त्रोत : म० नि० श्र० क०

Source : DGLW

6.6 बीड़ी कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य 6.6 Working of the Beedi Workers' Labour Welfare Fund

	2014-15	2015-16	
उपकर की दर (रुपये प्रति हजार)	5.00	5.00	Rate of cess (Rs. Per thousand)
,	(रूपये लाख में)	(Rs. in lakh)	
आय व्यय	17532.00	15871.00	Income Expenditure
क) स्वास्थय	7852.25	8647.11	a) Health
ख) शिक्षा	6681.31	8358.33	b) Education
ग) आवास	2479.35	1384.81	c) Housing
र्घ) जल प्रदाय	0	0	d) Water supply
ङ) मनोरंजन	13.71	15.41	e) Recreation
र्च) प्रशासन	1056.15	1117.74	f) Adminis- tration
योग (क से च)	18082.83	19523.40	Total (a to f)
शेष निधि	(-)32874.83	(-)35880.00	Balance in fund

स्त्रोत : म० नि० श्र० क०

Source: DGLW

6.7 सिनेमा कर्मकार श्रम कल्याण निधि के कार्य 6.7 Working of the Cine Workers Labour Welfare Fund

	2014-15	2015-16	
उपकर की दर	20000+	20000+	Rate of cess
(रूपये प्रति फीचर फिल्म)	10000++	10000++	(Rs. per feature film)
,	(रूपये लाख में) ((Rs. in lakh)	
आय	173.00	193.00	Income
व्यय			Expenditure
क) स्वास्थय	112.79	144.45	a) Health
ख) शिक्षा	14.41	12.04	b) Education
ग) आवास	0		c) Housing
र्घ) जल प्रदाय	0		d) Water supply
ङ) मनोरंजन	0		e) Recreation
र्च) प्रशासन	2.24	1.02	f) Adminis- tration
योग (क से च)	129.44	157.51	Total (a to f)
शेष निधि	657.00	736.00	Balance in fund

स्त्रोत : म० नि० श्र० क०

Source: DGLW

- + हिन्दी एवं अंग्रजी फीचर फिल्म
- + Hindi & English Feature Films ++ सभी अन्य भाषी फीचर फिल्म
- ++ All other language feature film

6 SOCIAL SECURITY

6.8(क) कोयला खान भविष्य-निधि के कार्य (31 मार्च को) 6.8(a) Working of Coal Mines Provident Fund (as on 31 st March)

	2015	2016	
सिम्मलित कोयला खाने और आनुपंगिक संगठन(अवधि के अन्त में)	903	893	Coal Mines and ancillary organizations covered (at the end of the period)
सम्मिलित कर्मचारी (000 में)			Employees covered (in 000's)
(क) पंजीकृत सदस्यता (अवधि के अन्त में)	5034	5061	a) Registered membership
(01410 47 01-(1 11)			(at the end of period)
(ख) वर्ष के दौरान सजीव सदस्यता	473	468	b) Life membership during the year
वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (रुपये लाख में)			Contributions received during the year (Rs. lakh)
क) अनिवार्य	417203.76	480171.07	a) Compulsory
ख) स्वैच्छिक	11402.49	14621.84	b) Voluntary

स्त्रोत : को० खा० भ० नि० आ० Source : CMPFC

6.8(ख) कोयला खान भविष्य निधि के कार्य (राज्यानुसार वितरण) 6.8(b) Working of Coal Mines Provident Fund (State-wise Distribution)

राज्य	अवधि के दौरान सजीव		State
	सदस्य	ता	
	Live member		_
	2015	2016	
झारखण्ड	111285	105587	Jharkhand
पश्चिम बंगाल	65528	63647	West Bengal
मध्य प्रदेश	77474	76718	Madhya Pradesh
छत्तीसगढ़	55488	55267	Chhattisgarh
महाराष्ट्र	51500	52745	Maharashtra
आंध्र प्रदेश	72866	71997	Andhra Pradesh
असम	6356	6261	Assam
जम्मू एवं कश्मीर	1720	1718	Jammu & Kashmir
ओड़ीसा	31361	34646	Orissa
दिल्ली	135	123	Delhi
योग	473713	468709	Total

स्त्रोत : को० खा० भ० नि० आ०

6.8(ग) कोयला खान भविष्य-निधि के अन्तर्गत प्रदान किये गए ऋण और अग्निम धन (31 मार्च को)

6.8(c) Loans and advances granted under the Coal Mines Provident Fund Scheme (as on 31st March)

	2015	2016	
विवाह अग्रिम			Marriage Advance
(क)-संख्या	6495	6055	a) Number
(ख)-धनराशि (करोड़ रु में)	149.24	166.64	b) Amount (Rs.in crore)
पश्चीय दसवीं पास शिक्षा अग्रिम			Post Matriculation Education Advance
क)-संख्या	996	915	a) Number
ख)-धनराशि (करोड़ रु में)	11.93	10.76	b) Amount (Rs.in crore)
गृह निर्माण अग्रिम			House Building Advance
क)-संख्या	8574	7101	a) Number
ख)-धनराशि (करोड रु में)	378.16	371.64	b) Amount (Rs. in crore)

स्त्रोत : को० खा० भ० नि० आ०

6.8 (घ) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत धन वापसी के दावे (31मार्च को)

6.8(d) Claims for Refunds under the Coal Mines Provident Fund Scheme (as on 31st March)

	2015	2016	
प्राप्त दावों की संख्या	31279	32995	No of claims
20 0 00 00 00 00	012/	02//0	received
अस्वीकृत दावों की संख्या	215	62	No. of claims rejected/returned
			rejected/returned
निर्णीय दावों की संख्या	31111	32936	No. of claims settled
वापस की गई धन	5176.76	5593.94	Amount
राशि			refunded
(रुपये करोड़ में)			(Rs. in crore)
<u>आरोही योग</u>			<u>Progressive</u> Total
निर्णीत दावे	1508	1540	Claims settled
	1308	1340	Charms settied
('000 में)			(000's)
वापस की गई	41797.56	47391.50	Amount
धनराशि			refunded
(रुपये करोड़ में)			(Rs. in Crore)
विचाराधीन दावे	26	23	Claims pending

स्त्रोत : को० खा० भ० नि० आ०

6.8 (इ.) कोयला खान भविष्य-निधि योजना के अन्तर्गत आय एवं व्यय

5.8 (इ.) कोयला खान भविष्य-ांनाघ याजाग - . . . (31मार्च को) 6.8(e) Income and Expenditure under the Coal Mines Provident Fund Scheme (as on 31 March) (रुपये लाख में) (Rs. in lakhs)

	2015	2016	
आय			Income
प्रशासनिक प्रभार	15106.37	16250.06	Administra- tive charges
अन्य प्राप्तियां	19539.64	21413.38	Other receipts
योग	34646.01	37663.44	Total
व्यय	8027.52	9664.94	Expenditure
अधिशेष	26618.49	27998.50	Surplus
व्यय अनुपात	23.17	25.66	Expense ratio

स्त्रोत : को० खा० भ० नि० आ०

6.8(च) पारिवारिक पेंशन निवि लाभ (31मार्च को) 6.8(f) Family Pension Fund Benefits (as on 31^{st} March)

मामलों की संख्या					
	No. of Cases				
•	2014-15	2015	2015-16	2016	_
	के	तक	के	तक	
	दौरान	Upto	दौरान	Upto	
	During 2014-15	2015	During 2015-16	2016	
	2017-13		2013-10		
निर्णीत पारिवा- रिक पेंशन निधि	4	40776	0	40776	Family pension cases settled
परिवार पेंशन स्कीम के अन्तर्गत निपटाए गए अन्य लाभों के दावे	0	104603	0	104603	Claims for other benefits under Family Pension Scheme settled

स्त्रोत : को०खा०भ०नि०आ० Source : CMPFC

1. नियोजन

1. Employment

सारणी 1.1:आंकड़े सभी कारखानों से सम्बन्धित हैं जो शक्ति प्रयोग के साथ 10 या अधिक कर्मकार एवं बिना शक्ति के प्रयोग से 20 या अधिक कर्मकार नियोजित करते हैं और वे प्रतिष्ठान जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 85 के अन्तर्गत कारखाना घोषित किया गया है।

Table 1.1: Statistics relate to all factories employing 10 or more workers with the aid of power and 20 or more workers without the aid of power and to the establishments declared as factories by State Governments under Section 85 of the Factories Act, 1948.

सारणी 1.2: प्रस्तुत आंकड़े राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से बागान श्रमिक अधिनियम,1951 के अन्तर्गत प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदनों/विवरणियों पर आधारित हैं एवं बागान श्रमिकों का दैनिक औसत नियोजन दर्शाते हैं। आंकड़े केवल विवरणियां भेजने वाले बागानों/ईस्टेटों से सम्बन्धित हैं।

Table 1.2: Statistics furnished are based on the annual reports/returns received from States/Union Territories under the Plantations Labour Act, 1951 and the figures indicate average daily employment in Plantations. The employment data relate only to the plantations/estates submitted returns.

सारणी 1.3: इस सारणी में विभिन्न अधिनियमों के अर्न्तगत एकत्रित आंकडे प्रस्तुत किये गए हैं। ये आंकड़े परिवर्ती अनुक्रिया के कारण अपूर्ण हैं व तुलनात्मक नहीं हैं। यह सूचना विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्रित की गई है।

Table 1.3: The data collected under the various Acts are given in this table. The figures are not complete or comparable over time due to varying response rates from primary units from year to year. The information is submitted by various State Governments.

सारणी 1.4: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के संचालन का कार्य श्रम ब्यूरो को सौंपा गया। अब तक श्रम ब्यूरो द्वारा पांच वार्षिक रोजगार सर्वेक्षण आयोजित किये गए एवं रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। श्रम शिक्त की भागीदारी दर, कार्यशील जनसंख्या दर, और बेरोजगारी की दर का आकलन सामान्य प्राचार्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु वर्ग वाले व्यक्तियों के लिये सामान्य प्राचार्य स्थिति —दृष्टिकोण पर आधारित के लिए निकाली गई है।

Table 1.4: The ministry of Labour & Employment entrusted the task of conducting employment Unemployment surveys on annual basis to Labour Bureau. So far five annual employment surveys have been conducted by Labour Bureau and reports thereon released. Estimation of Labour Force Participation rate, Worker population rate, and Unemployment Rate are derived for persons aged 15 years and above based on Living Principal Status Approach.

based on Usual Principal Status Approach. सारणी 2.5 वैश्विक आर्थिक मंदी के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार आंकड़ों में परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस किया गया। रोजगार हानि के आंकड़ें संकित्त करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निर्यात ग्रहन और अन्य चयनित क्षेत्रों के उद्योग के बीच रोजगार में परिवर्तन के त्वरित अनुमान प्राप्त करने हेतु श्रम ब्यूरो को तिमाही आधार पर सर्वक्षण कार्य सींपा। पहला सर्वेक्षण किया गया तथा जनवरी 2009 में रिपीट जारी की गई। श्रम ब्यूरो द्वारा दिसंबर 2015 तक ऐसे 28 सर्वेक्षणों का आयोजन किया गया। इन सर्वेक्षणों का सैम्पल का आकार 8 सेक्टरों में लगभग 2000 इकाइयों तक ही सीमित था जो परिधान सिहत वस्त्र, धातु, ओटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, परिवहन, आईटी/बीपीओ, चमझा और हथकरघा/पावरत्नूम क्षेत्रों में केवल ग्यारह चुनिंदा राज्यों में किया गया और तब से श्रम ब्यूरो आठ चुने हुए क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और ठेका श्रमिकों, निर्यात और गैर निर्यात इकाइयों के रोजगार में परिवर्तन का आकलन करने के लिये त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण (क्यू ई एस) का आयोजन कर रहा है।

क्यू०ई०एस आंकडों की स्वीकार्यता और विशिष्टता पर विचार करते हुए श्रम ब्यूरो ने क्यू०ई०एस (नई श्रृंखला) को विस्तारित कवरेज के साथ बढ़ाते हुए शुरू

किया। क्यू०ई०एस की नई श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य गैर कृषि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था के आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास व रेस्टोरेंट और आईटी/बीपीओ जिनमे १० या उससे अधिक श्रिमिकों के लिये रोजगार के अनुमान प्रदान करना और पिछली तिमाहियों में रोजगार की स्थिति में आये सापेक्ष परिवर्तन को मापना है। त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण के भौगोलिक कवरेज को पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया है।

Table 1.5 Consequence of Global economic slowdown in Indian economy urged the requirement of change in employment data. In order to generate the job loss statistics, Ministry of Labour and Employment entrusted the task of getting quick estimates of change in employment among export intensive and other selected sectors of the industry on the basis of quarterly enterprises survey to Labour Bureau. The first survey was conducted and the report was released in January, 2009. 28 such surveys has been conducted by Labour Bureau till December, 2015. The sample size of these surveys was limited to around 2000 units in 8 sectors viz.Textile including apparels, Metals, Automobiles, Gem & Jewellery, Transport, IT/BPO, Leather and Handloom/Powerloom in eleven selected states only. Since then, Labour Bureau has been conducting Quarterly Employment Surveys (QES) to assess the change in employment of direct and contract workers, export and non export units in eight selected sectors.

Considerig the acceptability and uniqueness of QES data, Labour Bureau initiated QES (new series) with extended scope and coverage. The main objective of QES new series is to provide employment estimates for sizeable segment of Non-farm Industrial economy covering establishments in 8 sectors viz. Manufacturing, Construction, Trade, Transport, Education, Health, Accommodation & Restaurants and IT/BPO having 10 or more workers and to measure relative change in Employment situation over successive Quarters. The geographical coverage of the Quarterly Employment survey has been extended to the entire country.

2. मजदूरी एवं उपार्जन

2. Wages and Earnings

सारणी 2.1 और 2.2: मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 उद्योगों में नियुक्त कर्मकारों का मजदूरी का भुगतान नियमित करने, उन्हें मजदूरी के भुगतान में देरी का कारण और गैर कानूनी कटौतियों या न्याय असंगत देरी को दूर करने के तीव्र और प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया गया था। मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत 1982 में मजदूरी की उच्चतम सीमा 1,600/- रुपये निर्धारित की गई थी। यह सीमा दिनांक 9-11-2005 की अधिसूचना संख्यां 1577 के तहत 6,500/- रुप प्रतिमाह तक बढ़ाई गई थी तथा दिनांक 8-8-2007 की अधिसूचना 1380 के तहत 10,000/- रुप प्रतिमाह तक बढ़ाई गई थी और अधिसूचना एस औ 2260 (ई) दिनांक 11 सितम्बर 2012 के तहत 18000/- रुपये आगे बढ़ाई गई। 2013 व 2014 के आंकडें राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार संकलित किए गए हैं।

Tables 2.1 & 2.2: The Payment of Wages Act, 1936 was enacted to regulate payment of wages to workers employed in industries and to ensure a speedy and effective remedy to them against illegal deductions and /or unjustified delay caused in paying wages to them. The wage ceiling under Payment of Wages Act, 1936 was fixed at Rs.1,600/- p.m. in 1982. This limit was enhanced to Rs. 6,500/-p.m.vide notification No 1577 dated 9.11.2005 and further enhanced to Rs 10,000/- p.m. vide Notification No.1380 dated 8.8.2007. The wage ceiling has further been enhanced to Rs 18000/- vide notification No SO 2260(E) dated 11 $^{\rm th}$ September, 2012. The figures for 2013 and 2014 has been compiled as per National Industrial Classification 2008 .

सारणी 2.3: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 जहां श्रिमिक शोषण हेतु अतिसंवेदनशील है, ऐसे रोजगारो में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण / नियतकालिक संशोधन के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है। न्यूनतम मजदूरी पद्धति कर्मकारों के शोषण को दूर करने हेतु लाभकारी कार्य करती है, जहां अत्यधिक कम मजदूरी का भुगतान है और भिन्न भिन्न सामाजिक समुहों के निर्वाह स्तर में असमानताओं को कम

करने में सहायता करती है। इससे न्यूनतम मजदूरी दरों में वैधानिकता के द्वारा संशोधित करती है। यह गरीबी कम करने में सहायता करती है और घोर परिश्रम वाले उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी उपार्जकों की स्थिति में सुधार करती है।

Table 2.3 : The Minimum Wages Act, 1948 provides for fixation/periodic revision of minimum wages in employments where labour is vulnerable to exploitation. The minimum wages system serves a useful purpose in preventing workers' exploitation in terms of payment of unduly low wage and helps in reducing inequalities in the standard of living of different social groups of workers by statutorily prescribing minimum wage rates. This helps in reducing poverty and improving the position of low paid wage earners in the sweated industries.

3. मू ल्य

3. Prices

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अबिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार 2001=100 पर जनवरी, 2006 सूचकांक से जारी किया गया, जिसने आधार 1982=100 पर पहली श्रंखलाओं का स्थान लिया। नई श्रंखलाओं में कई सुधार किए गए, जैसे केन्द्रों की संख्या में 70 से 78 तक वृद्धि, बाजारों की संख्या में 226 से 289 तक वृद्धि तथा वस्तुओं में 328 से 392 तक वृद्धि। अन्य विवरण हेतु इंडियन लेबर जरनल के अप्रैल, 2006 के अंक का अवलोकन किया जाये।

सारणी 3.1 (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2001=100 आधार पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वार्षिक औसत तथा मासिक अखिल भारतीय सामान्य और खाद्य सूचकांक चित्रित करती है। सारणी 3.1 (ख) केन्द्रवार वार्षिक औसत तथा 1982 और 2001 शृंखलाओं के बीच सभी केन्द्रों (सामान्य) के योजक घटक चित्रित करती है।

All-India Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers on base: 2001=100 was introduced with effect from January, 2006 index, which replaced the earlier series on base: 1982=100. In the new series, various improvements were incorporated such as increase in the number of centres from 70 to 78, increase in number of markets from 226 to 289 and

increase in number of items from 328 to 392. For further details reference may be made to April, 2006 issue of the Indian Labour Journal.

Table 3.1(a) depicts annual average of All-India Consumer Price Index Numbers and month-wise All India General and Food index for Industrial Workers on base 2001=100. Tables 3.1 (b) depicts Centre-wise Annual Averages and Linking Factors of all centres (General) between 1982 and 2001 series.

सारणी 3.2: कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों हेतु 1986-87=100 आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को इस सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

Table 3.2: Consumer Price Index Numbers for Agricultural and Rural Labourers on base 1986-87=100 are presented in this table.

4. व्यवसाय संघ

4. Trade Unions

सारणी 4.1 तथा 4.2: ये आंकड़े व्यवसाय संघ अधिनियम,1926 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं विवरणियां भेजने वाले व्यवसाय संघों के हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। वर्ष-प्रतिवर्ष परिवर्तित अनुक्रिया के कारण इन आंकड़ों की परिधि भी अपूर्ण है।

Tables 4.1 & 4.2: The data refers to trade unions submitting returns and registered under the Trade Unions Act, 1926. The registration under the Act is not compulsory. The coverage of statistics is also incomplete due to varying response rate from year to year.

5. औद्योगिक विवाद

5. Industrial Disputes

सारणी 5.1 से 5.10: औद्योगिक विवादों के आंकड़े राजनीतिक अथवा सहानुभूतिपूर्ण हड़तालों को छोड़कर, कार्य स्थान में परिणत विवादों से सम्बन्धित हैं जिनमें, 10 या अधिक कर्मकार अन्तर्ग्रस्त हुए हों।

Tables 5.1 to 5.10: The figures on industrial disputes relate to disputes resulting in work-stoppages and involving 10 or more workers and are

exclusive of political or sympathetic strikes.

6. दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

6. Accidents, Safety and Absenteeism

सारणी 6.1: कारखानों में क्षतियों के आंकड़े दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के हैं। औद्योगिक दुर्घटनाओं से होने वाली केवल वही क्षतियां अंकित की जाती हैं, जिनके कारण क्षतिग्रस्त व्यक्ति 48 घण्टे या इससे अधिक अवधि के लिए अपने काम पर उपस्थित न हो सकें। ये आंकड़े केवल विवरणियां भेजने वाले कारखानों के हैं।

Table 6.1: Figures of injuries in factories relate to number of persons receiving injuries as a result of accidents in factories. Only those injuries resulting from industrial accidents by reasons due to which persons affected are prevented from attending to work for a period of 48 hours or more. The data relate to only factories submitting returns.

सारणी 6.2: सांख्यिकी एकत्रण अधिनियम, 1953 तथा 1959 में उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ए एस आई) सांविधिक रूप में संचालित किया जा रहा है। यह स्कीम 1961 में प्रचलित रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राष्टीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के द्वारा आंकडें एकत्रित किए जा रहे हैं। श्रम ब्यूरो श्रम भाग यानि वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसूची के भाग 1 के भाग 2 और ब्लाक इ के अन्तर्गत एकित्रत आंकडों का प्रसार करता है, जिसमें अनुपस्थिती, श्रमिक परिवर्तन, उपार्जन और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम लागत शामिल है। स्कीम (श्रम भाग) के उदेश्य हैं: - क) नियोजन, अनुपस्थिती, श्रमिक परिवर्तन, उपार्जन और विनिर्माण क्षेत्र में श्रम लागत को आधार पर विनिर्माण क्षेत्र में आंकडों का निर्माण करना; ख) श्रम लागत के कई घटकों जैसेकि श्रम क्षेत्र में मजदूरी/वेतन, बोनस, सामाजिक सुरक्षा और स्टाफ कल्याण पर सूचना का प्रसार और विश्लेषण करना।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का क्षेत्र पुरे देश की ओर अग्रसर होता है, जोिक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और लक्षद्वीप के संघ राज्य को छोड़कर है। सभी संस्थापनाएं, जो कारखाना अधिनियम, 1948 और बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की स्थितियां) के अन्तर्गत जो भाग 2 एम (i) और 2 एम (ii) में आती हैं, उन्हें वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में शमिल किया गया है। 1976-77 चक से वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

के अन्तर्गत आंकडें दो स्कीमों यानि (i) जनगणना क्षेत्र (ii) प्रतिदर्श क्षेत्र, के अन्तर्गत एकत्रित किए ज रहे हैं।

Table 6.2: The Annual survey of Industries (ASI) is being conducted statutorily under the Collection of Statistics Act, 1953 and the Rules framed there under in 1959. The scheme has been in operation since 1961. Under the Scheme, Data is being collected by NSSO. Labour Bureau is disseminating data collected under Labour Part i.e. Part II and

Block E of Part-I of ASI schedule, hich includes data on Absenteeism, Labour Turnover, Labour Employment and Labour Cost. The objectives of the Scheme (Labour Part) are:-(a) To build data base on Employment, Absenteeism, Labour Turnover, Earnings and Labour Cost in manufacturing sector; (b) To disseminate information and analyse various components of Labour Cost, such as wage / salary, Bonus, social security and Staff Welfare in this Sector.

The scope of the Annual Survey of Industries extends to entire country except the State of Arunachal Pradesh, Mizoram, Sikkim and Union territory of Lakshadweep. All establishments registered under Section 2m(i) and 2m(ii) of Factories Act, 1948 and Bidi & Cigar Workers (Conditions of employment) Act, 1966 are covered under ASI. From 1976-77 round, data under ASI is being collected under two Schemes viz (i) Census Sector (ii) Sample Sector.

7. सामाजिक सुरक्षा

7. Social Security

सारणी 7.1: ये आंकड़े कर्मचारी क्षतिपुर्ति अधिनयम, 1923 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति क्षतियों से सम्बन्धित हैं। अधिसूचित रोजगारों में उन कर्मकारों की क्षतिपूर्ति की जाती है जिनकी दर्घटनाओं से मृत्यु हो गई हो या जो तीन दिन से अधिक के लिए असमर्थ हो गये हों। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में हुई क्षतियों के लिए क्षतिपुर्ति का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत ही किया जाता है, कर्मचारी क्षतिपुर्ति अधिनियम के अन्तर्गत नहीं। इन आंकड़ों का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहा है। क्षतिपुर्ति की दरों में 18-01-2010

से बढोतरी की गई है।

Table 7.1: Data relate to compensated injuries under the Employees' Compensation Act, 1923. Compensation is payable to workers in scheduled employments in respect of accidents resulting in death or disablement for more than 3 days. Compensation in case of injuries in establishments covered by the Employees' State Insurance Act is paid under that Act and not under the Employees' Compensation Act. The geographical coverage of data has varied from year to year. The rates of compensation have been enhanced with effect from 18-01-2010.

सारणी 7.2: ये आंकड़े मातृत्व हितलाभ अधिनियम के अर्न्तगत प्राप्त होने वाली वार्षिक विवरिणयों पर आधारित हैं। जो प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के आवृत के अन्तर्गत आते हैं, उनमें प्रसूति लाभ का भुगतान इसी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है न कि मातृत्व हितलाभ अधिनियम के अन्तर्गत। इन आंकड़ों का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहा है।

Table 7.2: Data are based on annual returns under the Maternity Benefits Act. In establishments covered by the ESI Act, the maternity benefit is paid under that act and not under the Maternity Benefits Act. The geographical coverage of the figures has varied from year to year.

8. अन्तर्राष्ट्रीय तुलना

8. International Comparison

सारणी 8.1 से 8.5 : इन साारणियों के आंकडें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वैबसाइट से लिए गये हैं। पाठकों से निवेदन है कि परिसीमाओं, परिधि, सर्वेक्षण ढंग, वर्गीकरण एवं अन्य विवरण से सम्बन्धित टिप्पणियों के लिए आई०एल०ओ० की वैबसाइट (www.ilo.org) के प्रासंगिक खण्डों का अवलोकन करें।

Tables 8.1 to 8.5: The data in these tables have been taken from the website of the International Labour Organisation. For notes regarding limitations, coverage, survey methods, classifications and other details, the readers are requested to refer to the relevant sections of the website of the International Labour Organisation (www.ilo.org).

सारणि 1.1 से 1.2

सारणी में प्रस्तुत आंकड़ें भारत के महापंजीयक के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित है। 2011 जनगणना के अर्न्तगत 35 राज्य/ संघ शासित प्रदेश है। 2011 जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011, समय 0.00 को भारत की कुल जनसंख्या 1210.85 मिलियन है जिस में से 833.75 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या तथा 377.11 मिलियन शहरी जनसंख्या है।

Tables 1.1 to 1.2

Data furnished in Tables are based on the figures released by the Registrar General of India, Census 2011 covered 35 States/Union Territories. As per Census 2011, the total population of India at 0.00 hours on 1st March, 2011 is 1210.85 million. Of this the rural population is 833.75 million and the urban population is 377.11 सारणी 1.3

श्रम बल (लेबर फोर्स) :श्रम बल के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो 'कार्यरत'(या नियोजित) थे या 'काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध'(या बेरोजगार) थे

कामगार (या नियोजित): वे व्यक्ति कामगार माने गये जो किसी कार्यकलाप में लगे हो या जो किसी कार्यकलाप से सम्बद्ध होने के बावजूद रूग्णता, चोट या अन्य शारीरिक असमर्थता, खराब मौसम, उत्सव, सामाजिक या धार्मिक समारोह या अन्य आकस्मिक स्थिति जिसमें अस्थाई अनुपस्थिति आवश्यक हो, कारणों से अपने कार्य से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहे हों। पारिवारिक कृषि या गैर-कृषि आर्थिक कार्यकलापों के संचालन में सहयोग करने वाले अवैतनिक पारिवारिक सदस्य को भी कामगार माना गया।

काम की तलाश में या कार्य हेतु उपलब्ध (या बेरोजगार): जो व्यक्ति काम की कमी के कारण किसी कार्य में नहीं लग पाए परन्तु वे या तो रोजगार कार्यालय, मध्यस्थ, मित्रों या संबंधियों के द्वारा या भावी नियोजक को आवेदन देकर कार्य की खोज करते रहे या कार्य की वर्तमान शर्तों एवं पारिश्रमिक पर कार्य करने को

इच्छुक या उपलब्ध रहे हों। Table 1.3

Labour Force: Persons who were either 'working' (or employed) or 'seeking or available for work' (or unemployed) constituted the labour force.

Workers (or employed): Persons who were engaged in any economic activity or who despite their attachment to economic activity, abstained from work for reason of illness, injury or other physical disability, bad weather, festivals, social or religious functions or other contingencies necessitating temporary absence from work, constituted workers. Unpaid household members who assisted in the operation of an economic activity in the household farm or non-farm activities were also considered as workers.

Seeking or available for work (or unemployed): Persons who, owing to lack of work, had not worked but either sought work through employment exchanges, intermediaries, friends or relatives or by making applications to prospective employers or expressed their willingness or availability for work under the prevailing conditions of work and remuneration.

2. नियोजन

2. Employment

सारणी 2.1. सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजन में रेलों में नियोजन शामिल है, परन्तु विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले व्यक्ति तथा अंशकालिक कर्मकार इसमें शामिल नहीं हैं। सूचना न भेजने वाले प्रतिष्ठानों के लिये भी अनुमान लगाये गये है।

Table 2.1 : Employment in public sector includes employment in Railways but excludes the Indian Missions abroad and part-time workers. Estimates have also been made for defaulting establishments.

सारणी 2.2: ये आंकडें केवल खान अधिनियम, 1952 की परिधी के अन्तर्गत आने वाली खानों से संबंधित है। सामान्यत: ये आंकडें उन्हीं खानों से सम्बन्धित हैं जो अपनी वार्षिक विवरणियां भेजते है। नियोजित व्यक्तियों की संख्या एवं खानों तथा खदानों से सम्बन्धित अन्य विषयों की सूचना (विशेष तौर पर छूट प्राप्त विषयों को छोड़कर) खान अधिनियम, 1952 के नियम व विनियम के अन्तर्गत बनाये गए सांविधिक प्रावधानों के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय संग्रह करता है।

Table 2.2: The statistics relate only to mines covered under the Mines Act, 1952. The statistics generally relate to units furnishing their annual returns. Under the statutory provisions of the Mines act, 1952 and rules and regulations framed there under, the Directorate General of Mines Safety collects information regarding the number of persons employed and other matters relating to Mines and Quarries (except those especially exempted). सारणी 2.3 भारतीय रेलवे रोजगार में अनियत श्रमिकों के अतिरिक्त क्षेत्रीय रेलवे संरक्षण विशेष बल सहित उन सभी पदाधिकारियों को शामिल किया गया है जो प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को चालू लाईन पर सभी प्रकार के एवं क्षेत्रीय रेलवे के निर्माण कार्य में रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में तथा इसके अन्य संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों में काम कर रहे थे।

डाक विभाग और दूर संचार विभाग के नियोजन आंकड़े उन राजपत्रित अराजपत्रित तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों से सम्बन्धित है जो 31 मार्च को काम कर रहे थे।

बीमा में नियोजन के सम्बन्ध में भारतीय सामान्य बीमा सार्वजनिक क्षेत्र संघ तथा जीवन बीमा निगम के द्वारा सूचना प्रेषित की गई है।

बैंकों की सूचना अनुसूचित बैकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों और भारतीय रिजर्व बैंक में नियोजन से सम्बन्धित है ।

Table 2.3: Employment in Indian Railways includes all ranks as on 31st March each year on open line and construction on all zonal Railways and in the office of Railway Board and its attached and subordinate offices including Railway Protection Special Force but excluding casual labour.

Employment in Department of Posts and Telecommunication relates to gazetted, non-gazetted and extra Departmental Staff as on 31st March.

In respect of employment in Insurance the information has been furnished by the General Insurance Public Sector Association of India and Life Insurance Corporation.

The information on banks relates to employment on Scheduled Banks, Regional Rural Banks and Reserve Bank of India.

सारणी 2.4 : विभिन्न क्षेत्रों में नियोजन सूचकाकों के संकलन के लिए वांछित आंकड़े उपलब्ध न होने की स्थिति में यथासम्भव अनुमान लगाये गये हैं ।

Table 2.4: In compiling the indices of employment in different sectors, estimates for non-response have been made wherever possible.

3. रोजगार सेवा एवं प्रशिक्षण

3. Employment Service and Training

सारणी 3.1. से 3.3: ये आंकड़े उन रोजगार कार्यालयों, विश्वविद्यालय रोजगार-सूचना ब्यूरो की सेवाओं पर आधारित है जिनकी स्थापना नौकरी की तलाश करने वाले व्यक्तियों के नाम पंजीकृत करने एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए की गई है।

Tables 3.1 to 3.3: Statistics are based on the working of Employment Exchanges, University Employment Information Bureaux set up for registering people who are seeking employment and securing employment for them.

सारणी 3.4: आंकड़े शिल्पकारों के प्रशिक्षण के लिए शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में उपलब्ध सूचना पर आधरित है। शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

Table 3.4 : Statistics are based on information available in DGE&T for training craftsmen under the Craftsmen Training Scheme of the DGE&T, Ministry of Labour and Employment. Apprenticeship Training is also imparted under the Apprentices Act, 1961.

सारणी 3.5: महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान सुरक्षा अधिकारियों के लिए पांच श्रम संस्थानों में औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्ष के डिप्लोमा कोर्स और चिकित्सा अधिकारियों के लिए एसोसिएट फेलो आफ इन्डस्ट्रीयल हैल्थ पर तीन महीने के पाठयक्रम का केन्द्रीय श्रम संस्थान, मुम्बई एवं क्षेत्रिय श्रम संस्थान फरीदाबाद में आयोजन करता है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठानों के अनुरोध पर अपने विभिन्न विभागों एवं अन्य इकाइयों के द्वारा पांच श्रम संस्थानों और गोदी सुरक्षा निरीक्षणालयों में औद्योगिक सुरक्षा, स्वास्थ एवं पर्यावरण पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है।

Table 3.5: The Directorate General Factory Advice Service and Labour Institutes conduct one year Diploma Course in Industrial Safety at five Labour Institutes for Safety Officers and 3 months Certificate course of Associate Fellow of Industrial Health at Central Labour Institute, Mumbai and Regional Labour Institute, Faridabad for Medical Officers. Besides this, it also conducts regularly training programmes on Industrial Safety, Health and Environment through its various divisions

and other related disciplines at the five Labour Institutes and Dock Safety Inspectorates on requests from establishments.

सारणी 3.6 : दत्तोपन्त थेन्गाडी राष्ट्रीय केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा व विकास बोर्ड (भूतपुर्व सी० बी० डब्ल्यू ई) के पास क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय निदेशालयों का एक नेटवर्क है, जिसमें संगठित, असंगठित, ग्रामीण, लघुमान और अनौपचारिक क्षेत्रों के कर्मकारों के लिए यूनिट/ग्राम स्तर के कर्मकार शिक्षा हेतु कार्यक्रम किए जाते हैं।

भारतीय कर्मेंकार शिक्षा संस्थान, मुम्बई जो एक श्रीषस्थ प्रशिक्षण संस्थान है बोर्ड के अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम और राष्ट्रीय महासंघों पर कार्यक्रम संचालित करता है। यह बोर्ड ग्रामीण जागृति कैम्प भी संचालित करता है, जिनमें भूमिहीन श्रमिक, जनजाति श्रमिक इत्यादि भाग लेते हैं। पंजीकृत व्यावसाय संघों और अन्य संस्थानों हेतु उनके अपने कर्मकार कार्यक्रमों के लिए बोर्ड सहायक अनुदान भी प्रदान करता है।

Table 3.6: The Dattopant Thengadi National Board for Workers Education & Development (erstwhile CBWE) has a network of Regional and Sub-Regional Directorates to undertake Workers Education Programmes at regional and unit/village level for workers in the organised, unorganised, rural, small scale and informal sectors. The Indian Institute of Workers Education, Mumbai an apex-Training Institute conduct national level training programmes and National Federations besides the training programmes for the Board's officers / officials. The Board also conducts Rural Awareness Camps being attended by landless labour, tribal labour etc. The Board provides grants in aid to registered Trade Unions and other institutions for conducting their own Worker's Programmes.

- 4. मजदूरी एवं उपार्जन
- 4. Wages and Earnings

सारणी 4.1 एवं 4.2: कोयला खानों में उपार्जन के आंकड़े प्रति व्यक्ति साप्ताहिक उपार्जन से संबंधित हैं तथा मासिक आधार पर उपलब्ध हैं। उपार्जन आंकड़े दिसम्बर माह में पूरे एक सप्ताह के हैं। धन उपार्जन सूचकांक का संकलन लास्पेयर सूत्र द्वारा किया जाता है।

Table 4.1 & 4.2 : The statistics of earnings in coal mines relate to per capita weekly earnings and are available on monthly basis. The earning figures relate to one complete week during the month of December. Index of money earnings is compiled by Laspeyer's formula.

5. दुर्घटनाएं, सुरक्षा एवं अनुपस्थिति

5. Accidents, Safety and Absenteeism

सारणी 5.1: रेलवे में होने वाली क्षतियों के आंकडों में भारतीय रेल कार्य से सम्बन्धित रेल-गाडियां एवं रेल-वाहनों के चलने के कारण और कर्मशालाओं में होने वाली क्षतियों की घटनाएं शामिल हैं। रेलवे कर्मचारी को उस समय क्षतिग्रस्त समझा जाता है, जब उसके कारण वह दुर्घटना होने के समय से अगले 48 घण्टों के दौरान काम पर आने में असमर्थ हो ।

Table 5.1: The figures of injuries on Indian Railways are inclusive of those due to movement of trains and railway vehicles connected with railway working and in railway workshops. A railway employee is considered as injured when, because of that, he is prevented from attending to work during the next 48 hours after the occurrence of the accident

सारणी 5.2: यह सारणी गम्भीर रुप से घायल व्यक्तियों और संघातको की संख्या दर्शाती है। गम्भीर शारीरिक क्षति को उसे माना जाता है जिसमें किसी भाग की स्थायी

हानि अथवा शरीर के किसी खण्ड की या शरीर के किसी भाग अथवा खण्ड के उपयोग अथवा उसकी स्थायी क्षति या असमर्थता अथवा किसी हड्डी का टूटना अथवा हडिडओं के एक या अधिक जोडों या हाथ या पैर की उंगलियों के पोरों की हड्डियों का टूटना अथवा सर्व सम्पन्न समग्र रुप की संभाव्यता में सम्मिलित होंगें। संघातिक दुर्घटना वह होती हैं जिनमें कम से कम एक मृत्यु (संघातिकता) शामिल हो।

Table 5.2: This table presents number of fatalities and number of persons seriously injured. A serious injury is taken as one which involves or in all probability will involve, the permanent loss of any part or section of a body or the use of any part or section of a body, or the permanent loss of or incapacity or the fracture of any bone or one or more joints of bones or any phalanges of hand or foot. Fatal accidents are those in which at least one death (fatality) is involved.

सारणी 5.3 और 5.4: डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) विनियम,1990 के विनियम,91 के अनुसार 'प्रतिवेदन' योग्य दुर्घटना डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम,1986 के अर्न्तगत वह है जिसमें या तो डॉक कर्मकार की मृत्यु हो जाए अथवा दुर्घटना से अगले 48 घण्टों के लिए वह अपने रोजगार का कार्य करने योग्य न रहे और जिसके लिए डॉक कर्मकारों के नियोजकों के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भर कर निरीक्षक को नोटिस दिया जाना है।

यह अधिनयम और विनयम भारत के सभी मुख्य पत्तनों जैसे मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, जवाहरलाल नेहरु पत्तन, कांडला, इन्नौर, चैन्नई, मोरमुगाओ, न्यू मेंगलौर, पारादीप, तूतीकोरन और विशाखापटनम पर लागू होते हैं और ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशालय, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान के द्वारा ग्यारह पत्तनों पर स्थापित डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों के माध्यम से प्रशासित किए जाते हैं। महा निदेशक डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों के मुख्य निरीक्षक भी हैं।

इन्नौर निरिक्षणालय अभी स्थापित नहीं हुआ है। तथापि इन्नौर पत्तन के प्रवर्तन का संचालन डॉक सुरक्षा निरीक्षणालय, चैन्नई से किया जा रहा है।

Tables 5.3 & 5.4 : A 'reportable' accident according to Regulation 91 of the Dock Workers' (Safety, Health & Welfare) Regulation, 1990 framed under the Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986, is one which either causes loss of life to a dock worker or disables him from work on which he is employed for more than 48 hours following the accident and for which notice is to be given to the inspector in a prescribed form by the employers of the dock workers.

These Acts and the Regulations apply to all major ports of India i.e. Mumbai, Kolkata, Cochin, Jawaharlal Nehru Port, Kandla, Ennore, Chennai, Mormugao, New Mangalore, Paradip, Tuticorin and Vishakapatanam and are administered by the Directorate General Factory Advice Service & Labour Institutes, Ministry of Labour and Employment, Government of India through the Inspectorates Dock Safety set up at the eleven major ports. The Director General DGFASLI is also the Chief Inspector of Dock Safety.

The Inspectorate at Ennore is yet to be set up. However, the enforcement at Ennore port is administered by Inspectorates Dock Safety, Chennai.

6. सामाजिक सुरक्षा

6. Social Security

सारणी 6.1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 शक्ति से चलने वाले उन गैर-मौसमी कारखानों, जिन में 10 या अधिक कर्मचारी और शक्ति से न चलने वाले उन कारखानों जिनमें 20 या अधिक कर्मचारी नियुक्त है, में लागू होता है।

अधिनियम में एक योग्य व्यवस्था है, जिसके अर्न्तगत 'उपयुक्त सरकार' अधिनियम की व्यवस्था अन्य श्रेणिओं की संस्थापनाओं-औद्योगिक, व्यापारिक, कृषिय एवं अन्य हेतु भी विस्तृत कर सकती है। इन व्यवस्थाओं के अर्न्तगत बहुत सी राज्य सरकारों ने इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को संस्थापनाओं की नई श्रैणिओं, दुकानों, होटलों, रेस्तराओं, सिनेमा तथा थिएटरों, सडक मोटर परिवहन उद्यमों और समाचार पत्र संस्थापनाओं, जिनमें 10 नियोजित अथवा अधिक कर्मकार हैं, में लागू किया गया है।

ई० एस० आई० स्कीम को शैक्षणिक संस्थाओं में भी लागू किया गया है एवं कुछ राज्यों द्वारा इससे संबंधित विज्ञप्तियां भी जारी की है। उन कारखानों∕संस्थापनाओं के कर्मकार जिनकी मजदूरी 15,000 रु प्रतिमाह (01-05-2010 से प्रभावी) से अधिक नहीं हैं, उन्हें इस अधिनियम के अर्त्तगत शामिल किया गया है। तथापि मजदूरी की सीमा को 15000/- से 21000/- दिनांक 01-01-2017 से लागू कर दी गई है।

Table 6.1: The Employees' State Insurance Act, 1948 applies to non-seasonal power using factories employing 10 or more persons and non-power using factories employing 20 or more coverable employees for wages.

The Act contains an enabling provision under which the 'appropriate government' is empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments – industrial, commercial, agricultural or otherwise. Under these provisions most of the State Govts. have extended the provisions of the Act to new classes of establishments namely shops, hotels, restaurants, cinemas including preview theatres, road motor transport undertakings and newspaper establishments employing 10 or more coverable employees.

The ESI Scheme has also been extended to Educational institutions and some of the States have already issued the notification in this regard. The employees of these factories/ establishments whose wages do not exceed Rs. 15,000 per month (w.e.f. 01-05-2010) are covered under the Act. Further the proposal for increasing the wage ceiling from Rs 15000/- to Rs 21000/- has been implemented w.e.f. 01-01-2017

सारणी 6.2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दुनिया का एक सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा प्रदाता है और कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को प्रशासित करता है। यह अधिनियम 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले परिभाषित वर्ग के उद्योगों पर लागू होता है। ईपीएफओ द्वारा तीन योजनायें कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पंशान और कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा चलाई जा रही है। इस के अर्न्तगत आने वाले प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों जो 15,000 रुपये प्रति माह (,01-09-2014 से) तक मजदूरी प्राप्त कर रहे है के लिये कानून के तहत दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक हैं। भविष्य निधि परिभाषित योगदान योजना पर आधारित है जहां कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनो अनिवार्य रुप से अपने अंश योगदान करते है।

परिभाषित योगदान और परिभाषित लाभ का एक मिश्रण पेंशन योजना बनाता है। कर्मचारियों को इस योजना के लिए योगदान करने की जरूरत नहीं है। बीमा योजना एक जमा से जुड़ी योजना है जो कि कर्मचारियों से किसी भी योगदान के बिना 6,00,000 रुपये (24-05-2016 से) तक का लाभ प्रदान करता है।

नियोक्ता और कर्मचारीं दोनों अंशदायी खातों में मजदूरी का 12% योगदान करते हैं। इसके अलावा, नियोक्ताओं को अधिनियम के तहत इस योजना के प्रशासन की दिशा में भी योगदान करना होता है। प्रतिष्ठानों के कुछ वर्ग के लिए योगदान की दर 10% है।

Table 6.2: The Employee's Provident Fund Organisation is one of the world's largest social security providers and administers the Employee's Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952. The Act applies to defined class of industries employing 20 or more employees. Three schemes run by EPFO are Employees' Provident Fund Scheme, Employees Pension, and Employee Deposit linked insurance. The covered establishments are required to statutorily comply in respect of all their employees drawing wages up to Rs 15,000 per month (w.e.f. 01-09-2014). Provident fund is based on defined contribution scheme where both the employees and the employer contribute their mandate share.

A mix of defined contribution and defined benefit forms the pension scheme. The employees do not have to contribute to this scheme . Insurance scheme is a deposit linked scheme that provides for benefits up to Rs 6,00,000/- w.e.f. 24-05-2016 without any contribution from employees.

The employers and employees both contribute @ 12% of wages to the contributory accounts. Further, the employers also contribute towards administration of the scheme under the Act. The rate of contribution for certain category of establishments is 10%

सारणी 6.3 से 6.7: अभ्रक, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूनापत्थर और डोलोमाइट खानों, बीड़ी और सिनेमा उद्योगों में नियोजित कर्मकारों के लिए कल्याण सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु श्रम कल्याण निधिआं सृजित की गई है। उत्पादन अथवा खपत अथवा खनिजों के निर्यात, रुपक फिल्मों के उत्पादन और निर्मित बीडियों पर उपकर की उगाही के द्वारा निधिआं सृजित की गई हैं। 1-4-2016 से खान एवं सिनेमा उद्योगों पर उपस्कर समाप्त कर दिया गया है।

Tables 6.3 to 6.7: Labour Welfare funds are created to provide welfare facilities to the workers employed in Mica, Iron Ore, Manganese Ore, Chrome Ore, Limestone and Dolomite mines, Beedi and Cine Industry.

The funds have been created by levy of cess on production or consumption or export of the minerals, production of feature films and manufactured beedis. Since 01-04-2016, cess on the mines and cine industry were abolished.

सारणी 6.8: कोयला खानों या उनसे संबद्ध कार्य में प्रत्यक्ष रूप में या ठेकेदारों द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी के लिए चाहे उसकी मजदूरी की प्रमात्रा कुछ भी हो, कोयला खान भविष्य निधि का सदस्य बनाना आवश्यक है, यदि उसने कोयला खान में नियोजित होने की तारीख से 30 दिन की उपस्थिति पूरी कर ली हो। अनिवार्य अंशदान की दर कुल परिलब्धियों का 12 प्रतिशत है। कर्मचारियों के अनिवार्य अंशदान की कुल राशि के बराबर अंशदान देना नियोजकों के लिए भी आवश्यक है। यदि सदस्य चाहें तो वे अनिवार्य अंशदान के अतिरिक्त स्वैच्छिक अंशदान के रूप में अधिकतम 12 प्रतिशत का और अधिक अंशदान कर सकते हैं।

कोयला खान पारिवारिक पैंशन स्कीम 1971 का परिचालन बन्द हो गया है और इसकी जगह नई कोयला खान पैंशन स्कीम 1998 को 31 मार्च, 1998 से लागू कर दिया गया है।

Table 6.8: Every employee in or connection with Coal Mines, whether employed directly or through contractors, is required to become a member of the Coal Mines Provident Fund Scheme on putting 30 days regular attendance from the date he is employed in a Coal Mine irrespective of the quantum of his wages. The rate of compulsory contribution is 12% of the total emoluments. Employers are required to contribute an amount equal to the compulsory contribution of the employees. Members, if so desire, may make further contributions maximum of 12% as voluntary contribution in addition to the compulsory contributions.

The Coal Mines Family Pension Scheme, 1971 has ceased to operate and has been replaced by the new Coal Mines Pension Scheme, 1998 which has come into force with effect from the 31st day of March, 1998.

अनुबन्ध ANNEXURE

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक) National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level) सारणीय वर्गीकरण एवं श्रेणी Classification Tabulation Category and Division कृषि, वन विद्या तथा मछली पकड़ना क A Agriculture, forestry and fishing 01 फसल तथा पशु उत्पादन, आखेट तथा Crop and animal production, संबंधित सेवा क्रियाकलाप hunting and related service activities 011 गैर बारहमासी फसलों की पैदावार Growing of non-perennial crops बारहमासी फसलों की पैदावार 012 Growing of perennial crops पौध प्रवर्धन 013 Plant propagation 014 पश् उत्पादन Animal Production 015 मिश्रित खेती Mixed farming कृषि तथा फसल कटाई के बाद के 016 Support activities to agriculture कार्यकलापों की सहायक गतिविधियां and post-harvest crop activities आखेट, ट्रैपिंग संबंधित गतिविधियां 017 Hunting, trapping and related service activities 02 वन विद्या तथा लॉगिंग Forestry and logging 021 सिलवीकलचर और Silviculture and other forest गतिविधियां activities 022 लकडी काटना Logging Gathering of non-wood forest 023 गैर लकडी वन उत्पादों को इकठ्ठा करना products वानिकी के लिए सहायक सेवायें 024 Support services to forestry मछली पकडना तथा जल संवर्धन 03 Fishing and Aquaculture 031 मछली पकडना Fishing

Aquaculture

Mining and quarrying

Mining of coal and lignite

032

ख **B** 05 जलकृषि

खनन तथा उत्खनन

कोयला तथा लिग्नाइट खनन

	National industrial Classification (
1		2
051	पत्थर के कोयले का खनन	Mining of Hard coal
052	लिग्नाइट खनन	Mining of lignite
06	कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस निकालना	Extraction of crude petroleum and
		natural gas
061	कच्चे तेल का अवतरण	Extraction of crude petroleum
062	प्राकृतिक गैस का अवतरण	Extraction of natural gas
07	धातु अयस्कों का खनन	Mining of metal ores
071	लौह अयस्कों का खनन	Mining of iron ores
072	गैर लौह धातु अयस्कों का खनन	Mining of non-ferrous metal ores
08	अन्य खनन एवं उत्खनन	Other mining and quarrying
081	पत्थर, रेत और मिटटी का उत्खनन	Quarrying of stone, sand and clay
089	खनन एवं उत्खनन क०औ०व०न०	Mining and quarrying n.e.c.
09	खनन सहायक सेवा क्रियाकलाप	Mining support service activities
091	पैटोलियम एवं प्राकृतिक गैस के खनन	Support activities for petroleum
	के लिए सहायक गतिविधियां	and natural gas mining
099	अन्य खनन एवं उत्खनन के लिए	Support activities for other
	सहायक गतिविधियां	mining and quarrying
πС	विनिर्माण	Manufacturing
10	खाद्य उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of food products
101	मांस का परिरक्षण एवं संसाधन	Processing and preserving of
	0 20 2	meat
102	मछली, कसटेशियनस व मौलस्क का परिरक्षण एवं संसाधन	Processing and preserving of fish, crustaceans and molluses
103	पाररक्षण एवं सहायन फल एवं सब्जियों का संसाधन एवं	Processing and preserving of fruit
103	परिरक्षण	and vegetables
104	वसा तथा सब्जियों व पशु तेल का	Manufacture of vegetable and
	विनिर्माण	animal oils and fats

	National industrial Classification (1	
1		2
105	दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of dairy products
106	अनाज स्टार्च एवं स्टार्च संबंधी विनिर्माण	Manufacture of grain mill
		products, starches and starch
107	अन्य खाद्य पदार्थ विनिर्माण	products Manufacture of other food
107	अन्य खाद्य पदाय विश्वमाण	products
108	तैयार पशु आहार का विनिर्माण	Manufacture of prepared animal
	9	feeds
11	पेय पदार्थ विनिर्माण	Manufacture of beverages
110	पेय पदार्थ उत्पादन	Manufacture of beverages
12	तम्बाकू उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of tobacco products
120	तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन	Manufacture of tobacco products
13	वस्त्र विनिर्माण	Manufacture of textiles
131	बुनाई कताई एवं कपड़ा तैयार करना	Spinning, weaving and finishing
		of textiles
139	अन्य कपड़ा विनिर्माण	Manufacture of other textiles
14	परिधान विनिर्माण	Manufacture of wearing apparel
141	फर परिधान छोडकर अन्य परिधान विनिर्माण	Manufacture of wearing apparel, except fur apparel
142	फर से बने उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of articles of fur
143	बुनाई व क्रोशिए से बने परिधानों का	Manufacture of knitted and
173	विनिर्माण	crocheted apparel
15	चमडा तथा संबंधित उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of leather and related
	•	products

1		2
151	चमडा टैनिंग तथा ड्रैसिंग व चमडा परिधान, हैंडबैग जीनसाजी तथा साज आदि का विनिर्माण	Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harness; dressing and dyeing of fur
152	जूतों का विनिर्माण	Manufacture of footwear
16	फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी तथा कार्क उत्पादों का विनिर्माण स्ट्रा की वस्तुओं तथा प्लेटिंग सामग्री का विनिर्माण	Manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
161	आरा मिल व लकड़ी को रंदा मारना	Saw milling and planning of wood
162	लकडी के उत्पाद कार्क, स्ट्रा और पटि्टका सामग्री का विनिर्माण	Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials
17	कागज़ तथा कागज़ उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of paper and paper products
170	कागज तथा कागज से बने विनिर्माण	Manufacture of paper and paper products
18	अभिलिखित मीडिया मुद्रण एवं पुनरुत्पादन	Printing and reproduction of recorded media
181	छपाई तथा छपाई संबंधित अन्य गतिविधियां	Printing and service activities related to printing
182	रिकार्डिड मीडिया का पुन: विनिर्माण	Reproduction of recorded media
19	कोक तथा परिष्कृत पैट्रोलियम उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of coke and refined petroleum products
191	कोक ओवन उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of coke oven products

1		2
192	परिष्कृत पैट्रोलियम विनिर्माण	Manufacture of refined petroleum
.,_		products
20	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of chemicals and
		chemical products
201	मूल रासायन उत्पादन, उर्वरक एवं	Manufacture of basic chemicals,
	नाईटोजन मिश्रण, प्लास्टिक तथा	fertilizer and nitrogen
	रासयनिक रबर का मूल रुप में	compounds, plastics and synthetic
	विनिर्माण	rubber in primary forms
202	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	Manufacture of other chemical
202	मानव निर्मित रेशों का विनिर्माण	products
203		Manufacture of man-made fibres
21	औषध, औषधीय रसायन तथा	Manufacture of pharmaceuticals,
	वानस्पतिक उत्पाद विनिर्माण	medicinal chemical and botanical
210	औषध, औषधीय रसायन तथा वनस्पतिक	products Manufacture of pharmaceuticals,
210	जल्य, जालवाय रसायन स्वा यनस्यासक जन्माद विनिर्माण	medicinal chemical and botanical
	SC 14 141 1414	products
22	रबड तथा प्लास्टिक उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of rubber and plastics
		products
221	रबड निर्मित वस्तुओं का विनिर्माण	Manufacture of rubber products
222	प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का विनिर्माण	Manufacture of plastics products
23	अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of other non-metallic
		mineral products
231	शीशा एवं शीशा निर्मित वस्तुओं का	Manufacture of glass and glass
	विनिर्माण	products
239	अन्य गैर धातु खनिजों का उत्पादन	Manufacture of non-metallic
	क०औ०व०न०	mineral products n.e.c.
24	मूल धातु विनिर्माण	Manufacture of basic metals

	National Industrial Classification (
1		2
241	मूल लोहा एवं स्टील का विनिर्माण	Manufacture of basic iron and steel
242	मूल बहुमूल्य तथा गैर लौह धातुओं का विनिर्माण	Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals
243	धातुओं की ढलाई	Casting of metals
25	मशीनरी तथा उपकरणों को छोड़कर फैब्रिकेटिड धातु उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
251	ढांचागत धातु उत्पाद, टेंक, हौज तथा भाप जेनरेटर का विनिर्माण	Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and steam generators
252	हथियार एवं गोला बारुद का विनिर्माण	Manufacture of weapons and ammunition
259	अन्य फैबरिकेटिङ धातु विनिर्माण तथा संबंधित सेवा गतिविधियां	Manufacture of other fabricated metal products; metalworking service activities
26	कंप्यूटर, इलैक्ट्रानिक तथा आप्टीकल उत्पाद विनिर्माण	Manufacture of computer, electronic and optical products
261	इलैक्टानिक कलपुर्जो का विनिर्माण	Manufacture of electronic components
262	कम्पयूटर एवं संबंधित यंत्रों का विनिमीण	Manufacture of computers and peripheral equipment
263	दूरसंचार यंत्रों का उत्पादन	Manufacture of communication equipment
264	उपभोक्ता इलैक्टानिक का उत्पादन	Manufacture of consumer electronics
265	घड़ियां तथा दीवार घड़िआं, माप, परिक्षण, संचालन एवं नियन्त्रण उपकरण का विनिर्माण	Manufacture of measuring, testing, navigating and control equipment; watches and clocks

	National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)
1		2
266	प्रदीप्त, विद्युत औषधिय तथा विद्युत आरोग्यकर यंत्रों का विनिर्माण	Manufacture of irradiation, electro medical and
		electrotherapeutic equipment
267	दृष्टि यंत्रों एवं उपकरण का विनिर्माण	Manufacture of optical
260		instruments and equipment
268	चुम्बकीय एवं दृष्टि संबंधी मिडिया का विनिर्माण	Manufacture of magnetic and optical media
27	विद्युत उपकरण विनिर्माण	Manufacture of electrical
21	1490 3 1477 141 1411	equipment
271	बिजली की मोटरें, जनरेटरों तथा	Manufacture of electric motors,
	ट्रांसफारमरों बिजली वितरण व नियंत्रण	generators, transformers and
	यंत्रों का विनिर्माण	electricity distribution and control
272	बैटरी सैल तथा संचायक का विनिर्माण	apparatus Manufacture of batteries and
212	पटरा राता राजा राजानम् नम् ।जानानाना	accumulators
273	विजली के तार तथा तार यन्त्र का	Manufacture of wiring and wiring
	विनिर्माण	devices
274	विद्युत रोशनी संबंधित यंत्रो का विनिर्माण	Manufacture of electric lighting
275	घरेलू यंत्र विनिर्माण	equipment Manufacture of domestic
213	वरतू यत्र ।वानमाण	appliances
279	अन्य विद्युत उपकरणों का विनिर्माण	Manufacture of other electrical
		equipment
28	मशीनरी तथा उपकरण विनिर्माण	Manufacture of machinery and
• • • •	क०औ०व०न०	equipment n.e.c.
281	सामान्य प्रयोजन मशीनरी का विनिर्माण	Manufacture of general purpose
282	विशेष प्रयोजन मशीनरी का विनिर्माण	machinery Manufacture of special-purpose
202		machinery
		•

1	National industrial Classification (2
29	मोटर वाहन, ट्रेलर तथा सैमी ट्रेलर विनिर्माण	Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
291	मोटर वाहन विनिर्माण	Manufacture of motor vehicles
292	मोटर वाहनों की बाडी ;कोच कार्यद्ध का विनिर्माण ट्रैलर व सैमी ट्रैलर का विनिर्माण	Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi- trailers
293	मोटर वाहनों के कलपुर्जी का विनिर्माण	Manufacture of parts and accessories for motor vehicles
30	अन्य परिवहन उपकरण विनिर्माण	Manufacture of other transport equipment
301	समुद्री जहाजों व नावों का विनिर्माण	Building of ships and boats
302	रेलवे लोकोमोटिव एवं रोलिंग स्टाक विनिर्माण	Manufacture of railway locomotives and rolling stock
303	हवाई जहाज व अंतरिक्ष यानों का एवं संबंधित मशीनरी का विनिमीण	Manufacture of air and spacecraft and related machinery
304	हथियार और गोलाबारुद का विनिर्माण	Manufacture of weapons and ammunition
309	यातायात संबंधी उपकरणों का विनिर्माण क०औ०व०न०	Manufacture of transport equipment n.e.c.
31	फर्नीचर विनिर्माण	Manufacture of furniture
310	फर्नीचर विनिर्माण	Manufacture of furniture
32	अन्य विनिर्माण	Other manufacturing
321	आभूषण, बिज्यूटरी तथा संबंधित वस्तुओं का विनिर्माण	Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles
322	वाद्ययंत्रों का विनिर्माण	Manufacture of musical instruments
323	खेलकूद संबंधी सामान का विनिमीण	Manufacture of sports goods

1	ivational industrial Classification (2
324	खिलौना एवं खेलों का विनिर्माण	Manufacture of games and toys
325	आर्यूविज्ञान एवं दन्त चिकित्सा औजारों	Manufacture of medical and
	का विनिर्माण एवं आपूर्ति	dental instruments and supplies
329	अन्य विनिर्माण क०औ०व०न०	Other manufacturing n.e.c.
33	मशीनरी तथा उपकरणों की मरम्मत	Repair and installation of
	तथा स्थापना	machinery and equipment
331	फैबरिकेटिड धातु उत्पादों, मशीनरी तथा	Repair of fabricated metal
	उपकरण की मरम्मत	products, machinery and
	226 0 0 1 2 0	equipment
332	औद्योगिक मशीनरी एवं उपकरणें की	Installation of industrial
	स्थापना	machinery and equipment
घ D	विद्युत्त, गैस, भाप तथा वातानुकूलन	Electricity, gas, steam and air
	आपूर्ति	conditioning supply
35	विद्युत, गैस, भाप तथा वातानुकूलन	Electricity, gas, steam and air
	आपूर्ति	conditioning supply
351	विद्युत शक्ति उत्पादन, संचारण तथा	Electric power generation,
	वितरण	transmission and distribution
352	घरेलू फार्म द्वारा गैस निर्माण, गैसीय	Manufacture of gas; distribution
252	ईंधन का वितरण	of gaseous fuels through mains
353	भाप तथा वातानुकुल आपूर्ती	Steam and air conditioning supply
ਵ. E	जल आपूर्ति मल जल निकासी,	Water supply; sewerage, waste
	अपिशास्ट प्रबन्धन तथा उपाय	management and remediation
	गतिविधियां	activities
36	जल संग्रहण, अभिक्रिया तथा आपूर्ति	Water collection, treatment and
260		supply
360	जल संग्रहण, उचपार तथा वितरण	Water collection, treatment and
27	मल निकासी	supply
37	मल ।नकासा	Sewerage

	National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 3 digit level)
1		2
370	मल निकासी	Sewerage
38	अपशिष्ट संग्रहण, अभिकिया तथा	Waste collection, treatment and
	निपटान कार्य ; सामग्री की पुन: प्राप्ति	disposal activities; materials
		recovery
381	अपशिष्ट संग्रह	Waste collection
382	अपशिष्ट उपचार और निपटान	Waste treatment and disposal
383	सामग्री वसूली	Materials recovery
39	उपाय गतिविधियां तथा अन्य अपशिष्ट	Remediation activities and other
	प्रबन्धन सेवाएं	waste management services
390	उपचार गतिविधियां तथा अन्य अपशिष्ट	Remediation activities and other
_	प्रबंधन सेवायें	waste management services
ਚ F	निर्माण	Construction
41	भवन निर्माण	Construction of buildings
410	भवनों का निर्माण	Construction of buildings
42	सिविल इंजीनियरिंग	Civil engineering
421	रेलवे एवं सडकों का निर्माण	Construction of roads and
		railways
422	उपयोगी परियोजनाओं का निर्माण	Construction of utility projects
429	अन्य सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं	Construction of other civil
	का विनिर्माण	engineering projects
43	विशेषीकृत निर्माण गतिविधियां	Specialized construction activities
431	विध्वंस और साईट की तैयारी	Demolition and site preparation
432	बिजली पाइपलाइन और अन्य निर्माण	Electrical, plumbing and other
	स्थापना गतिविधियां	construction installation activities
433	भवनों को पुरा करना एवं परिष्करण	Building completion and finishing
	करना	

1	,	2
439	अन्य विशेषीकृत निर्माण गतिविधियां	Other specialized construction activities
छ G	थोक तथा खुदरा व्यापार मोटर वाहनों	Wholesale and retail trade;
	तथा मोटर साइकिलों की मरम्मत	repair of motor vehicles and
		motorcycles
45	थोक तथा खुद्रा व्यापार एवं मोटर	Wholesale and retail trade and
	वाहनों तथा मोटर साइकिलों की मरम्मत	repair of motor vehicles and motorcycles
451	मोटर वाहनों की बिक्री	Sale of motor vehicles
452	मोटर वाहनों का रखरखाव एवं मरम्मत	Maintenance and repair of motor vehicles
453	मोटर वाहन कल पुर्जे एवं अतिरिक्त	Sale of motor vehicle parts and
	सामान की बिक्री	accessories
454	मोटर साइकिल एवं संबंधित कल पुर्जे	Sale maintenance and repair of
	तथा अतिरिक्त सामानों की मरम्मत, रख रखाव एवं बिक्री	motorcycles and related parts and accessories
46	मोटर वाहनों तथा मोटर साइकिलों को	Wholesale trade, except of motor
	छोड़कर थोक व्यापार	vehicles and motorcycles
461	अनुबंध या भुल्क कें आधार पर थोक	Wholesale on a fee or contract
	बिक्री	basis
462	कृषिगत कच्चेमाल एवं जीवित पशुओं की	Wholesale of agricultural raw
	थोक बिक्री	material and live animals
463	खाद्य पेय एवं तम्बाकू की थोक बिक्री	Wholesale of food, beverages and
161		tobacco
464	घरेलु सामान की थोक बिक्री	Wholesale of household goods
465	मशीनरी , उपकरण और आपूर्ति की	Wholesale of machinery,
166	थोक बिक्री	equipment and supplies
466	अन्य विशेषीकृत थोक बिकी	Other specialized wholesale

1		2
469	गैर विशेषीकृत थोक व्यापार	Non specialized wholesale trade
47	मोटरवाहनों तथा मोटर साइकिलों को	Retail trade, except of motor
	छोड़कर खुदरा व्यापार	vehicles and motorcycles
471	गैर विशेषीकृत दुकानों में खुदरा बिक्री	Retail sale in non specialized stores
472	विशेषीकृत दुकानों में खाद्य, पेय एवं तम्बाकू की बिक्री	Retail sale of food, beverages and tobacco in specialized stores
473	विशेषीकृत दुकानों में मोटर वाहन ईंधन	Retail sale of automotive fuel in
.,,	की खुदरा बिक्री	specialized stores
474	विशेषीकृत दुकानों में सूचना एवं संचार उपकरणों की खुदरा बिकी	Retail sale of information and communication equipments in specialized stores
475	विशेषीकृत दुकानों में अन्य पारिवारिक उपकरणों की खुदरा बिक्री	Retail sale of other household equipment in specialized stores
476	विशेषीकृत दुकानों में सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के सामान की खुदरा बिक्री	Retail sale of cultural and recreation goods in specialized stores
477	विशेषीकृत दकानों में अन्य सामान की खुदरा बिक्री	Retail sale of other goods in specialized stores
478	ु स्टालों एवं बाजार के माध्यम से खुदरा बिक्री	Retail sale via stalls and markets
479	भण्डारों, स्टालों अथवा बाजारों में न	Retail trade not in stores, stalls or
	किया गया खुदरा व्यापार	markets
ज H	यातायात तथा भंडारण	Transportation and storage
49	थल परिवहन तथा नल तन्त्र परिवहन	Land transport and transport via pipelines
491	रेल के माध्यम से परिवहन	Transport via railways
492	अन्य भूमि परिवहन	Other land transport

	National Industrial Classification (
1		2
493	नल तंत्र परिवहन	Transport via pipeline
50	जल परिवहन	Water transport
501	समुद्र और तटीय जल परिवहन	Sea and coastal water transport
502	अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland water transport
51	वायु परिवहन	Air transport
511	यात्री हवाई परिवहन	Passenger air transport
512	भाडा हवाई परिवहन	Freight air transport
52	परिवहन हेतु गोदाम तथा सहायक गतिविधियां	Warehousing and support activities for transportation
521	माल भंडारण एवं संग्रहण	Warehousing and storage
522	यातायात सहायक गतिविधियां	Support activities for transportation
53	डाक तथा कोरियर क्रियाकलाप	Postal and courier activities
531	डाक गतिविधियां	Postal activities
532	कोरियर गतिविधियां	Courier activities
ਜ਼ I	आवास तथा खाद्य सेवा गतिविधियां	Accommodation and Food service activities
55	आवास	Accommodation
551	अल्पकालिक आवास गतिविधियां	Short term accommodation activities
552	कैंमपिंग मैदान, मनोरंजन वाहक पार्क एवं ट्रेलर पार्क	Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks
559	अन्य आवास	Other accommodation
56	खाद्य तथा पेय पदार्थ सेवा गतिविधियां	Food and beverage service activities
561	रेस्तरां और मोबाईल भोजन सेवा गतिविधियां	Restaurants and mobile food service activities

1	ivational industrial Classification (2
562	इवेंट खानपान एवं अन्य खाद्य सेवा गतिविधियां	Event catering and other food service activities
563	पेय सेवा गतिविधियां	Beverage serving activities
ञ J	सूचना तथा संचार	Information and communication
58	प्रकाशन गतिविधियां	Publishing activities
581	पुस्तकों पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं अन्य प्रकाशन गतिविधियां	Publishing of books, periodicals and other publishing activities
582	साफटवेयर प्रकाशन	Software publishing
59	चलचित्र, दृष्ट्य तथा टेलीविजन कार्यक्रम उत्पादन, आवाज रिकार्डिंग तथा संगीत प्रकाशन गतिविधियां	Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities
591	चलचित्र, विडियों एवं टीवी कार्यक्रम गतिविधियां	Motion picture, video and television programme activities
592	घ्वनि रिकार्डिंग और संगीत प्रकाशन गतिविधियां	Sound recording and music publishing activities
60	प्रोग्रामिंग तथा प्रसार क्रियाकलाप	Programming and Broadcasting activities
601	आकाशवाणी प्रसारण	Radio broadcasting
602	टीवी प्रोग्राम एवं प्रसारण गतिविधियां	Television programming and broadcasting activities
61	दूरसंचार	Telecommunications
611	तारयुक्त दूरसंचार गतिविधियां	Wired telecommunications activities
612	बेतार दूरसंचार गतिविधियां	Wireless telecommunications activities
613	उपग्रह दूरसंचार गतिविधियां	Satellite telecommunication activities

1		2
619	अन्य दूरसंचार गतिविधियां	Other telecommunications activities
62	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सलाहकारी और संबंधित गतिविधियां	Computer programming, consultancy and related activities
620	कम्पयुटर प्रोग्रामिंग, सलाह-कारी और संबंधित गतिविधियां	Computer programming, consultancy and related activities
63	सूचना सेवा गतिविधियां	Information service activities
631	आंकडें प्रक्रिया, होस्टिंग एवं संबंधित गतिविधियां, वैब पीटल	Data processing, hosting and related activities; web portals
639	अन्य सूचना सेवा गतिविधियां	Other information service activities
ਣ K	वित्तीय तथा बीमा गतिविधियां	Financial and insurance activities
64	बीमा तथा पेंशन निधिकरण को छोड़कर वित्तीय तथा सेवा गतिविधियां	Financial service activities, except insurance and pension funding
641	मौद्रिक मध्यस्थता	Monetary intermediation
642	होलडिंग कम्पनी की गतिविधियां	Activities of holding companies
643	द्रस्ट फंड और अन्य वित्तीय वाहन	Trusts, funds and other financial vehicles
649	बीमा एवं पेन्शन फंड के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियां	Other financial service activities, except insurance and pension funding activities
65	आवश्यक सामाजिक सुरक्षा को छोड़कर बीमा, पुन: बीमा तथा पेंशन निधिकरण	Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security
651	बीमा	Insurance
652	पुन: बीमा	Reinsurance
653	पेन्शन वित पोषण	Pension funding

1		2
66	अन्य वित्तीय क्रियाकलाप	Other financial activities
661	बीमा एवं पेन्शन के वित्तपोषण के	Activities auxiliary to financial
	अतिरिक्त वित्तीय सेवा की सहायक	service activities, except
	गतिविधियां	insurance and pension funding
662	बीमा एवं पेन्शन के वित पोषण लिये	Activities auxiliary to insurance
	सहायक गतिविधियां	and pension funding
663	कोष प्रबंध कार्यकलाप	Fund Management Activities
ਣ L	स्थावर सम्पदा गतिविधियां	Real estate activities
68	स्थावर सम्पदा गतिविधियां	Real estate activities
681	स्वंय की या पट्टे पर संपंति के साथ	Real estate activities with own or
	अचल/वास्तविक संपंति की गतिविधियां	leased property
682	शुल्क या अनुबन्ध के आधार पर स्थावर	Real estate activities on a fee or
	संपदा गतिविधियां	contract basis
ਝ M	व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी	Professional, scientific and
	गतिविधियां	technical activities
69	कानूनी तथा लेखा गतिविधियां	Legal and accounting activities
691	कानू नी गतिविधियां	Legal activities
692	लेखा, बहीखाता एवं लेखा परीक्षा	Accounting, bookkeeping and
	गतिविधियां,कर परार्मश	auditing activities; tax
70		consultancy
70	मुख्यालय के क्रियाकलाप प्रबंधन परामर्श गतिविधियां	Activities of head offices;
	गातावाधया	management consultancy activities
701	मुख्य कार्यालय की गतिविधियां	Activities of head offices
702	ु प्रबंधन परार्मश गतिविधियां	Management consultancy
		activities

1		2
71	वास्तुशिल्प तथा अभियांत्रिकी क्रियाकलाप, तकनीकी जांच तथा विश्लेषण	Architecture and engineering activities; technical testing and
711	वस्तुशिल्प एवं अभियंत्रिक गतिविधियां और संबंधित तकनीकी परामर्श	analysis Architectural and engineering activities and related technical consultancy
712	तकनीकी जांच एवं विश्लेषण	Technical testing and analysis
72	वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रगति	Scientific research and development
721	प्राकृतिक विज्ञान एवं अभियंत्रिक पर अनुसंधान और प्रयोगात्मक विकास	Research and experimental development on natural sciences and engineering
722	सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी पर अनुसंधान एवं प्रयोगात्मक विकास	Research and experimental development on social sciences and humanities
73	विज्ञापन तथा बाजार अनुसंधान	Advertising and market research
731	विज्ञापन	Advertising
732	बाजार अनुसंधान एवं जनमत मतदान	Market research and public opinion polling
74	अन्य व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां	Other professional, scientific and technical activities
741	विशेष डिजाइन गतिविधियां	Specialized design activities
742	छायाचित्र गतिविधियां	Photographic activities
749	अन्य व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी गतिविधियां क०औ०व०न०	Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
75	पञ्चु चिकित्सा गतिविधियां	Veterinary activities
750	पशु चिकित्सा गतिविधियां	Veterinary activities

1		2
ਫ N	प्र श ासनिक तथा सहायक सेवा गतिविधियां	Administrative and support service activities
77	किराये तथा लीज़ संबंधी गतिविधियां	Rental and leasing activities
771	मोटर वाहनों को किराये एवं पटटे पर देना	Renting and leasing of motor vehicles
772	निजी व घरेलू वस्तुओं को किराये एवं पटटे पर देना	Renting and leasing of personal and household goods
773	अन्य मशीनरी, उपकरणें एवं मुर्त वस्तुओं को किराये एवं पटटे पर देना	Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods
774	गैर वित्तिय अमुर्त वस्तुओं को पटटे पर देना	Leasing of non financial intangible goods
78	रोज़गार गतिविधियां	Employment activities
781	रोज़गार स्थापन एजेंसियों के क्रियाकलाप	Activities of employment placement agencies
782	अस्थाई रोज़गार एजेंसी के क्रियाकलाप	Temporary employment agency activities
783	मानव संसाधन प्रावधान और मानव संसाधन कार्यो का प्रबंधन	Human resources provision and management of human resources functions
79	पर्यटन एजेन्सी, टूर ऑपरेटर तथा अन्य आरक्षण सेवा गतिविधियां	Travel agency, tour operator and other reservation service activities
791	द्रैवल एजैन्सी और टुर ओपरेटर गतिविधियां	Travel agency and tour operator activities
799	अन्य आरक्षण सेवा क्रियाकलाप	Other reservation service activities
80	सुरक्षा तथा जॉच गतिविधियां	Security and investigation activities
801	निजी सुरक्षा गतिविधियां	Private security activities

1	ivational industrial Classification (2
802	सुरक्षा व्यवस्था सेवा गतिविधियां	Security systems service activities
803	जांच गतिविधियां	Investigation activities
81	भवन तथा भूदृश्य क्रियाकलाप सेवाएं	Services to buildings and
811	संयुक्त सुविधा सहायक गतिविधियां	landscape activities Combined facilities support activities
812	सफाई गतिविधियां	Cleaning activities
813	परिद्श्य देखभाल एवं रख रखाव सेवा गतिविधियां	Landscape care and maintenance service activities
82	कार्यालय प्रशासनिक, कार्यालय सहायक तथा अन्य व्यापार सहायक क्रियाकलाप	Office administrative, office support and other business support activities
821	कार्यालय प्रशासनिक एवं सहायक गतिविधियां	Office administrative and support activities
822	काल सैन्टर गतिविधियां	Activities of call centres
823	सम्मेलन एवं व्यापार प्रदर्शनी संगठन	Organisation of conventions and trade shows
829	व्यवसाय सहायक सेवा गतिविधियां	Business support service activities
	क्० औ० व० न०	n.e.c.
ण О	लोक प्र शा सन तथा रक्षा आव श् यक	Public administration and
	सामाजिक सुरक्षा	defence; compulsory social
84	लोक प्रशासन तथा रक्षा आवश्यक	security Public administration and
٠.	सामाजिक सुरक्षा	defence; compulsory social
		security
841	समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक नीति	Administration of the State and
	एवं राज्य का प्रशासन	the economic and social policy of the community

1	Trational industrial Classification (2
842	पूर्ण रुप में समुदाय की सेवा का प्रावधान	Provision of services to the
0.42		community as a whole
843	अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा गतिविधियां	Compulsory social security activities
त P	भि क्षा	Education
85	शिक्षा	Education
851	प्राथमिक शिक्षा	Primary education
852	माध्यमिक शिक्षा	Secondary education
	उच्च भिक्षा	•
853	0 1 111411	Higher education
854	अन्य शिक्षा	Other education
855	शैक्षिक सहायक गतिविधियां	Educational support services
थ Q	मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य	Human health and social work
	गतिविधियां	activities
86	मानव स्वास्थ्य गतिविधियां	Human health activities
861	अस्पताल गतिविधियां	Hospital activities
862	चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा अभ्यास	Medical and dental practice
	गतिविधियां	activities
869	अन्य मानव स्वास्थय गतिविधियां	Other human health activities
87	आवासीय देखरेख गतिविधियां	Residential care activities
871	नर्सिंग देखभाल सुविधाएं	Nursing care facilities
872	मानसिंक मंदता, मानसिक स्वास्थय और	Residential care activities for
	द्रव्यों के सेवन के लिये आवासीय देखरेख	mental retardation, mental health
	गतिविधियां	and substance abuse
873	बुजुर्गौ एवं विकलांगों के लिए आवासीय	Residential care activities for the
	देखभाल गतिविधियां	elderly and disabled
879	अन्य आवासिय देखभाल कार्यकलाप क०	Other residential care activities
	औ० व० न०	n.e.c.

1	Ivational industrial Classification (2
88	गैर आवासीय सामाजिक कार्य गतिविधियां	Social work activities without accommodation
881	बुजुर्ग एवं विकलांगों के लिए आवास के बिना सामाजिक कार्य गतिविधियां	Social work activities without
	बिना सामाजिक कार्य गतिविधियां	accommodation for the elderly
	, , , ,	and disabled
889	बिना आवास के अन्य सामाजिक कार्य	Other social work activities
_	गतिविधियां क०औ०व०न्०	without accommodation n.e.c.
द R	कला, आमोद तथा प्रमोद	Arts, entertainment and
90	सर्जनात्मक, कलाएं तथा मनोरंजन	recreation
90	मितिविधियां	Creative, arts and entertainment activities
900	रातायया रचनात्मक कला और मनोरंजन	Creative, arts and entertainment
900	गतिविधियां	activities
91	पुस्तकालय, अभिलेख, संग्रहालय तथा	Libraries, archives, museums and
71	अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां	other cultural activities
910	पुस्तकालय, आरकाईव, संग्राहलय एवं	Libraries, archives, museums and
	अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां	other cultural activities
92	जुआ तथा पणन (बाजी लगाने संबंधी)	Gambling and betting activities
	गतिविधियां	5 5
920	जुआ और सट्टेबाजी गतिविधियां	Gambling and betting activities
93	खेलकृद क्रियाकलाप तथा आमोद एवं	Sports activities and amusement
	प्रमोद गतिविधियां	and recreation activities
931	खेलों की गतिविधियां	Sports activities
932	अन्य आमोद एवं प्रमोद गतिविधियां	Other amusement and recreation
	,	activities
ध S	अन्य सेवा गतिविधियां	Other service activities
94	सदस्य संगठनों के क्रियाकलाप	Activities of membership
		organizations

	National Industrial Classification (NIC 2008) (upto 5 digit level)
1		2
941	व्यापार, नियोक्ता एवं वृतिक संगठनों की	Activities of business, employers
	सदस्यता की गतिविधियाँ	and professional membership
		organizations
942	व्यापार संगठनों की गतिविधियां	Activities of trade unions
949	अन्य सदयस्ता संगठनों की गतिविधियां	Activities of other membership organizations
95	कम्प्यूटर तथा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक	Repair of computers and personal
	वस्तुओं की मरम्मत	and household goods
951	कम्पयूटर एवं संचार उपकरण की	Repair of computers and
	मरम्म्त	communication equipment
952	निजी व्यक्तिगत और घरेलु सामान की	Repair of personal and household
	मरम्म्त	goods
96	अन्य व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां	Other personal service activities
960	अन्य व्यक्तिगत सेवा गतिविधियां	Other personal service activities
न T	नियोक्ताओं के रूप में परिवारों के	Activities of households as
	क्रियाकलापय परिवारों के स्व प्रयोग	employers; undifferentiated
	हेतु गैर विभेदकारी वस्तुओं- तथा	goods- and services producing
	सेवाओं के उत्पादन संबंधी क्रियाकलाप	activities of households for own use
97	घरेलू कार्मिकों के नियोक्ताओं के रूप में परिवारों के क्रियाकलाप	Activities of households as employers of domestic personnel
970	घरेल कर्मियों के नियोक्ताओं के रुप में	Activities of households as
,,,	परिवारों की गतिविधियां	employers of domestic personnel
98	निजी परिवारों के स्वंय के उपभोग के	Undifferentiated goods and
	लिए गैर विभेदकारी माल एवं सेवा	services producing activities of
	उत्पादक गतिविधियां	private households for own use
981	निजी परिवारों के स्वंय के उपभोग के	Undifferentiated goods-producing
	लिए गैर विभेदकारी माल उत्पादक	activities of private households
	गतिविधियां	for own use

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन०आई०सी० 2008) (3 अंक स्तर तक)

1	National Industrial Classification	2
982	निजी परिवारों के स्वंय के उपभोग के लिए गैर विभेदकारी सेवा उत्पादक गतिविधियां	Undifferentiated service- producing activities of private households for own use
ч U	बर्हिक्षेत्रीय संगठनों तथा निकायों की गतिविधियां	Activities of extraterritorial organizations and bodies
99	बर्हिक्षेत्रीय संगठनों तथा निकायों की गतिविधियां	Activities of extraterritorial organizations and bodies
990	बर्हिक्षेत्रीय संगठनों और निकायों की गतिविधियां	Activities of extraterritorial organizations and bodies
		स्त्रोत : के० सां० का०

259

स्त्रोत : के॰ सां॰ का॰ Source : C.S.O

क०औ०व०न० - कहीं और वर्गीकृत नहीं

n. e. c. - Not elsewhere classified

© भारत सरकार © Government of India नियंत्रक प्रकाशन Controller of Publication पी डी एल बी-163.2016 (द्विभाषी) <u>PDLB - 163.2016 (Bilingual)</u> 125 – 2018 (डी एस के-III) 125 - 2018 (DSK-III)

मुल्य : 160.00 Price : 160.00

2018 नियंत्रक प्रकाशन, सिविल लाइन्स, दिल्ली के लिए मुद्रण इकाई, श्रम ब्यूरो शिमला 171 004 के द्वारा मुद्रित Printed by Printing Unit, Labour Bureau, Shimla 171004 For Controller of Publications, Civil Lines, Delhi